तृतीय माला, खंड 44, अंक 1 सोमवार, 16 अगस्त, 1965/25 श्रावण, 1887 (शक)

Third Series, Vol. XLIV, No. 1 Monday, August 16, 1965/Sravana 25, 1887 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र / Twelfth Session]

[खंड 44 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XLIV contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया Price : One Rupee

विषय-सूची

अंक 2—मंगलवार, 17 अगस्त, 1965/26 श्रावण, 1887 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
31	पाकिस्तान के चावल	117–120
32	चावल का चोरी छिपे चीन जाना	120–123
33	प्रदीप पत्तन	124–129
34	बेरोजगारी बीमा योजना	129–133
35	चीनी का उत्पादन	133–136
36	अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना तथा उसके मूल्य	137–140

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
37	नये जहाजी कारखाने	140
38	कृषि बैंक	140
39	कृषि उत्पाद मूल्य आयोग का प्रतिवेदन	141
40	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	141–142
41	गोंडा संसदीय चुनाव	142
42	विधानमंडल तथा न्यायपालिका के बीच क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद	142
43	मद्रास बन्दरगाह में विस्फोट	143
44	खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता	143–144
45	दक्षिणी खाद्यान्न खण्ड	144–145
46	चुनाव चिह्न	145
47	भागीरथी नदी के तल से मिट्टी निकालना	145
48	अनाज की अधिप्राप्ति	146
49	गेहूं के अधिकतम मूल्य	146
50	चावल का समाहार	147
51	उर्वरक की कमी	147–148
52	संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से गेहूं का आयात	148
53	उड़ीसा में चुनाव	148–149

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य न वास्तव में पूछा था।

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—

**Starred Questions Nos.*	*Subject*	PAGES
31	Rice from Pakistan	117—120
32	Smuggling of Rice to China	120—123
33	Paradeep Port	124—129
34	Unemployment Insurance Scheme	129—133
35	Sugar Production	133--136
36	Movement and Prices of Foodgrains	137—140

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—

Starred Questions Nos.		
37	New Shipyards	140
38	Agricultural Bank	140
39	Report of Agricultural Prices Commission	141
40	Employees' State Insurance Scheme	141-142
41	Gonda Parliamentary Election	142
42	Jurisdictional Conflict between Legislature and Judiciary	142
43	Madras Harbour Explosion	143
44	Self-Sufficiency in Food	143-144
45	Southern Food Zone	144-145
46	Election Symbols	145
47	Dredging the Bhagirathi	145
48	Procurement of Foodgrains	146
49	Maximum Prices of Wheat	146
50	Procurementof Rice	147
51	Scarcity of Fertilizers	147-148
52	Import of Wheat from U.S.A.	148
53	Elections in Orissa	148-149

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
54	हल्दिया पत्तन	149
55	दिल्ली दुग्ध योजना	149–150
56	अनाज की कीमतें	150–151
57	एशियाई राजमार्ग	151–152
58	खाद्य निगम के कार्यालय	152–153
60	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये "इल्यूशिन–18"	153–

अतारांकित प्रश्न संख्या		
63	बडागरा प्रकाश स्तम्भ	154
64	दिल्ली में अन्तर्राज्यीय टर्मिनस	154
65	राष्ट्रीय राज पथों पर पुल	154–155
66	ढोरों का विकास	155
67	खाद्य निदेशालय का केरल प्रवेश एकक	155–156
68	केरल को चावल का भेजा जाना	156
69	चावल का कोटा	156–157
70	केरल मूल-कर अधिनियम	157–158
71	सहकारी समितियां	158
72	बाल-भवन	158–159
73	दावतों में निमन्त्रित व्यक्तियों की संख्या पर रोक	159
74	पंचायतों में कुप्रशासन	159–160
75	सहकारी खेती	160
76	केरल में जमाखोरी विरोधी आन्दोलन	160–161
77	चारे का मूल्य	161–162
78	मछलीपालन का विकास	162
79	एयर इंडिया की विमान सेवायें	162–163
80	आदिम जाति विकास खण्ड	163–
81	ग्वालियर-झांसी सड़क पर पुल	164
82	वकीलों की फीस	164
83	हिन्दुस्तान शिपयार्ड	164–165
84	बम्बई-पूना तथा बम्बई-नासिक सड़क	165
87	उर्वरकों का वितरण	165
88	कृषि तथा खाद्य अनुसन्धान परिषद्	165–166
89	नकली सहकारी समितियां	167
90	तूफान अनुसन्धान केन्द्र	167
91	कानपुर में कर्मचारी राज्य बीमा तथा भविष्य निधि योजना	168
92	पी० एल० 480 करार	168–169

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS:—*contd.*

Starred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
54	Haldia Port	149
55	Delhi Milk Scheme	149–150
56	Prices of Foodgrains.	150–151
57	Asian Highway	151–152
58	Offices of Food Corporation	152–153
60	Ilyushin 18 for I.A.C.	153

Unstarred Questions Nos.		
63	Badagara Light House	154
64	Inter-State Terminus in Delhi	154
65	Bridges on National Highways	154–155
66	Development of Cattle	155
67	Kerala Regional Unit of Food Directorate	155–156
68	Delivery of Rice in Kerala	156
69	Rice Quota	156–157
70	Kerala Basic Tax Act	157–158
71	Cooperative Societies	158
72	Bal Bhawans	158–159
73	Restrictions on Number of Invitees to Parties	159
74	Maladministration in Panchayats	159–160
75	Co-operative Farming.	160
76	Anti-Hoarding Drive in Kerala	160–161
77	Prices of Fodder	161–162
78	Development of Fisheries	162
79	Air India Services	162–163
80	Tribal Development Blcks	163
81	Bridge on Gwalior-Jhansi Road	164
82	Lawyers' Fees	164
83	Hindustan Shipyard	164–165
84	Bombay Poona and Bombay Nasik Road	165
87	Distribution of Fertilizers	165
88	Council for Agricultural and Food Research	165–166
89	Bogus Co-operative Societies	167
90	Cyclone Research Centre	167
91	Employees' State Insurance and Provident Fund Scheme in Kanpur	168
92	P.L. 480 Agreement	168—169

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
93	सहकारी संस्थाओं की आर्थिक स्थिति	169
94	पंचायतों के लिये निर्वाचन	169
95	मैट्रिक–उपरान्त छात्रवृत्तियां	170
96	होटलों को चावल की सप्लाई	170
97	राशन की दुकानों पर मिलने वाले खाद्यान्न की किस्म	171
98	बिहार में चावल की मिलें	171
99	जम्मू तथा काश्मीर विधान सभा में रिक्त स्थान	171–172
100	धतूरे के बीज	172
101	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दुग्ध सम्भरण	172–173
102	दिल्ली की पंचायतें	173
103	राष्ट्रीय राजपथ	173
104	कालीकट में हवाई अड्डा	174
105	स्वयं-सेवी समाज-कल्याण संस्थायें	174
106	दम दम हवाई अड्डा	174–175
107	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन	175
108	पंजाब में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां	175
109	एमोनिया सल्फेट का सम्भरण	175–176
110	कर्मचारियों की लापरवाही के लिये राज्य का दायित्व	176
111	गुजरात राज्य में फसल उगाने का ढंग	176
112	पत्तनों का विकास	176—178
113	केन्द्रीय मछली विपणन निगम	179
114	बच्चों का गोद लिया जाना	180
115	कृषि विकास कार्यक्रम	180
116	कृषि मूल्य आयोग	180–181
117	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	181
118	अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के बेरोज़गार व्यक्ति	181–182
119	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग	182–183
120	केरल में वृद्धावस्था पेंशन योजना	183
121	राशन व्यवस्था	183–184
122	केरल को चावल का दिया जाना	184–185
123	नैतिक दृष्टि से अरक्षित महिलाओं का पुनर्वास	185
124	मंगलोर पत्तन	185–186
125	दिल्ली में भिखारी	186
126	आस्ट्रेलिया से गेहूं का आयात	186
127	किसान-तालिका	187
128	चीनी का उत्पादन	187–188
129	राष्ट्रीय समुद्री टेक्नोलौजी संस्थान	188
130	विकास–खण्ड	188

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
93	Financial Condition of Co-operative Societies	169
94	Election to Panchayats	169
95	Post Matric Scholarships	170
96	Supply of Rice to Hotels	170
97	Quality of Foodgrains supplied at Ration Shops	171
98	Rice Mills in Bihar	171
99	Vacant Seats in J. & K. Legislative Assembly.	171–172
100	Dhatoora Seeds	172
101	Milk Supply by D.M.S.	172–173
102	Panchayats of Delhi	173
103	National Highways	173
104	Aerodrome at Calicut	174
105	Voluntary Social Welfare Organisations	174
106	Dum Dum Airport	174–175
107	Amendment of Representation of People Act	175
108	Scheduled Castes and Tribes in Punjab	175
109	Supply of Ammonia Sulphate	175–176
110	Liability of the State for the Negligence of Employees	176
111	Crop Pattern in Gujarat State	176
112	Development of Ports	176—178
113	Central Fish Marketing Corporation	179
114	Adoption of Children	180
115	Agricultural Development Programme	180
116	Agricultural Prices Commission	180–181
117	Employees State Insurance Corporation	181
118	Unemployed S.C. and Backward Classes Persons	181–182
119	National Highway in Madhya Pradesh	182–183
120	Old Age Pension Scheme in Kerala	183
121	Rationing.	183–184
122	Supply of Rice to Kerala	184–185
123	Rehabilitation of Women exposed to Moral Danger	185
124	Mangalore Harbour	185–186
125	Beggars in Delhi	186
126	Import of Wheat from Australia	186
127	Panel of Agriculturists	187
128	Sugar Production	187–188
129	National Institute of Marine Technology	188
130	Development Blocks	188

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
131	सहकारिता में प्रशिक्षण	188–189
132	नर्मदा पुल	189
133	हवाई अड्डों पर रेडार व्यवस्था	189
134	मानक (स्टैंडर्ड) दूध में चिकनाई की मात्रा	190
135	व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम	190
136	पटसन की खेती के लिये उर्वरक का दिया जाना	191
137	वर्षा की सम्भवना	191
138	काहिरा का हवाई अड्डा	191–192
139	कलकत्ता पत्तन	192–193
140	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन	193
141	"आई०ए०सी०"के लिये कैराविल विमान	194
142	चावल का अभाव	194–195
143	वन वृक्षों सम्बन्धी अनुसन्धान	195
144	रूसी 'मैरीनो" भेड़ें	195
145	दुग्ध संयंत्र	195–196
146	संयुक्त सहकारी खेती समितियां	196–197
147	खाद्यान्नों का समाहार	197–198
148	लगुड-निर्माण प्रशिक्षण केन्द्र	198–199
149	दुग्ध-चूर्ण	199
150	खाद्यान्नों पर विलम्ब शुल्क	199–200
152	बच्चों का भीख मांगना	200
153	पंचायती राज सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान की केन्द्रीय संस्था	200–201
154	उर्वरकों का आयात	201–203

स्थगन प्रस्तावों के बारे में 203—206

सभा पटल पर रखे गये पत्र 206–210

सदस्यों की गिरफ्तारी तथा नजरबन्दी 210

(श्री किशन पटनायक और श्री बागड़ी) 210

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति 210

सड़सठवां प्रतिवेदन

चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक कार्य स्थिति के बारे में वक्तव्य 211–212

श्री ब० रा० भगत 211–212

समिति के लिये निर्वाचन 213

राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति—

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES.
131	Training in Co-operation	188-189
132	Narmada Bridge .	189
133	Radar System at Airports	189
134	Fat content in Standard Milk	190
135	Applied Nutrition Programme	190
136	Supply of Fertilizers for Jute Cultivation . .	191
137	Prospect of Rainfall	191
138	Cairo Airport	191-192
139	Calcutta Port	192-193
140	I.A.C.	193
141	Caravelle for I.A.C.	194
142	Scarcity of Rice	194-195
143	Research on Forest Trees	195
144	Russian Merino Sheep	195
145	Milk Plants	195-196
146	Joint Farming Co-operatives	196-197
147	Procurement of Foodgrains	197-198
148	Logging Training Centres	198-199
149	Milk Powder	199
150	Demurrage on Foodgrains.	199-200
152	Begging by Children	200
153	Central Institution for Training and Research in Panchayati Raj.	200-201
154	Import of Fertilizers	201—203
	Re : Motions for Adjournment.	203—206
	Papers laid on the Table	206-210
	Arrest and Detention of Members	210
	(Shri Kishen Pattnayak)	210
	(Shri Bagri)	210
	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—Sixty-seventh Report	210
	Statement Re: Status of Preparatory Work on the Fourth Five Year Plan	211-212
	Shri B. R. Bhagat . .	211-212
	Election to Committee—	
	National Food and Agriculture Organisation Liaison Committee	213

विषय	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति	213—214
सैंतीसवां प्रतिवेदन	
गुजरात-पश्चिमी पाकिस्तान सीमा के सम्बन्ध में भारत-पाकिस्तान करार के बारे में	
प्रस्ताव . . .	214—234
श्री उ० मु० त्रिवेदी	214—216
श्री कृ० चं० पन्त	216—217
श्री राम सेवक यादव	217—218
श्री अ० चं० गुह	218—220
श्री दीनेन भट्टाचार्य	220—221
श्री ओझा	221—222
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	222—223
श्री जसवन्त मेहता	223—224
श्री हरि विष्णु कामत	224—226
श्री फ्रेंक एन्थनी	227—228
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	228—230
श्री हिम्मतसिंहजी . . .	230
श्री जी० भ० कृपालानी . .	230—232
श्री मौर्य . .	232—234
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद .	234

Subject	PAGES
Business Advisory Committee	
Thirty-seventh Report	213-214
Motion Re : Indo-Pakistan Agreement on Gujarat-West Pakistan Border	214—234
Shri U.M. Trivedi	214—216
Shri K.C. Pant	216-217
Shri Ram Sewak Yadav	217-218
Shri A.C. Guha	218—220
Shri Dinen Bhattacharya	220-221
Shri Oza	221-222
Shri Prakash Vir Shastri	222-223
Shri Jashwant Mehta	223-224
Shri Hari Vishnu Kamath	224—226
Shri Frank Anthony	227-228
Shri Harish Chandra Mathur	228—230
Shri Himmatsinhji	230
Shri J.B. Kripalani	230—232
Shri Maurya	232—234
Shri Brajeshwar Prasad	234

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 17 अगस्त, 1965/26 श्रावण, 1887 (शक)
Tuesday, August 17, 1965/Sravana 26, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पाकिस्तान से चावल

\+

*31. श्री यशपाल सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री दे० द० पुरी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प० ला० बारूपाल :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने भारत को विद्यमान समझौते के अन्तर्गत चावल देने के वचन का पालन करने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण बताये हैं ;

(ग) क्या इस संबंध में पाकिस्तान सरकार से पत्र व्यवहार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क), (ख) और (ग). 11 जनवरी, 1965 को पाकिस्तान से 50,000 टन चावल की खरीद के लिए एक करार हुआ था। लदान आरम्भ होने से पहले पाकिस्तान सरकार ने, जो कि अमरीका से पी० एल० 480 के अधीन खाद्यान्न ले रही थी कहा कि भारत को निर्यात करने से पूर्व उनको अमरीका सरकार से निर्बाधिता लेनी आवश्यक है। बाद में, अमरीका सरकार ने बिना किसी शर्त के 10,000 टन चावल के निर्यात की अनुमति दे दी जो कि फरवरी, 1965 में भारत को भेज दिया गया था। करार की शेष मात्रा के निर्यात के लिए पाकिस्तान को अब तक अमरीका सरकार से निर्बाधिता नहीं मिली है।

Shri Yashpal Singh: Even if it is released by Pakistan and our quota is received by us, can we maintain our self-respect by consuming the foodgrains supplied by Pakistan ?

Mr. Speaker : Any other question.

Shri Yashpal Singh: May I know the difference in prices fixed under the last agreement and the current agreements ?

श्री दा० रा० चव्हाण: मूल्यों में कोई खास अन्तर नहीं है।

Shri Yashpal Singh: Has this been ascertained as to when it would be finalised, and the time by which U.S.A. would send us a reply ?

श्री दा० रा० चव्हाण: इस सम्बन्ध में अभी कुछ बताना बहुत कठिन है।

श्री हेम बरुआ : चूंकि पाकिस्तान ने हमें चावल का निर्यात करने के वचन का पालन करने से इन्कार इस समय किया है जब उसने कच्छ के रन में हमारे विरुद्ध प्रकट युद्ध छेड़ रखा है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इसके पीछ कोई राजनीतिक कारण है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मेरे विचार में इसके पीछ कोई राजनीतिक कारण नहीं है, संयुक्त राज्य अमरीका उन्हें पी० एल० 480 के अन्तर्गत गेहूं दे रहा है क्योंकि वहां पर अनाज की कमी है। वे गेहूं लेकर किसी और वस्तु का निर्यात नहीं कर सकते हैं तथा विदेशी मुद्रा नहीं कमा सकते हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : इस देश को चावल का निर्यात न करने का कोई राजनीतिक कारण नहीं है, तो इस वचन को पूरा न करने के कोई आर्थिक अथवा अन्य प्रकार के कोई और कारण हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: मैंने सभा को अभी बताया है कि इसका एक आर्थिक कारण है। पाकिस्तान पी० एल० 480 के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा है और इस सहायता को प्राप्त करने की एक शर्त यह है कि उन्हें अनाज का निर्यात अन्य देशों को नहीं करना चाहिये।

श्री प्र० चं० बरुआ : इस कमी को पूरा करने के क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों की दृष्टि से हमने इस कमी को पूरा नहीं किया।

श्री राम सहाय पाण्डेय : पाकिस्तान से खराब सम्बन्धों को देखते हुए क्या सरकार इस करार को रद्द करने की स्थिति में है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री स० मो० बनर्जी : दिल्ली तथा कुछ अन्य स्थानों पर चावल बिल्कुल नहीं मिल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस करार के पश्चात स्थिति में कुछ सुधार होने की सम्भावना है अथवा इसके पश्चात भी स्थिति में सुधार होने की कोई सम्भावना नहीं है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अब कोई करार नहीं । मूल करार लगभग समाप्त हो गया है ।

श्री श्रीनारायण दास : क्या करार में कोई इस प्रकार की शर्त थी तथा क्या इस करार के अन्तर्गत पाकिस्तान सरकार ने चावल नहीं दिया ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: हमारे करार में इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं था । परन्तु पाकिस्तान ने संयुक्त राज्य अमरीका के साथ पी० एल० 480 के अन्तर्गत यह करार किया है । अतः उन्हें संयुक्त राज्य अमरीका से ऐसा करने की स्वीकृति लेनी पड़ती है ।

Shri Onkar Lal Berwa: May I know whether there is any stipulation in the Agreement entered into with American under P.L. 480 that America would get some rice transferred from Pakistan ?

अध्यक्ष महोदय : जब अमरीका ने हमें चावल देना स्वीकार कर लिया था तो क्या उसने यह भी कहा था कि उसमें से कुछ चावल पाकिस्तान हमें देगा ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी नहीं ।

श्री दे० द० पुरी : कितना चावल देना स्वीकार किया गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : कुल 50,000 टन चावल देना स्वीकार किया गया था जिसमें से 10,000 टन चावल दिया जा चुका है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या हमारी सरकार ने अमरीकी सरकार से कोई प्रार्थना की है कि वह अपने पहले निर्णय पर पुनर्विचार करके शेष 40,000 टन चावल भी हमें दे दें ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: पहले हमने अमरीकी सरकार से प्रार्थना की थी, परन्तु अब हमारा प्रार्थना करने का विचार नहीं है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया: इस अनाज के न मिलने के कारण जो कमी हुई है उसे हमें पूरा करना है इसलिये क्या मैं जान सकता हूं कि चावल के उत्पादन की नवीनतम स्थिति क्या है, क्या उत्पादन इतना हो गया है कि अब चावल की कमी नहीं रहेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: 1964-65 में उत्पादन 1963-64 से काफी अधिक था । अतः यदि यह 40,000 टन अनाज हमें मिल जाता तो लाभकारी होता, परन्तु इसके न मिलने से हमें कोई विशेष हानि नहीं हुई ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: At what rate are we getting rice from America and at what rate is it being supplied to public ? what is the difference in the rate of procurement and supply.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह समझौता पाकिस्तान के साथ है न कि अमरीका के साथ ।

चावल का चोरी छिपे चीन जाना

+

*32. श्री श्रीनारायण दास :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० ना० विद्यालंकार :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सं० च० सामन्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० नां० तिवारी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री दशरथ देव :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री ह० च० सोय :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री गुलशन :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि देश के सीमान्त क्षेत्रों अनाज चोरी छिपे नेपाल और फिर वहां से चीन ले जाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो यदि इसकी रोकथाम के लिये कभी कोई उपाय किये गये हैं तो वे क्या हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि पिछले तीन महीनों में उस राज्य क्षेत्र में साथ लगे भारतीय राज्य क्षेत्र की तुलना में अनाज की कीमतें अधिक थीं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) बिहार से चीन में चोरी-छिपे चावल भेजने की कुछ खबरें समाचारपत्रों में देखने में आई थीं। जांच पड़ताल करने पर मालूम हुआ ये खबरें निराधार थीं ;

(ख) प्रश्न ही नही उठता।

(ग) चीन में चल रहे खाद्यान्नों के भावों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

श्री श्रीनारायण दास : बिहार सरकार ने यह किस आधार पर कहा था कि भारत से चावल नेपाल के मार्ग से चीन में ले जाया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या बिहार सरकार ने यह कहा था ?

श्री श्रीनारायण दास : जी हां, बिहार सरकार ने यह कहा था।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): बिहार के मुख्य मंत्री ने एक वक्तव्य में कहा था कि तिब्बत और नेपाल के रास्ते चीन में बहुत बड़ी मात्रा में चावल चोरी-छिपे ले जाया जा रहा है। यह उनका अनुमान था; इस मामले की जांच की गई थी और यह पाया गया था कि यह कथन निराधार था और बिहार मुख्य मंत्री का भी समाधान हो गया था।

श्री श्रीनारायण दास : क्या सरकार को पता है कि कुछ चावल मिल मालिकों की मिलें भारत में भी हैं, और नेपाल में भी हैं जो हमारे देश के निकट हैं। वे लोग कभी कभी धान अथवा चावल को एक क्षेत्र से दूसर क्षेत्र में चोरी छिपे ले जाते हैं और कमी के समय बिहार में चावल लाकर ऊंचे दामों पर बचते हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: यह एक अलग प्रश्न है। मूल प्रश्न चीन में चोरी छिपे चावल ले जाने के बारे में है।

श्री हेम बरुआ : कुछ दिन पहले खाद्य मंत्री ने एक वक्तव्य में कहा था कि वह इस तर्क को नहीं मानते कि नेपाल में चावल चोरी छिपे ले जाया जा रहा है क्योंकि नेपाल स्वयं हमें चावल निर्यात करना चाहता है। इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई सूचना है कि भूटान और आसाम के रास्ते चीन में चोरी छिपे चावल ले जाया जा रहा है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह बात मैं पहली बार सुन रहा हूं। यदि माननीय सदस्य के पास कुछ तथ्य हों तो वह उनको मुझे दे दें।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती: क्या सरकार का ध्यान श्री के० बी० सहाय के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जो उन्होंने 3 जून, 1965 को दिल्ली आने के पश्चात् दिया था कि जो कुछ भी श्री सुब्रह्मण्यम कहें वह अपने वक्तव्य पर दृढ़ हैं, यदि हां, तो क्या सरकार उन कारणों की जांच करेगी जिनके कारण बिहार के मुख्य मंत्री को यह वक्तव्य देना पड़ा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसके पश्चात् मख्य मंत्री ने स्वयं एक घोषणा की और कहा कि उनको गलत सूचना दी गई थी, और वह वक्तव्य निराधार था।

श्री प्र० चं० बरुआ : इस आवश्यक वस्तु के चोरी छिपे ले जाने से जो बुरा प्रभाव पड़ता है, क्या सरकार का विचार है कि तस्कर व्यापार को घोर राजद्रोह माना जाये ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : कोई तस्कर व्यापार नहीं हो रहा है। भारत और नेपाल के बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं। यह आरोप निराधार है कि नेपाल राज्य का, किसी अन्य राज्य में चोरी छिपे चावल ले जाने के लिये, प्रयोग किया जा रहा है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या सरकार को कोई ऐसी सूचना मिली है कि जो चावल पाकिस्तान में चोरी छिपे ले जाया जाता है वह चीन भेजा जाता है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं नहीं जानता कि देश के किस भाग से चावल चोरी छिपे पाकिस्तान भेजा जा रहा है। पाकिस्तान के पास तो फालतू चावल है । वह चीन को चावल भेज सकता है ।

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister has said that the chief Minister of Bihar has said no rice is being smuggled out of the country. I want to know the sources of inquiry conducted by the Government and how they know that it is not being sent out of the country ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : केन्द्रीय सरकार ने भी जांच करायी और राज्य सरकार ने भी । हमारे नेपाल स्थित राजदूत ने भी जांच करायी है । इस सब कायहो निष्कर्ष है कि यह आरोप निराधार है ।

Shri Bibhuti Mishra : The Minister has said that rice is not being sent or smuggled out of the country. It has been the result of inquiries conducted by Central Agency and State Government. I want to know whether it has been enquired at raxaul and whether rice is not being sent to Tibet through Nepal.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इन आरोपों की जांच करायी गयी थी । जैसा कि मैंने पहले कहा कि इन आरोपों का कोई आधार नहीं है ।

Shri Bibhuti Mishra: I have enquired about Raxaul and no answer has been given about the same.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: रक्सौल के बारे में भी जांच करायी गई थी ।

श्रीमती सावित्री निगम: मैं माननीय मंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि नेपाल सरकार का इस में कोई हाथ नहीं है । मैं जानना चाहती हूं कि क्या उन्होंने यह जांच ....

अध्यक्ष महोदय : आप को उस विषय में पूछना चाहिये जिसके बारे में आप सहमत नहीं हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : मैं जानना चाहती हूं कि क्या यह उनकी जानकारी में है। सीमा पर चावल की एक मिल के मालिक ने 10,000 टन चावल के बारे में नहीं बताया । यह चावल उसने अपने एजेंटों द्वारा तिब्बत भिजवा दिया है ।

श्री रंगा : हम सबने इस बारे में सुना था ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: हमने इस बारे में व्यापक जांच कराई है। तीन अलग अलग दलों ने इस काम को किया है । और वे सब इसनतीजे पर पहुंचे हैं कि तस्कर व्यापार का आरोप निराधार हैं ।

Shri Sheo Narain : Is it a fact on account of control, paddy is being smuggled into Nepal from the border areas of Basti and Gorakhpur and if so, what action is proposed to be taken by Government in the matter?

Mr. Speaker : He has repeatedly said that inquiry has been conducted and this allegation is baseless.

Shri Sheo Narain: Mr. Speaker, on account of controls here, rice is smuggled in to that side. We have requested Government many times to abolish the

controls, so it may be available for sale in our markets, but nothing has been done in this regard.

Shri Yashpal Singh: The hon. Minister has said that our rice is not smuggled into China but the Bihar Chief Minister has said that Hindu profiteers bring gold from that side and send rice to that side. Who is right in this controversy and how many profiteers have been punished in this regard ?

Mr. Speaker : The Minister has said that it is wrong.

Shri Yashpal Singh : What action has been taken ?

Mr. Speaker: When that allegation is wrong, no action is called for. The chief Minister has said that it is wrong.

Shri Rameshwaranand: Our Minister says that it is correct and the other says it is wrong. Is there no law applicable to them so that they may also be punished ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब केन्द्रीय सरकार को इस बात का विश्वास हो गया कि बिहार के मुख्य मंत्री की बात निराधार है तो क्या सरकार ने राज्य सरकार को बताया है कि वहां पर कमी इस लिये है कि स्थानीय जमाखोरों ने चावल जमा करके रख लिया है और इसके विरुद्ध कार्यवाही जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय हम तस्कर व्यापार के बारे में बात कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बात यह है कि श्री के०बी० सहाय ने कहा था कि कमी तस्करी के कारण है परन्तु केन्द्रीय सरकार ने जांच द्वारा पता लगाया है कि तस्करी नहीं है । तो यह फिर कमी कैसे है ?

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि मैंने पहले कहा है इस समय तो हम तस्करी की बात कर रहे हैं ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार नेपाल सरकार को चावल या अन्य खाद्यान्न देती है; यदि हां, तो इसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि उसका पुन: निर्यात न हों ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: हम ने पाल से चावल प्राप्त कर रहे हैं हां, इस साल की मात्रा पहले की मात्रा के अपेक्षा कम है परन्तु फिर भी यह नेपाल से आया है न कि भारत से नेपाल को गया है

Shri Ram Sewak Yadav: Is the hon. Minister aware that as a result of new cultivation policy of Government of Bihar paddy and not rice is smuggled into Bihar. It is done with the connivance of police. If not, will he kindly conduct a secret enquiry ?

अध्यक्ष महोदय : प्रथम भाग का उत्तर दे दिया गया है और दूसरा तो केवल एक सुझाव है।

Shri K.N. Tiwary : The trade of rice was going on between India and Nepal. Have any statutory restrictions been imposed and as a result of the same this smuggling has started ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: जैसा कि मैंने पहले कहा है कि चावल नेपाल से भारत को आता इस लिये ऐसी बात सोची ही नहीं जा सकती कि वह भारत से नेपाल को चोरी-छिपे भेजा जा रहा है

प्रदीप पत्तन

+

*33. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० न० तिवारी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री पें० वेंकटा सुब्बया :
श्री प० ला० बारुपाल :
श्री हेडा :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रदीप पत्तन परियोजना को अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या मुख्य कारण हैं ; और

(ग) इसकी क्या शर्तें हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) भारत सरकार ने परादीप परियोजना 1 जून, 1965 से अपने हाथ में ली ।

(ख) और (ग). सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है ।

विवरण

1 जून, 1965 से परादीप पत्तन केन्द्रीय परियोजना के रूप में ले लिया गया है । यह राज्य सरकार को आर्थिक राहत देने के लिये किया गया है क्योंकि वह सरकार परादीप कम्पलैक्स अर्थात् खनन परियोजना, एक्सप्रेसवे परियोजना और सड़क परिवहन संस्था में भारी खर्च कर रही है ।

2. हस्तातंरण की मुख्य शर्तें निम्न हैं :—

1. इस परियोजना को केन्द्रीय सरकार पूरा करेगी और परिचालन के लिये तैयार हो जाने पर पत्तन का शासन करेगी ।

2. यातायात शुरू करने से पहले परादीप पत्तन भारतीय पत्तन अधिनियम के अन्तर्गत बड़ा पत्तन घोषित किया जायेगा ।

3. इस पत्तन को केन्द्र द्वारा अपने हाथ में लेने की तारीख तक राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना पर लगाया गया धन परियोजना पर राज्य सरकार का ऋण माना जायेगा जो पत्तन के ऋण भुगतान करने योग्य होने पर यथा समय पर लौटा दिया जायेगा ।

4. केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया गया धन भी इसी प्रकार माना जायेगा ।

5. 1 जून, 1965 से इस परियोजना पर किया जाने वाला खर्च केन्द्रीय सरकार की जिम्मेवारी होगी ।

6. इस तारीख से इस परियोजना की सारी परिसंपत्तियां और देयताएं केन्द्रीय सरकार द्वारा ले ली जायेंगी ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : क्या सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन करके यह निर्णय किया है और प्रदीप परियोजना को केन्द्रीय परियोजना के रूप में शुरू किया है और अन्य राष्ट्रीय महत्व की बड़ी परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले लेगी या यह केवल उड़ीसा सरकार के लिये विशेष रूप से किया गया है ?

श्री राज बहादुर : विशेष रूपसे कुछ नहीं किया गया है । प्रदीप कम्प लेक्स में केवल पत्तन परियोजना ही नहीं है बल्कि उस में एक्सप्रैसवे परियोजना, कच्चे लोहे के विकास सम्बन्धी परियोजना और सम्बद्ध सुविधायें भी हैं । ऐसा करने का उद्देश्य यह है कि इस पत्तन से कम से कम 20 लाख टन कच्चे लोहे का निर्यात किया जा सके । हम इसको तीसरी योजना में शामिल नहीं कर सके थे । राज्य सरकार ने ऐसा करने का आग्रहभी किया था और राज्य सरकार ने इसे स्वयं करना आरंभ किया । हां, हमारी मंजूरी अवश्य ली गई थी । फिर यह देखा गया कि खर्च इस पर अनुमान से अधिक होगा और राज्य सरकार इसे पूरा नहीं कर पायेगी । 12 करोड़ रुपये के स्थान पर व्यय का अनुमान 26 करोड़ रुपये हो गया । राज्य सरकार पहले ही 9 करोड़ रुपये व्यय कर चुकी थी। पत्तन का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। यह नवम्बर में पूरा हो जायेगा । ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार को इसे अपने हाथ में लेना ही पड़ा ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : जब भारत सरकार और योजना आयोग ने उड़ीसा सरकार को इस परियोजना को स्वयं ही आरम्भ करने की मंजूरीदी थी तो उस समय क्या राज्य सरकार को वित्तीय तथा तकनीकी दृष्टि से इस बड़े कार्य को पूरा करने में समर्थ समझा गया था ?

श्री राज बहादुर : राज्य सरकार ने चीफ इंजीनियर नियुक्त किया और मुझे प्रसन्नता है कि उसने अपना कार्य ठीक किया है। वह पत्तन को नवम्बर, 1965 में प्रयोग में लाना आरम्भ कर देंगे । तकनीकी समर्थता का कोई प्रश्न नहीं है। इस कार्य में विदेशी सलाहकारों की एक फर्म, मैसर्ज रैंडेल, पामर एण्ड ट्रिटन की सहायता ली गई थी । अतः तकनीकी सामर्थ्य का प्रश्न नहीं उठता । जहां तक वित्त का प्रश्न है आरंभ में सलाहकारों की राय में 12 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान था परन्तु मूल्यों में वृद्धि के कारण यह अनुमान 26 करोड़ रुपये हो गया। हम समझ सकते हैं कि राज्य सरकार ने धन जुटाने की पूरी कोशिश की और प्रदीप पत्तन पर 9 करोड़ रुपया व्यय किया ।

Shri Bibhuti Mishra : I want to know whether the Central Government had examined the liabilities and assets before taking over this port and whether complaints against the Chief Engineer had been examined or decided.

Shri Raj Bahadur : In that connection, the entire responsibility before 1st June, 1965 is that of the State Government, and after that date it will be Centre's responsibility. Complaints were received from Chief Engineer. Those were examined and the House knows about that.

Shri K. N. Tiwari: How much money Government is spending on it ?

Shri Raj Bahadur : The necessary expenditure will be made. Rupees 5 crores were earmarked in the Budget for this year and I understand that that amount will be spent.

श्री दी० चं० शर्मा : केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से धंसता हुआ यह पत्तन ले लिया है। राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्र से कितना ऋण लिया था और इस पत्तन को ठीक प्रकार से प्रयोग में लाने योग्य बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार को कुल कितना धन व्यय करना होगा ?

श्री राज बहादुर : संसार में कोई धंसता हुआ पत्तन नहीं होता । यह तो सभी डूबते हुए जहाजों को शरण देने का स्थान होगा। जहां तक उड़ीसा सरकार की वित्तीय देनदारियों का सम्बन्ध है, वित्त मंत्रालय से पूछा जा सकता है ।

Shri PrakashVir Shastri : After having taking over the Paradeep port, have the Government made some changes in its administrative set up, particularly in high officials in Administration ?

Shri Raj Bahadur : A committee known as Paradeep Port Project Committee looks after that work now. The Secretary of the Transport Ministry is its Chairman and representatives of Ministry of Commerce, M.M.T.C., Ministry of Finance, Department of Coordination and Department of Expenditure are in the Committee. In addition, the chief Engineer, Development officer of Ministry of Transport and a representative of Government of Orissa are also members of the Committee.

Shri Jagdev Singh Siddhanti: Have any complaints been received against the Chief Engineer, if so, what decision has been taken in the matter ?

Shri Raj Bahadur: Some complaints were received against the Chief Engineer and inquiry was held. The Departments concerned took the action.

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that this decision was taken by Government on account of Shri Biju Patnaik ? I want to know whether the amount that has been spent so far, will be paid to Orissa Government. How it will be settled ?

Shri Raj Bahadur: It is wrong.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस पत्तन में कितनी गोदियां बनायी जा चुकी हैं और इस पत्तन के बनाने में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होने का अनुमान है ?

श्री राज बहादुर: इस वर्ष हम एक पुरानी गोदी का प्रयोग आरंभ कर देंगे । उसके बाद लौह अयस्क लादने वाला एक मशीनी प्लांट चालू किया जायेगा । यह कार्य चीफ इंजीनियर कर रहे हैं । ऐसी आशा है कि हम इस वर्ष 5 लाख टन लौह अयस्क निर्यात कर सकें गे । अगले साल से यह 20 लाख टन हो जायेगा । मैं इस विदेशी मुद्रा का अनुमान नहीं बता सकता ।

श्री प्र० चं० बरुआ : इन दो चरणों के पूरे हो जाने पर पत्तन की कुल क्षमता क्या होगी और चौथी योजना में पूरा करने के लिए कितना कार्य शेष रहेगा ?

श्री राज बहादुर : आरम्भ में हमने 20 लाख टन के लिये व्यवस्था की है । इसे पत्तन का विस्तार करके और आवश्यकता के समय 50 लाख टन तक बढ़ाया जा सकेगा ।

श्री रा० स० पाण्डेय : कुछ समय पूर्व समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था कि इस पत्तन के कुप्रबन्ध को देखते हुए सरकार कुछ कार्यवाही करने वाली है। क्या यह सच है, और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर विचार कर लिया है ?

श्री राज बहादुर : यह बात स्पष्ट है कि यह कार्य 1 फरवरी, 1965 को आरंभ होकर नवम्बर, 1965 को पूरा हो जायेगा । मेरे विचार से यह काम बहुत अच्छी तरह किया गया है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या: सरकार की यह नीति है कि उन राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाये जिन्हें इतनी बड़ी परियोजनाओं को पूरा करना है। इस सम्बन्ध में क्या मैं जान सकता हूं कि और ऐसी कौन-कौनसी परियोजनायें हैं जिनके लिए ऐसी सहायता देने का विचार है ?

श्री राज बहादुर : मैंने स्थिति का स्पष्टीकरण कर दिया है । राज्य सरकार ने पहले ही 9 करोड़ रुपये खर्च किये हैं । हम इस कार्य को बीच में ही नहीं छोड़ सकते थे । यह एक बड़ा पत्तन बनने वाला है और हम इसे तृतीय योजना में भी शामिल नहीं कर सके ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : ऐसा पता चला है कि केन्द्रीय सरकार जो धन इस पत्तन में लगा रही है उस का वापिस भुगतान पत्तन प्राधिकार बाद में करेगा । क्या सरकार ने अनुमान लगाया है कि यह कब तक हो सकेगा ?

श्री राज बहादुर : सामान्य रूप से ऐसे होता है कि जो धन पत्तन में लगाया जाता है वह ऋण के रूप में दिया जाता है और फिर बाद में किश्तों में पत्तन प्राधिकार अपनी आय उसको वापिस भुगतान कर देता है । इस बारे में मैं ठीक अवधि नहीं बता सकता ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । क्या इस बात का अनुमान लगाया गया है कि यह कब तक वापिस चुका दिया जायेगा ? 9 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं और कुल 26 करोड़ का अनुमान है । क्या इसमें 20 या 30 वर्ष लग जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह कहा गया है कि यह पूरा होने वाला है ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : अन्य राज्यों को सुविधायें नहीं दी जाती हैं ।

श्री राज बहादुर : इस में आरंभ में 15 करोड़ रुपये लगे हैं । मेरे पास आंकड़ें नहीं हैं । हां, अनुमान लगाया जाना चाहिये था ।

Shri Sarjoo Pandey : This statement shows that this Project has been taken up by Central Government, because State Government could not

finance it. I want to know whether Central Government would take up such projects in other states also.

Mr. Speaker: It is a policy matter.

Shri Sarjoo Pandey : Mr. Speaker, it is an important matter.

Mr. Speaker: I do not say that it is not an important matter. Policy matters cannot be decided by questions.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Were there many complaints against officers of Paradeep port ; if so, what action has been taken in this regard ? Are those officers, members of the Committee ? What will be the procedure for the working of this committee ?

Shri Raj Bahadur : I have answered about those complaints.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: I want to know the number of persons against whom complaints have been received and the action taken in the matter ?

Mr. Speaker: It is a difficult to go into details at this moment.

श्री कपूर सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार की पहले की प्रार्थनाओं को क्यों नहीं माना गया और जब तक वहां पर भ्रष्टाचार नहीं बढ़ गया तब तक केन्द्रीय सरकार ने इसे अपने हाथ में क्यों नहीं ले लिया ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस का उत्तर दे दिया है ।

श्री राज बहादुर : आरम्भ में केन्द्रीय सरकार ने एक अन्तरिम पत्तन बनाने के लिये एक समिति नियुक्त की थी । परन्तु उड़ीसा सरकार वहां पर एक बड़ा पत्तन बनाने के लिये बहुत इच्छुक थी । इसी उद्देश्य को सामने रख कर उन्होंने इसके लिये उत्साह दिखाया। और भारत सरकार ने भी मंजूरी दे दी । यह कार्य राज्य सरकार अकेले नहीं कर सकती थी । ऐसी स्थितिमें हमने इसे अपने हाथ में लिया है। इस पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात किया जायेगा और विदेशी मुद्रा कमायी जायेगी ।

श्री कपूर सिंह : उन्होंने इसे भ्रष्टाचार का केन्द्र क्यों बनने दिया ?

अध्यक्ष महोदय : इस का उत्तर दे दिया है ?

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी: क्या यह सच है कि यह पत्तन 1 जनवरी से केन्द्रीय सरकार ने ले लिया है और प्रशासन को एक तार द्वारा इसकी सूचना दी गई? इसके लिए किसी विशेष अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है और पहले वाला प्रशासन ही कार्य संचालन कर रहा है। पहले की कठिनाईयां अब भी मौजूद हैं। चीफ इंजीनियर के विरुद्ध शिकायतों की जांच नहीं की गई है और वह अब भी पत्तन प्रशासन के इंचार्ज हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो जानकारी लेने की अपेक्षा अधिक जानकारी दे रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या तार देने के अतिरिक्त और भी कोई कार्यवाही की गई है । **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने इसका प्रशासन अपने हाथ में ले लिया है ।

श्री राज बहादुर: हां, यह ले लिया है । वहां पर चीफ इंजीनियर पूर्ण रूप से और प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय सरकार के प्रशासक हैं और केन्द्रीय सरकार की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अधीन कार्य करते हैं । हमें अधिकारी के कार्य पर पूरा विश्वास और संतोष है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : कार्य करना ही प्रश्न नहीं है ।

Shri Bhagwat Jha Azad: This statement shows that this has been done to give financial relief to the State Government. Is it not a fact that State Government apart from financial difficulties could not provide engineering competence and if so, whether Government had not examined in the beginning as to whether the State Government would be able to complete this big job ?Was this aspect examined in regard to this project ?

Shri Raj Bahadur : So far as the engineering competence is concerned the officer appointed byS tate Government was fully competent and he has done the job. I would like to say that so far as the question of setting up mechanical and loading plant is concerned, we have been taking assitance from foreign firms in other ports, but here this Chief Engineer has set up these plants himself on the basis of R.P.T. project report.

बेरोजगारी बीमा योजना

\+

*34. { **श्री राम सहाय पाण्डेय** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मि० सु० मूर्ति :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेरोजगारी बीमा योजना आरम्भ करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) अभी नहीं; योजना अभी तक विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते ।

Shri Ram Sahay Pandey : As the Government are considering over the unemployment Insurance and the principle of compensation, I want to know which classes would be benefitted by it ?

श्री जगन्नाथ राव : इस योजना के अन्तर्गत 40 लाख कर्मचारी आजायेंगे ।

Shri Tulsidas Jadav: Have you got any figures of the unemployed people in the country ?

Mr. Speaker: It is a separate question.

श्री दी० चं० शर्मा : इस बेरोजगारी के बीमे का कर्मचारियोंकी औसत मजूरी तथा भारत में प्रति व्यक्ति आय के साथ क्या अनुपात होगा ?

श्री जगन्नाथ राव : इस योजना के अन्तर्गत वे सब आजायेंगे जिन्हें कि बिना कारण ही बेरोजगारी का सामना करना पड़ जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : नहीं जी, इसका इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri Yashpal Singh : May I know whether any suggestions have been invited from the State Governments in this connection, if so, whether Government are in a position to tell that the scheme would be enforced in those areas where the population has gone up or in those areas whereit has decreased?

श्री जगन्नाथ राव : योजना विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों को परिचालित की गयी थी । उनके टिप्पण उपलब्धहुए हैं । अक्टूबर में होने वाले भारतीय श्रम सम्मेलन मेंइस योजना पर चर्चा की जायेगी ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती: क्या सरकार ने औद्योगिक तथा खनन संबंधी भविष्य निधि योजना के न्यासियों के पास पड़ी धन राशि के उपयोग की सम्भावनाओं पर विचार किया है ?

श्री जग न्नाथ राव : यह विचार नहीं है कि कर्मचारियों की भविष्य निधि का एकत्रित धन ले लिया जाय । हम तो एक ऐसी योजना का निर्माण करना चाहते हैं जो मालिकों और कर्मचारियों के अतिरिक्त अंशदान से चलायी जा ये। उसको चलाने का खर्च सरकार उठायेगी ।

Shri Onkar Lal Berwa: May I know the amount earmarked for this scheme and the classes to which it would be applied ? Will the unemployed students be covered by this scheme ?

श्री जगन्नाथ राव : आरम्भ मेंइस योजना के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि के और कोयला खान भविष्य निधि के सदस्य होंगे ।

Mr. Speaker : How much money has been earmarked for this ?

The Minister of Law and Social Security (Shri A. K. Sen): The amount of money has not yet been decided.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार ने आसाम चाय बागान कर्मचारियों के लिये बनाई गई बीमा योजना के उपबन्धों पर विचार किया हैं क्योंकि इसे बहुत ही अच्छी योजना माना गया है

और इसके अन्तर्गत डाक्टरी परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती और मालिकों तथा कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त अंशदान भी नहीं देना होता ? वर्तमान योजना आसाम योजना के मुकाबले में कैसी है ?

श्री जगन्नाथ राव : यह डाक्टरी बीमा योजना नहीं । जो कर्मचारी अस्थायी तौर पर बेकार हो जाते हैं वे इसके अन्तर्गत आते हैं ।

श्री अ० ना० विद्यालंकार: माननीय मंत्री का कहना है कि योजना अभी विचाराधीन है; मैं जानना चाहता हूं कि यह कब से विचाराधीन है क्या यह दूसरी योजना से ही सरकार के विचाराधीन नहीं रही ?

श्री जगन्नाथ राव: यह ठीक है कि समिति बनाई गई थी और योजना का निर्माण किया गया था । परन्तु अव्यवहारिक होने के कारण उस योजना को समाप्त कर दिया गया था। अब सामाजिक सुरक्षा विभाग ने नई योजना बनाई है। कर्मचारी भविष्य निधि, और कोयला खान भविष्य निधि के संयुक्त न्यासियों की बैठक में इस पर चर्चा की गयी थी। अक्टूबर में होने वाले भारतीय श्रम सम्मेलन में और इस पर आगे चर्चा होगी ।

श्री अ० कु० सेन: मेरा निवेदन यह है कि कार्यकारी दल ने, जो कि 1964 में नियुक्त किया गया था, अपना प्रतिवेदन 1965 में प्रस्तुत किया ।

Shri Vishram Parshad: What is the percentage of increase in unemployment, and the number of those who are registered and unregistered? Are Government taking any steps in the next five year plan to eradicate unemployment?

Shri A. K. Sen : These figures are not with me.

श्री अ० प्र० शर्मा : इस योजना को अन्तिम रूप देने में कितना समय अभी लगेगा ?

श्री जगन्नाथ राव : इस योजना पर अक्टूबर में भारतीय श्रम सम्मेलन में विचार होगा, यदि मालिक और कर्मचारी मान गए तो सरकार आगे कार्यवाही करेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी: क्या माननीय मंत्री का ध्यान नवभारत टाइम्स में प्रकाशित, उस विभाग के मंत्री के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ? वक्तव्य पढ़ने के बाद यह मालूम होता है कि सब कुछ अन्तिम रूप से हो चुका है और मालिक भी मान गये हैं। इस प्रकार के वक्तव्य जारी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री जगन्नाथ राव : जहां तक इस विभाग का सम्बन्ध है, योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। हम योजना बनाते हैं और कर्मचारी तथा मालिक उस पर अपनी आपत्तियां बता सकते हैं ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा: कितने बेकार लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे और पहली किस्त में इस मामले में बेकार लोगों को प्राथमिकता किस आधार पर दी जायेगी ?

श्री जगन्नाथ राव : इस योजना के अन्तर्गत 40 लाख लोग आयेंगे । योजना यह है कि छै मास का वेतन किस्तों में दिया जायेगा और वह नियोजकों और कर्मचारियों के अंशदान पर निर्भर होगा ।

Shri Gulshan: Is it a fact that unemployment is increasing and the victim labourers commit suicide ? Will the rural labour also be covered under this scheme ?

Mr. Speaker: They do not come under whatever has been stated already.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Has Government tried to find out the number of unemployed persons in the country and to see that this is applied to all the unemployed ?

Mr. Speaker : He has stated as to whom it would be applied to. Hon. member is taking the general question.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Has Government made any effort to find out its estimate ?

श्रीमती सावित्री निगम : पिछली योजना को क्यों छोड़ दिया गया ? इसका प्रारूप किसने बनाया था। क्या योजना बनाने वाली समिति में कोईविशेषज्ञ लिये गये थे, अथवा केवल विभागीय प्रमुखों ने ही इसे बनाया था ?

श्री जगन्नाथ राव : वह योजना अव्यावहारिक थी, अतः उसे छोड़ दिया गया। 19 नवम्बर, 1963 को राज्यों के श्रम मंत्रियों ने भी इस पर विचार किया और मत व्यक्त किया कि यह अव्यावहारिक है ।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहती है कि समिति में कोई विशेषज्ञ भी थे अथवा केवल विभागीय प्रमुख ही थे ।

श्री अ० कु० सेन : विशेषज्ञ भी हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : बेरोजगार बीमा योजना वहां लागूहोगी जहां कि भविष्यनिधि है। ठेके के श्रमिकों को सब से अधिक कठिनाइयां होती हैं,तो क्या कारण है कि इस वर्ग को इस योजना के अन्तर्गत नहीं लिया गया ?

श्री जगन्नाथ राव : आरम्भ मेंयहयोजना कर्मचारी भविष्य निधि और कोयला खान भविष्य निधि के सदस्यों पर लागू की जानी थी । शनैः शनैः यह सभी श्रमिक वर्गों पर लागू की जायेगी ।

श्रीमती रेणुका राय : यह योजना अपने आप ही श्रमिको के संगठित वर्ग पर लागू होगी, मैं यह जानना चाहती हूं कि सरकार उसके प्रशासन पर कितना खर्च करेगी वह रकम कहां तक उस कुलनिधि से ली जायेगी जो कि पिछड़े वर्गों के लिए पहले ही बहुत कम है ?

श्री अ० कु० सेन : विचार यही है कि सरकार प्रशासन का सारा व्यय वहन करेगी ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

श्री अ० कु० सेन : यह धन राशि सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के बजट से प्राप्त की जायेगी ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : अभी हाल उप मंत्री महोदय ने सदन को बताया है कि इसके अन्तर्गत वही लोग आयेंगे जो बेरोजगार होंगे और जो भविष्य निधि तथा कोयला खान बीमा योजना के अन्तर्गत आयेंगे । मैं यह जानना चाहती हूं कि इन दो श्रेणियों के कर्मचारियों को ही क्यों इसके अन्तर्गत लिया जा रहा है, अन्य ठेका श्रमिकों तथा अस्थायी कर्मचारियों को इस सामाजिक सुरक्षा के लाभोंसे क्यों वंचित किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या तर्क देने लगी हैं ।

Shri Rameshwara Nand : Unemployment is increasing, what are the reasons for that, and the steps the Government are taking to do away with this unemployment ?

Mr. Speaker: You and I both know the reasons.

Shri Rameshwara Nand: I don't know, I want to hear.

Shri Braj Raj Singh: Is there anybody in the Cabinet who can answer this question ?

श्री कपूर सिंह : वह यह जानना चाहते हैं कि बेकारी के कारणों का का रण क्या है। उन्हें वह बताया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : उस पर चर्चा यहां नहीं हो सकती । इस विषय को अनुपूरक प्रश्नों के अन्तर्गत नहीं लिया जा सकता । अगला प्रश्न ।

Shri Rameshwara Nand: I want to state that if we do not get reply here, where we would get the reply ? Come. this is the country's biggest institution. It controls the administration of the entire country. What are the reasons of unemployment, if we do not know here, where should we go ?

Mr. Speaker: This matter cannot be discussed as a supplementary, when we discuss the Fourth plan, then it may be asked.

चीनी का उत्पादन

+

*35. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कृनवल प्रभाकर :
श्री हेम राज :
श्री विश्वनाथ राय :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी का उत्पादन इतना बढ़ने की आशा है कि चौथी पंच वर्षीय योजना में भारत से विदेशों को होने वाला निर्यात बढ़ कर 5 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो जायेगा ;

(ख) क्या अमरीका और ब्रिटेन को छोड़ कर अन्य देश भी बढ़िया किस्म की भारतीय कच्ची खांड खरीदने के लिये तैयार हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि घिसी-पिटी और पुरानी किस्म की मशीनों का प्रयोग किये जाने के कारण उत्पादन की अधिक लागत उद्योग के लिये सदैव अड़चन बनती है ; और

(घ) यदि हां, तो उद्योग का वैज्ञानिकीकरण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) जी, हां । भारतीय कच्ची चीनी अन्य देशों को भी निर्यात की जा रही है ।

(ग) और (घ). जिन चीनी कारखानों ने अपने प्लांटों को आधुनिक बनाने के लिये कदम नहीं उठाये हैं, वहां घिसी-पिटी और पुरानी किस्म की मशीनों का प्रयोग होने के कारण उत्पादन की अधिक लागत बैठती है । हाल ही में, एक समिति द्वारा इसकी जांच की गयी है और उसकी रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती: घाटे को पूरा करने के लिये सहायता के रूप में उद्योग को कितनी रकम दी गयी है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : इस वर्ष यह सहायता लगभग 12 करोड़ रुपये की होगी ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती: चीनी की भारत में कीमत और अन्तर्राष्ट्रीय मंडी की कीमत के अन्तर को देखते हुए सरकार निर्यात के प्रोत्साहन के लिए क्या पग उठा रही है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : अन्तर्राष्ट्रीय मंडी की कीमतें कम हैं, अत: जब तक प्रति एकड़ उपज और गन्ने की किस्म में सुधार नहीं करते, कीमतें नीचे नहीं आ सकतीं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : इस वर्ष उत्पादन का अनुमान 32 लाख टन है । गत वर्ष उत्पादन 26 लाख टन था, इसे देखते हुए क्या सरकार पूरी तरह या आंशिक रूप से चीनी पर से नियन्त्रण हटाने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो किस स्तर पर यह सम्भव होगा ?

श्री दा० रा० चव्हाण : जी नहीं ।

श्री विश्वनाथ नाथ राय : इस बात को देखते हुए कि कुछ चीनी कारखाने उत्तर प्रदेश में 1930 में खोले गये थे, क्या उनमें पुराने पुर्जों की जगह नये पुर्जे लगाने के मामले में उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री दा० रा० चह्वाण : मैंने अपने मुख्य उत्तर में कहा है कि एक समिति की स्थापना की गई थी जिसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है वह सरकार के विचाराधीन है ।

Shri Naval Prabhakar: On the one hand it is hoped that Production be increased and on the other hand increase in price is also called for. I want to know how the prices would increase with the increase in production.

श्री दा० रा० चह्वाण : क्योंकि व्यय बहुत अधिक है ।

श्री हेम राज : क्या अभिनवीकरण की दृष्टि से मशीनरी का निर्माण देश में किया जायेगा अथवा उसका आयात होगा; यदि हां, तो निर्यात की हुई मशीनरी का मूल्य क्या होगा ?

श्री दा० रा० चह्वाण : देश के बहुत से निर्माता हैं जो चीनी उद्योग के लिए मशीनरी निर्माण करते हैं ।

श्री त्रिविव कुमार चौधरी : चीनी के निर्यात में जो हानि उठाई जाती है और जिसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है, क्या उसको सरकारी व्यय में लिया जाता है, अथवा यह केवल विदेशी मुद्रा कमाने के लिए ही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): यह व्यय विदेशी मुद्रा कमाने के विचार से सरकारी खर्च में ही लिया जाता है ।

Shri Sarju Pandey: The Minister has stated that there are factories which have old machinery and about which the inquiry is being done. I want to know whether Uttar Pradesh Government have asked for any aid from the centre for the repair of this machinery.

श्री दा० रा० चह्वाण : मैंने इसका उत्तर अभी दिया है . . .

अध्यक्ष महोदय : क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने मशीनरी को ठीक करने के लिए सहायता मांगी है ?

श्री बे० द० पुरी : चीनी के निर्यातके बारे में सरकार अन्तिम निर्णय करने में कितना समय लेगी ?

श्री दा० रा० चह्वाण : यह सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही सरकार कोई निर्णय करेगी ?

Shri Vishram Parshad : The Minister has stated that the loss is incurred because the Mills are not modernized. I want to know that how the Mills in India incur losses. What are the reasons for not modernizing the Mills ?

श्री दा० रा० चह्वाण : रिकवरी कम होने के कई कारण हैं, गन्ने की किस्म और वर्तमान उद्योग की क्षमता भी इसके कारण हैं ।

Shri Bibhuti Mishra: In our country a ton of sugar costs 1100 Rs. and its cost in foreign countries is £11. In this way, how the loss on 5 Million tons, which it intends to export would be made up ?

श्री दा० रा० चह्वाण : कार्यक्षमता को कायम रख कर ।

Shri Raghunath Singh: The railway fare for the sugar from U.P. and Bihar is 3 Rs. more than the corresponding railway fare for the sugar from South India. May I know whether Government propose to do something to see that we may not have to pay more for the sugar of U.P. and Bihar.

श्री दा० रा० चह्वाण : बात यह है कि चीनी की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें कम हैं । हमें चीनी वहां खरीदनी पड़ती है जहां उसकी फैक्टरी कीमत बहुत कम होती है । खास कर पश्चिम उत्तर प्रदेश में कीमतें बहुत अधिक हैं ।

श्री बासप्पा: हिरीयूर, मसूर राज्य में नये सहकारी मिलों की स्थापना हो चुकी है परन्तु अभी लाइसेंस नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : आप चीनी के साथ पत्थर क्यों ला रहे हैं ?

श्री बासप्पा : मिलों की स्थापना हो चुकी है, परन्तु लाइसेंस नहीं मिला, धन भी एकत्रित हो चुका है । क्या मंत्री महोदय लाइसेंस देने का कार्य शीघ्रता से करवा देंगे ?

श्री दा० रा० चह्वाण : लाइसेंस शीघ्र ही जारी किया जायेगा ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : चीनी एक निर्यात-योग्य वस्तु है और इससे विदेशी मुद्रा के उपार्जन में सहायता मिलती है । कुछ उपदान भी दिये गये हैं । इसकी कीमत कम करने के लिये क्या कदम

उठाये जा रहे हैं जिससे कि अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में हम मुकाबला कर सकें और अधिक विदेशी मुद्रा का उपार्जन कर सकें ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह घाटा कम करने के लिए सरकार कई कदम उठाने का विचार कर रही है, परन्तु हमारे कोई भी कदम उठाने के बावजूद हमें चीनी के निर्यात के लिये उपदान देना पड़ेगा । एक समिति नियुक्त की गई है और यह बड़े-बड़े कारखानों की स्थापना के विषय पर विचार कर रही है जिससे मान में मितव्ययता के कारण दक्षता में वृद्धि होगी और चीनी की लागत में कमी होगी, और इससे उपदान में काफी कमी हो जायेगी ।

Shri Daljit Singh : Just now the hon. Minister told that the production of sugar was increasing. There is a great difference between the quota fixed for villages and that fixed for cities, for which rural people are displeased. In rural areas the quota of sugar per individual is 250 gms and one kilo in cities I want to know when would this injustice be removed ?

श्री दा० रा० चव्हाण : माननीय सदस्य का निर्देश चीनी के वितरण की ओर है । हम राज्य सरकार को चीनी का अलाटमेंट कर दे ते हैं, और फिर राज्य सरकार स्वयं वितरण करती है । माननीय सदस्य का निर्देश किस राज्य की ओर है, मैं नहीं जानता ।

Shri Daljit Singh : When this question is raised in the Punjab State Assembly, they say that it is under the centre and when it raised in the Centre, it is said that it is a State subject ; I would like to know who could decide it ?

श्री पु० र० पटेल : इस वर्ष वर्षा अधिक आशाज नक नहीं लगती । क्या इससे गन्ने की खेती पर और उससे चीनी के उत्पादन पर भी असर पड़ेगा, और यदि हां, तो निर्यात करने के बजाय सरकार ने कितनी चीनी सुरक्षित भण्डार में रखी है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : अभी यह पूर्वानुमान लगाना कठिन है कि वर्षा कितनी होगी और उससे 1965-66 की फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि चीनी का निर्यात मूल्य जहाज तक निःशुल्क 11 रुपये फी मन है, जिससे चीनी के कारखानों को 9 से 10 रुपये फी मन पड़ता है, जब कि पहले उनको 80 रुपये मन मिलते थे ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अन्तर्राष्ट्रीय भाव नीचे गिर गये हैं । पन्द्रह महीने पहले भाव लगभग 100 पौंड था और अब वह 19 से 20 पौंड तक गिर गया है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के भावों में काफी गिरावट आई है ।

श्री रंगा : इस तथ्य को देखते हुए कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में उतार-चढ़ाव होते रहते हैं और सरकार की इसनीति को देखते हुए कि वह नये लाइसस केवल सहकारी कारखानों अथवा सरकारी कारखानों को दे रही है, सरकार मान में मितव्यय ता करने के लिये जो बड़े बड़े कारखानों की स्थापना पर विचार कर रही है, क्या उससे इस देश में सहकारी कारखानों की स्थापना असंभव नहीं हो जायेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: इन बड़े बड़े कारखानों से सहकारी कारखानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि सहकारी कारखाने आन्तरिक उपभोग के लिये उत्पादन करेंगे और बड़े कारखाने केवल निर्यात के लिये उत्पादन करेंगे ।

Movement and Prices of Foodgrains

\+
*36. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K.N. Tiwary :
Shri P.C. Barooah :
Shrimati Tarkeshwari Sinha :
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have amended the Defence of India Rules making it obligatory on the part of all State Governments to get prior concurrence of the Central Government before issuing any orders to regulate the movement and control the prices of foodstuffs including essential oils and oilseeds ; and

(b) if so, its impact on the availability of foodstuffs and oils in the country?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) जी हां। उस संशोधन में यह अपेक्षित है कि खाद्य तिलहन और तेलों सहित खाद्य पदार्थों के स्थानान्तरण अथवा परिवहन को विनियमित करने के लिये तथा ऐसे खाद्य पदार्थों के मूल्यों का नियंत्रण करने के लिये राज्य सरकारें भारत प्रतिरक्षा नियमों के नियम 125 के उपनियम (2) और (3) के अधीन कोई आदेश जारी करने से पहले केन्द्रीय सरकार से सहमति प्राप्त कर ले।

(ख) यह इसलिये किया गया है कि राज्य सरकारें सर्वसम्मत अखिल भारतीय नीति की उपेक्षा करके कोई इकतरफा कार्यवाही न कर सकें। इससे विभिन्न राज्यों में कीमतों का अन्तर दूर करने में मदद मिलेगी और खाद्यान्नों का समुचित वितरण हो सकेगा।

श्रीमती रेणुका राय : क्या प्रश्न संख्या 56 को इसके साथ जोड़ा जा सकता है ?

एक माननीय सदस्य : क्या प्रश्न संख्या 49 को इससे जोड़ा जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रश्न संख्या 49 और 56 को इसके साथ जोड़ा जा सकता है? क्या माननीय मंत्री उनका उत्तर इकट्ठा देने के लिये तैयार हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : प्रश्न संख्या 56 का प्रश्न संख्या 36 से कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Bibhuti Mishra : In Bihar, rice is selling at Rs. 50 to 60 p er maund in free market and there is a deficit of 11 million tons in Bihar. As mentioned by the hon. Minister that he has amended the Defence of India Rules, I want to know the quantity of foodgrains being supplied to Bihar by the Centre and any other State to meet its deficit of 11 million tons ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुख्य प्रश्न भारत प्रतिरक्षा नियमों में संशोधन के बारे में है। माननीय सदस्य ने एक बिल्कुल अलग प्रश्न पूछा है।

Shri Bibhuti Mishra : The hon. Minister in his main reply told that in order to control the prices of foodgrains, Defence of India Rules were being amended ; in this connection I want to know as to when there is a shortage of 11 million tons and rice is selling at Rs. 60 per maund, how do the Government propose to control the prices until they supply the foodgrains in sufficient quantity ? What steps do the Central Government propose to take in this connection ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : भारत प्रतिरक्षा नियम में संशोधन इसलिये किया गया है कि बिहार से चावल अन्य राज्यों में न जा सके और बिहार में कमी और न बढ़ जाये। जहां तक सप्लाई करने का प्रश्न है, हम बिहार को अधिक से अधिक दे रहे हैं। परन्तु यह 110 लाख टन की कमी के बारे में मैं पहली बार सुन रहा हूं।

श्री श्रीनारायण दास : यह 11 लाख टन है।

श्री विभूति मिश्र : 11 मिलियन नहीं, 11 लाख टन।

The Gujarat Government have banned the export of raw material from which groundnut oil is extracted as a consequence of which the price of oil has increased ; I want to know whether the amendment of Defence of India Rules will have any effect ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: गुजरात में मूंगफली और मूंगफली के तेल के बारे में कुछ कठिनाई उत्पन्न हुई थी। वह मूंगफली को दूसरे राज्यों में जाने से रोकना चाहते हैं। इस संशोधन के अनुसार तेल के स्थानान्तरण का विनियमन करने तथा मूल्यों पर नियंत्रण करने के लिये राज्य सरकार को केन्द्र की सहमति प्राप्त करनी पड़ती है।

श्री क० ना० तिवारी: क्या यह सच है कि राज्य सरकारें, विशेषतया उन राज्यों की सरकारें, जहां अतिरिक्त अनाज है, अपने अपने राज्यों में अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के बारे में, केन्द्रीय सरकार का पूर्व-सहमति के बिना, आदेश जारी कर रही हैं, और इससे अनाज की उपलब्धता पर बुरा असर पड़ रहा है ? यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसीलिये इस आदेश का संशोधन किया गया है। इस संशोधन से पहले कोई राज्य सरकार अनाज तथा भक्ष्य तेलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा सकती थी। अब राज्य सरकारों के लिये यह अनिवार्य हो गया है कि प्रतिबन्ध लगाने पहले वे केन्द्रीय सरकार की सहमति प्राप्त कर लें। जो प्रयोजन मेरे माननीय मित्र चाहते हैं वह इस संशोधन से पूरा हो जायेगा।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि अनाज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना विनियमित करने के लिये व्यापक शक्तियों के बावजूद, 40 प्रतिशत से अधिक अनाज मण्डी में से नहीं आया है, क्योंकि इसे किसानों ने अपने पास रोक रखा है ? यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: यह बिल्कुल विभिन्न समस्या है। राज्य सरकारें अनाज वसूल करने के बारे में भी विचार कर रही हैं कि उत्पादकों से लिया जाये अथवा व्यापारियों से।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या इन आदेशों को जारी करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे अतिरिक्त गेहूं उत्पादक राज्यों को मूल्य कम करने के लिये कहा है ? यदि हां, तो क्या उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया है अथवा वे सहमत हो गई हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : घटाने अथवा बढ़ाने के बारे में मुझे कुछ नहीं पता।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : पंजाब सरकार के एक सरकारी प्रवक्ता ने एक वक्तव्य में बताया था . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने बताया है कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: क्या उनका ध्यान पंजाब सरकार के उस वक्तव्य की ओर दिलया गया है जिसमें उसने कहा है कि यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने उन्हें भाव घटाने के लिये कहा है, परन्तु वह घटा नहीं सकते ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने उन्हें गेहूं का दाम घटाने के लिए नहीं कहा है ।

Shri Onkar Lal Berwa : Which are the States which have given their concurrence and what action has been taken by the Government in regard to the increase in prices of foodgrains, oils etc. after the introduction of controls and what is the number of cases detected so far in this connection ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: यह इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता, क्योंकि यह उत्पादन के बारे में नहीं है।

Shri Onkar Lal Berwa : Does it not come within the scope of the question as to which of the States have agreed to this arrangement ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सहमत होने या न होने का प्रश्न ही नहीं उठता । हमने इस कानून को पास कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या किसी राज्य ने आपत्ति की है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: निस्संदेह, कुछ लोगों ने आपत्ति की थी । परन्तु अब वे सहमत हो गये हैं ।

श्री रंगा : क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि जिला कलक्टर भी रेलवे अधिकारियों को आदेश जारी कर रहे हैं कि चावल उत्पादक क्षेत्रों से चावल उपभोग के क्षेत्रों के लिये चावल भेजा जाये, न केवल जोनके बाहर बल्कि अन्दर भी । ऐसा अधिकार जिला कलक्टरों को देने से पहले क्या केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया गया था ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है । स्पष्टतः वे अपने अन्तर्निहित अधिकार का प्रयोग कर रहे थे। अब उनको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि वह ऐसा काई आदेश जारी न करें । इस संशोधन का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य सरकारें शक्तियों को अपने हाथ में लेकर रेलवे को आदेश जारी न करें कि वह माल भेजें या न भेजें ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या प्रतिरक्षा नियमों के संशोधन से पूर्वी राज्यों को सरसों का तेल मिल गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह सब इसलिये किया गया है कि राज्य सरकारें बिना बातचीत किये इकतरफा कार्य न करें । जहां तक सरसों के तेल का सम्बन्ध है, बंगाल में इसकी कमी बढ़ रही है और हम इसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त होता है।

Shri Sarjoo Pandey : I want that the Question No. 56 should be answered because the food situation in the country is very serious.

Mr. Speaker : When I had asked whether this question could be clubbed I was told that it was a different question. When the Question Hour is over a question can only be put if the Minister agrees to reply.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

नये जहाजी कारखाने

*37. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मधु लिमये :
श्री रा० बरुआ :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की जलपोतों संबंधी आवश्यकतायें पूरी करने के लिये अधिक जहाजी कारखाने बनाने की वांछनीयता पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके परिणाम क्या हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) कोचीन में दूसरा शिपयार्ड बन रहा है ।

कृषि बैंक

*38. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 30 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 654 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि बैंक कायम करने के बारे में इसबीच कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक हो जायेगा?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख). कृषकों को ऋण सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने के लिए पृथक कृषि बैंक स्थापित करने के विषय में अभीतक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। केन्द्र ने ऋण के लिए विकल्प व्यवस्था तैयार करने के प्रस्ताव पर विचार किया है। अब राज्य सरकारों का मत जानने के लिए इसे उनके पास भेजा जा रहा है । राज्य सरकारों के मत को दृष्टि में रखते हुए ही इस विषय पर आगे विचार किया जायेगा ।

कृषि उत्पाद मूल्य आयोग का प्रतिवेदन

*39. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री विभूति मिश्र :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री जेधे :
श्री पु० र० पटेल :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री बसवन्त :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रा० बरुआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पाद मूल्य आयोग की मंत्रणा पर तथा विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों की सलाह से 1965-66 की खरीफ की फसल में पैदा होने वाले अनाजों के निम्नतम मूल्य निर्धारित कर दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4489/65]।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

*40. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बृजराज सिंह :
श्री बड़े :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री 23 फरवरी, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 103 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्य-संचालन का पुनर्विलोकन करने के लिये नियुक्त की गई समिति का प्रतिवेदन अब मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) नहीं, जी।

(ख) और (ग) बात नहीं उठती ।

गोंडा संसदीय चुनाव

*41. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या विधि मंत्री 23 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 538 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोंडा संसदीय चुनाव सम्बन्धी जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य उपपत्तियां तथा निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) जीनहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Jurisdictional Conflict between Legislature and Judiciary

*42. **Prakash Vir Shastri:**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri P. C. Borooah :
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shrimati Tarkeshwari Sinha :
Shri Hem Raj :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision regarding the conflict on the question of privileges between the legislatures and the judiciary; and

(b) if so, the reaction of Government to the Resolution passed at the Presiding Officers' Conference held at Bombay in January, 1965 ?

The Minister of Law (Shri A. K. Sen) : (a) No. Government is awaiting the final decision in Keshav Singh's writ petition. It is understood that Keshav Singh has applied to the Allahabad High Court for certificate for leave to appeal to the Supreme Court against the decision of that High Court upholding the punishment imposed on him by the U.P. Legislative Assembly.

(b) The Resolution passed at the Presiding Officers' Conference will no doubt be given due consideration by Government when taking a decision in the matter.

मद्रास बन्दरगाह में विस्फोट

*43. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री अ० व० राघवन :
श्री केप्पन :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :
डा० श्रीनिवासन :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 3 जून को मद्रास पत्तन में विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इससे कितने व्यक्ति मरे तथा जख्मी हुये;

(ग) क्या घटना की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) मरने वाले व्यक्तियों की संख्या 3
घायल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 27

(ग) और (घ) दक्षिणी रेंज के विस्फोटक निरीक्षक और मदरास के पुलिस कमिश्नर द्वारा दुर्घटना की जांच की गयी है। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता

*44. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब वे आस्ट्रेलिया में थे तो उन्होंने यह वक्तव्य दिया था कि भारत दस अथवा पन्द्रह वर्षों में खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो जायेगा;

(ख) उस वक्तव्य का आधार क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर पुनर्विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ). एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

मैंने आस्ट्रेलिया में अपने वक्तव्य में कहा था कि मेरा प्रयत्न यह होगा कि हम आगामी पांच वर्षों में अनाज के विषय में आत्म-निर्भर हो जायें । मुझे वैज्ञानिकों ने विश्वास दिलाया है कि यदि हम ठीकढंग से कार्य करें तो यह सम्भव हो सकता है ।

राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में कृषि उत्पादन के महत्व को देखते हुए कृषि विकास के कार्यक्रमों को उच्चतम प्राथमिकता दिये जाने का प्रस्ताव है । इस मामले पर निरन्तर विचार हो रहा है ।

यह निश्चय किया गया है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में कृषि कार्यक्रम तैयार करते समय निम्नलिखित मोटी-मोटी बातों को दृष्टि में रखा जायेगा :—

(1) विज्ञान तथा तकनोलौजी के प्रयोग के लिए व्यवस्थितढंग से प्रयत्न करना; (2) अधिक उपयुक्त आर्थिक वातावरण तैयार करना; (3) कृषि के लिए विस्तार तथा सामुदायिक गतिशीलता सम्बन्धी कार्यों को सुदृढ़ करना; (4) पर्याप्त सप्लाई तथा संसाधनों को सुनिश्चित करना; और (5) ऐसे क्षेत्रों में जहां पर कि निश्चित रूप से वर्षा होती है और जहां शीघ्र उत्पादन बढ़ने की सम्भावनायें मौजूद हैं, कृषि कार्यक्रमों में अधिक से अधिक तेजी लाना ।

दक्षिणी खाद्यान्न खण्ड

*45. **श्री मोहम्मद कोया :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० पू० ना० खां :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हेडा :
श्री बासप्पा :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल खाद्यान्न सलाहकार परिषद् ने सुझाव दिया था कि खाद्यान्नों के लाने-ले जाने के सम्बन्ध में पुरानी दक्षिणी खण्ड व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) केरल खाद्यान्न सलाहकार परिषद् ने यह विचार व्यक्त किया था कि पुराना दक्षिणी चावल क्षेत्र जो कि अक्तूबर, 1964 से पहले बना हुआ था, पुनःस्थापित किया जाए ।

(ख) सरकार समझती है कि पुरानी दक्षिणी-क्षेत्र प्रणाली को पुनः स्थापित करने के लिये परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन जो 22 जुलाई और 6 अगस्त, 1965 को हुआ था, उसमें वर्तमान क्षेत्रीय व्यवस्था के जारी रखने अथवा बन्द करने और खाद्यान्नों के लाने और ले जाने के अन्य प्रतिबन्धों के सामान्य प्रश्न पर चर्चा हुई थी और यह निर्णय हुआ कि फिलहाल वर्तमान प्रतिबन्ध जारी रहें।

Election Symbols

*46. **Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :
Shri Brij Raj Singh:

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether the Election Commission has got any proposal to allow the political parties to have their election symbols even in those States where they have not been recognised ; and

(b) if so, when a final decision is likely to be taken in this regard ?

The Minister of Law (Shri A. K. Sen) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

भागिरथी नदी के तल से मिट्टी निकालना

*47. **श्री च० का० भट्टाचार्य :**
श्री कपूर सिंह :
श्री गुलशन :
श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भागीरथी को परिवहन योग्य बनाये रखने के लिये इसकी मिट्टी निकालने के काम की लागत का कुछ भाग देने के लिये कलकत्ता पत्तन अधिकारियों ने केन्द्र सरकार से कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) पत्तनकमिश्नरों को यह सलाह दी गयी है कि इस दृष्टि से कि सामान्यतः प्रत्येक पत्तन ट्रस्ट वित्तीय तौर से स्वायत्त है और उससे यह आशा की जाती है कि वह पत्तन प्रभार से समंजन द्वारा पत्तन व्यय के खर्च को पूरा कर आत्म-निर्भर हो।

अनाज की अधिप्राप्ति

*48. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रभात कार :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री पें० वेंकट्टा सुब्बया :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के खाद्य निगम ने आज तक कितना चावल और गेहूं प्राप्त किया है ; और

(ख) कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और कितने प्रतिशत लक्ष्य पूरा हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने चावल की सीधी अधिप्राप्ति का काम अब तक केवल पांडेचरी में ही शुरू किया है और निगम ने अब तक चावल की लगभग 3,300 मीट्रिक टन की एक मात्रा खरीदी है जबकि लक्ष्य 3,000 मीट्रिक टन का था। अन्य दक्षिणी राज्योंमें निगम केवल अधिप्राप्ति के बाद के कामों में लगा हुआ है। निगम को अभी गेहूं की अधिप्राप्ति का काम नहीं सौंपा गया है।

(ख) पांडेचरी के सम्बन्ध में निगम के लक्ष्य में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अन्य राज्यों के बारे में निगम द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे।

गहूं के अधिकतम मूल्य

*49. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं के अधिकतम कानूनी भाव निर्धारित न करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या यह निर्णय धान के बारे में अपनाई गई नीति से भिन्न है; और

(ग) गेहूं के कानूनी भाव निर्धारित न करने के कारण क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) मुख्य मन्त्रियों के साथ परामर्श करने के बाद यह निर्णय किया गया कि अधिकतम भाव निर्धारित करने या न करने का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाए।

(ख) जी हां।

(ग) जैसा कि ऊपर के भाग (क) में बताया गया है, यह राज्य सरकारों के निर्णय पर छोड़ दिया गया कि वे भावों और सप्लाई के बारे में स्थानीय स्थिति, मण्डियों में आमद पर प्रभाव और अधिकतम भावों को लागू करने में उनकी अपनी योग्यता को ध्यान में रख कर, गेहूं के अधिकतम भाव निर्धारित करें। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारोंने गेहूं के सांविधिक अधिकतम भाव निर्धारित किये हैं जबकि अन्य राज्यों में गेहूं के अधिकतम भाव सांविधिक रूप से निर्धारित नहीं किये गये हैं।

चावल का समाहार

*50 श्री दाजी :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्रीमती विमला देवी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बासप्पा :
श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री वारियर :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडारों के लिये चावल प्राप्त करने के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि अनाज लेते तथा वितरण करते समय अनाज असम्बद्ध व्यक्तियों को प्राप्त हो जाता है; और

(घ) अनाज ऐसे लोगों के हाथ न लगे इस उद्देश्य से क्या सरकार का विचार केवल खाद्य निगम द्वारा चावल खरीदे जाने की प्रणाली लागू करने का है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). वर्तमान फसल सीजन में केन्द्रीय स्टाक के लिये चावल खरीदने का निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है। क्योंकि फसल सीजन अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिये यह कहना असम्भव है कि निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में किसी प्रकार की कमी रहेगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

उर्वरक की कमी

*51. श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री पें० वेंकट्टासुब्बय्या :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों तथा किसानों से अभ्यावेदन मिला है कि उन राज्यों में रासायनिक खादों की अत्यधिक कमी है तथा वे चोर बाजार में बिक रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां, कुछ राज्य सरकारों, जैसे आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात ने उर्वरकों की सप्लाई की वृद्धि के लिए अभ्यावेदन भेजे हैं ताकि खाद डालने वाले चालू मौसम के दौरान उर्वरकों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। संसद् सदस्य तथा आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण कृषकों के संगठन से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उर्वरकों की कमी के कारण वे चोर बाजार में बिक रहे हैं। अभ्यावेदन जांच-पड़ताल तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए सरकार के पास भेज दिए गए हैं।

(ख) उर्वरकों की सीमित उपलब्धि के कारण राज्य सरकारों की आवश्यकतायें पूर्णतया पूरी नहीं की जा सकतीं। फिर भी उपलब्ध सप्लाई को बराबर-बराबर वितरित करने के लिए कदम उठाये गये हैं हवाई अड्डों और कारखानों से भेजे जाने के कार्य पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। रेल द्वारा माल लाने ले जाने को अनुपूरित करने की दृष्टि से सड़क द्वारा लाने ले जाने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। चूंकि उर्वरक नियन्त्रण आदेश, 1957 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पूल उर्वरकों के मूल्य नियन्त्रित किये जाते हैं, राज्य सरकार उन मामलों में उपयुक्त कार्यवाही करेगी जिनमें नियन्त्रण आदेश का उल्लंघन सिद्ध होगा।

संयुक्त राष्ट्र अमरीका से गहूं का आयात

*52. **श्री जसवन्त मेहता** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका से कितने गेहूं का आयात किया गया;

(ख) खाद्य वाहकों को इस वर्ष विदेशी मुद्रा की कितनी राशि दी गई; और

(ग) खाद्यान्नों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का खर्च प्रति टन कितना पड़ता है जिसमें जहाजों से उतारने का खर्च, बारदाने की लागत, बोरियां भरने, माल डिब्बों में लदान, रेल भाड़ा तथा पहुंच के स्थान पर माल के उतारने का खर्च शामिल है?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) वर्ष 1965 में 31 जुलाई, 1965 तक 3285 हजार मीट्रिक टन।

(ख) 30 जून, 1965 तक 8.08 करोड़ रुपये भाड़े खाते में।

(ग) रु० 86.80 मीट्रिक टन जिसमें पूंजी पर ब्याज, मार्ग/संचयन में हानि और कम उतरान के कारण हुये नुकसान शामिल हैं।

उड़ीसा में चुनाव

*53. **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री श० ना० चतुर्वेदी
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री रा० बरुआ :
श्री द्वारकादास मंत्री :
श्री बसुमतारी :

क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में मध्यावधि चुनावों को स्थगित करके वहां भी सामान्य निर्वाचन के दौरान ही निर्वाचन कराने का कोई प्रस्ताव है?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि नयी सभा गठित करने के लिए उड़ीसा में सामान्य निर्वाचन कब कराये जाएं।

हल्दिया पत्तन

*54. श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :

क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दिया पत्तन के निर्माण के लिये विश्व बैंक से ऋण की मंजूरी के सम्बन्ध में कुछ नई कठिनाइयां पैदा हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऋण के मिलने में क्या अड़चनें आ रही हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). सवाल ही नहीं उठता है।

दिल्ली दुग्ध योजना

*55. श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री वारियर :
श्री प्रभात कार :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री कर्णीसिंहजी :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के प्रशासनढांचे में परिवर्तन होने के बाद उसके कार्य संचालन में कुछ सुधार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो किस दिशा में ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां ।

(ख) दूध की प्राप्ति, वितरण तथा योजना के सामान्य कृत्यों में सुधार हुआ है ।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

अनाज की कीमतें

*56. श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री अब्दुल गनी गोनी :
श्री समनानी :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री जेघे :
श्री वी० भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में देश में प्रत्येक राज्य में गेहूं, चावल तथा दालों की थोक तथा खुदरा कीमतें क्या थीं और वे गत वर्ष इसी अवधि में विद्यमान कीमतों की तुलना में कैसी हैं ;

(ख) क्या कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिये किये गये उपाय सफल सिद्ध हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कहां तक ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): (क) (1) एक विवरण । अनुबन्ध-1) जिसमें मई, जून और जुलाई, 1965 के महीनों में गेहूं, चावल और दालों के थोक भावों के अखिल भारतीय सूचकांक की गत वर्ष के इन्हीं महीनों के साथ तुलना की गयी है, सभा के पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०--4490/65]**

(2) चुने हुये केन्द्रों पर गत तीन महीनों और गत वर्ष की उसी अवधि में चावल, गेहूं और चना के जोक थोक भाव रहे, उनके बारे में एक विवरण (अनुबन्ध-2) सभा के पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-4490/65]**

(3) विवरण (अनुबन्ध 3) जिसमें चुने हुये केन्द्रों पर चावल, गेहूं और चना के खुदरा भाव दिये गये हैं, सभा के पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4490/65]**

(ख) और (ग). खरीफ और रबी की नई फसलों के आने से इस वर्ष के आरम्भ में खाद्यान्नों के भावों में नरमी का रुख आया । चावल के थोक भावों का अखिल भारतीय सूचकांक जो सितम्बर, 1964 में 146 था वह गिर कर जनवरी, 1965 में 128 पर आ गया । गेहूं के थोक भावों का सूचकांक जनवरी, 1965 के 151 से गिर कर मई, 1965 में 130 पर पहुंच गया । दालों के थोक भावों का सूचकांक जो कि जनवरी, 1965 में 196 पर था वह गिर कर जून, 1965 में 151 पर आ गया । कुल मिला कर अनाजों का सूचकांक सितम्बर, 1964 के 151 से गिर कर मई, 1965 में 137 पर आ गया ।

जून, 1965 तक भावों में बराबर गिरावट या स्थिर रहने का रुख देखा गया है। इससे भावों को बढ़ने से रोकने के लिये अपनाये गये कई उपायों की सफलता का संकेत मिलता है, जून, 1965 के अन्त से भावों में मौसम सम्बन्धी बढ़ोतरी होनी शुरू हुई और मानसून के देर से आने से इन्हें और भी बल मिला है।

एशियाई राजमार्ग

***57. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में बैंगकाक में मन्त्री स्तर पर हुई एशिया तथा दूर-पूर्व के लिये आर्थिक आयोग की बैठक में सदस्य राष्ट्रों से एशियाई राजमार्ग के अपने-अपने भाग को अधिक से अधिक 1970 तक पूरा करने का आग्रह किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो राजमार्ग का वह हिस्सा तथा उसकी लम्बाई कितनी है जिसके लिये भारत सरकार जिम्मेदार है ; और

(ग) इस परियोजना पर सरकार का कितना खर्च होने की सम्भावना है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहिउद्दीन):(क) से (ग). शायद माननीय सदस्य एशिया और सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग की एशियन हाई वे कोआपडिनेटिंग कमेटी की बैठक के बारे में संकेत कर रहे हैं जो बैंकाक में 28 और 29 अप्रैल, 1965 को हुई थी । कमेटी ने सिफारिश की थी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इकाफे क्षेत्र के सब देशों को जोड़ने वाला कम से कम एक सीधा मार्ग स्थापित करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये, चाहे इसमें एक से अधिक मार्गों का मेल करके

हो क्योंकि नहों। इस ध्येयको पूरा करने के लिये कमेटी ने प्राथमिक कार्यरूप देने के लिये कुछ चुने हुये मार्गों की सिफारिश की थी जिसमें भारत निम्न मार्गों के सैक्शनों से सम्बन्धित है:--

1. मार्ग--ए--1 जो बजारगनको ईरान/टर्की सीमान्त पर वियतनाम में सैगांव से मिलाता है।

भारत के अन्तर्गत यह मार्ग भारत से पश्चिम पाकिस्तान सीमा पर अमृतसर के निकट से शुरू होता है और भारत-बरमा सीमा पर पल्ले तक जाता है भारत में इस मार्ग की सम्पूर्ण लंबाई 2860 किलोमीटर है। एशियन हाईवे के लिये इकाफे द्वारा रखे गये न्यनतम मानकों की पूर्ति यह सड़क करती है।

2. मार्ग ए--2---सिंगापुर को ईरान/ईराक सीमा से मिलाने वाला।

भारत के अन्तर्गत यह मार्ग भारत से पश्चिम पाकिस्तान सीमा पर फीरोजपुर के निकट से शुरू होता है और नैपाल होता हुआ पूर्वी पाकिस्तान सीमा में गलगालिया के निकट तक जाता है। भारत में इस मार्ग की सम्पूर्ण लम्बाई लगभग 900 किलोमीटर है। न्यूनतम अन्तराष्ट्रीय मानकों तक इस सड़क को लाने के लिये 1.30 करोड रुपये के निर्माण कार्य की आवश्यकता होगी। इस कार्य को अपने सड़क विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में यथासमय भारत करेगा।

खाद्य निगम के कार्यालय

*58. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री दे० जो० नायक :
डा० महादेव प्रसाद
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के खाद्य निगम ने हाल में विभिन्न राज्यों में कुछ नये कार्यालय खोले हैं; और

(ख) यदि हां, तो निगम ने कहां तक काम आरम्भ कर दिया है?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां। भारतीय खाद्य निगम ने आन्ध्र प्रदेश, केरल, मद्रास और मैसूर राज्यों में क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय तथा जिला कार्यालय स्थापित कर दिये हैं। निगम ने हाल में चण्डीगढ़ में भी एक क्षेत्रीय मैनेजर नियुक्त किया है।

(ख) 1-4-1965 से भारतीय खाद्य निगम ने उन गोदामों को छोड़ कर, जो कि केन्द्रीय सरकार को पत्तनों पर अनाज रखने के लिये चाहियें, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर और केरल राज्यों के सभी केन्द्रीय संचयन गोदामों को अपने अधिकार में ले लिया है। निगम ने इन गोदामों में रखा गेहूं और चावल का स्टाक भी ले लिया था। निगम अब इस क्षेत्र में संचयन, किस्म नियन्त्रण और स्टाक के संचलन का काम कर रहा है। आन्ध्र प्रदेश और मद्रास में चावल की अधिप्राप्ति का काम अब भी राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है और खाद्य निगम केवल किस्म पर नियन्त्रण रखने, स्टाक की

कीमत के भुगतान और निर्यात योग्य बेशी माल के अन्तर्राज्यीय संचय सम्बन्धी प्रबन्ध करने के काम करता है। मैसूर राज्य में राज्य सरकार के खाते में रखा स्टाक भी निगम को संचयन और निर्गम करने के लिये दिया जा रहा है। आन्ध्र प्रदेश की संचयन के लिये अपना स्टाक निगम को देने के लिये राजी हो गया है। खाद्य निगम पांडेचरी में चावल की सीधी खरीदारी भी कर रहा है।

निगम ने गेहूं की अधिप्राप्ति का काम नहीं लिया है तथापि, इसने दक्षिणी राज्यों की रोलर आटा मिलों द्वारा उत्पादित गेहूं के पदार्थों के वितरण का काम ले लिया है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये इल्यूशिन—18"

*60. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री केप्पन :
श्री दे० द० पुरी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत यूनियन ने इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को देश के अन्दर के मार्गों पर उड़ान के लिये 'इल्यूशिन' 18 विमान का सुधरा हुआ नमूना देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो कितने और किन शर्तों पर ; और

(ग) क्या इन विमानों के भारत में प्रयोग किये जाने की उपयुक्तता का अनुमान लगाया गया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग). रूस में निर्मित इल्यूशिन—18 विमानों के भारत में प्रयोग किये जाने की उपयुक्तता का अनुमान लगाने के लिए वी/ओ एविए एक्सपोर्ट, मास्को ने, जो रूस में एवियेशन का कारोबार करते हैं, भारत में प्रदर्शन उड़ानें करने को प्रस्तुत हुए। यह विमान भारत में 28 मई, 1965 को पहुंचा। प्रदर्शन उड़ानें विभिन्न मार्गों पर की गयीं और विमान का मूल्यांकन करने के लिए नागर विमानन के महानिदेशालय और इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के तकनीकी अधिकारियों को इन उड़ानों के साथ सम्बद्ध किया गया। प्रदर्शन उड़ानें 11 जून, 1965 को पूर्ण हुईं। इस विमान के भारत में चलाये जाने की उपयुक्तता का अनुमान लगाया जा रहा है। विमान के खरीदे जाने के विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

बड़ागरा प्रकाश स्तम्भ

*63. श्री अ० व० राघवन :
श्री अं० काट्ट :
श्री केप्पन :

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में बड़ागरा प्रकाश स्तम्भ के डिजाइन को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ होगा और कब पूरा होगा ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) राज्य सरकार द्वारा प्रकाश स्तम्भ के डिजाइन को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

(ख) राज्य सरकार को चालू वर्ष में प्राक्कलन तैयार हो जाने की और प्रारम्भिक कार्य के पूरे हो जाने की तथा 1966–67 में निर्माण कार्य पूरा हो जाने की आशा है।

दिल्ली में अन्तर्राज्यीय टर्मिनस

*64. श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली मास्टर प्लान के अन्तर्गत दिल्ली में रिंग रोड पर एक केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय टर्मिनस बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये कोई उपयुक्त स्थान निश्चित कर लिया गया है; और

(ग) इस परियोजना पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है;

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) इस परियोजना पर होने वाले अनुमानित व्यय का अभी हिसाब नहीं लगाया गया है।

राष्ट्रीय राजपथों पर पुल

65. श्री राम हरख यादव : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजना की शेष अवधि में राष्ट्रीय राजपथों पर जो बड़े पुल बनाये जाने हैं उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा वे किन स्थानों पर बनाये जायेंगे;

(ख) अगली पंचवर्षीय योजना में राज्यवार ऐसे कितने पुल बनाये जायेंगे तथा उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ के डोरसी घाट में घाघरा नदी पर बड़े पुल का निर्माण कब आरम्भ किया जायेगा ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहिउद्दीन) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4491/65]

(ग) शायद सदस्य टोहरीघाट पर घाघरा नदी के ऊपर के पुल का उल्लेख कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो इस कार्य की योजनायें और अनुमान मंजूर किये गये हैं और टेंडरों को अंतिमरूप दिया जा रहा है । किसी ठेकेदार का ठेका देने के बाद यह कार्य शीघ्र ही शुरू किया जायेगा ।

ढोरों का विकास

66. श्री रामहरख यादव: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कहने पर पंजाब में, ढोरों, सुअरों और भेड़ों के गहन विकास का एक 'क्रैश प्रोग्राम' आरम्भ किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कितने क्षेत्र में यह कार्यक्रम लागू होगा तथा कुल लगभग कितना व्यय होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग). (1) अमृतवसर, लुधियाना और रोहतक ज़िलों में 3 गहन पशु विकास खण्डों की स्थापना (2) एक सूअर प्रजनन केन्द्र एवं सूअर मांस कारखाना की स्थापना के लिए दो योजनायें पंजाब में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत क्रियान्वित करने के लिए अनुमोदित की गई हैं । राज्य सरकारों ने इन दोनों योजनाओं को सन् 1965-66 में क्रमशः 71.31 लाख तथा 15 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर शुरू करने का प्रस्ताव रखा । क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत पंजाब के लिए कोई भेड़ विकास योजना स्वीकृत नहीं की गई है । प्रस्ताव है कि प्रत्येक गहन पशु विकास खण्ड डेरी परियोजनाओं के दुग्धशालाओं में शुरू किया जाये और प्रत्येक में प्रजनन योग्य एक लाख गाय/भैंसें होनी चाहिएं । पशु विकास के सभी पहलू जैसे नियंत्रित प्रजनन, बेहतर खुराक, प्रभावशाली रोग नियन्त्रण, बेहतर प्रबन्ध तथा विपणन सुविधायें जो ग्रामीण डेरी विस्तार गतिविधियों द्वारा प्रोत्साहित होंगी, इस कार्यक्रम में शामिल हैं। दूसरी तरफ प्रादेशिक सूअर प्रजनन केन्द्र एवं सूअर मांस कारखाने का उद्देश्य सूअर विकास खण्डों में वितरण के लिए अच्छे सूअर पैदा करना और सूअर का मांस एवं सूअर के मांस के पदार्थ तैयार करना है।

खाद्य निदेशालय का केरल प्रदेश एकक

67. श्री अ० क० गोपालन: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने खाद्य निदेशालय के केरल उप-प्रादेशिक एकक के कर्मचारियों की सेवायें भारतीय खाद्य निगम को सौंप दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस उप-प्रादेशिक एकक में कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ग) किन परिस्थितियों में उनका स्थानान्तरण किया गया है; और

(घ) क्या इस स्थानान्तरण से उनकी पिछली सेवा पर प्रभाव पड़ेगा?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी, हां।

(ख) 614 इनमें से 402 कर्मचारी भारतीय खाद्य निगम के निदेशानुसार काम कर रहे हैं।

(ग) और (घ). भारतीय खाद्य निगम में कर्मचारियों का स्थानान्तरण अभी तक औपचारिक रूप से नहीं किया गया है, लेकिन इन्हें निगम के निदेशानुसार काम करने के अनुदेश दिये गये हैं। इनको निगम में भेजने की निबन्धन और शर्तें तय की जा रही हैं। इनका निगम में स्थानान्तरण होने पर, सरकारी नौकरी में इन्हें जो लाभ जैसे कि पैंशन अधिकार और वरीयता, मिलते हैं, उन की अधिक से अधिक सम्भव सीमा तक रक्षा की जाएगी।

केरल को चावल का भेजा जाना

68. श्री अ० क० गोपालन: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मालूम है कि खाद्य निगम के स्थानीय अधिकारियों ने वैस्ट हिल स्टेशन कोजीकोड पर 20 अप्रैल, 1965 को आये हुए चावल के 19 माल डिब्बों का चावल नहीं छुड़ाया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). यह देखा गया कि वेस्ट हिल स्टेशन, कोजीकोड पर 20 अप्रैल, 1965 को आये चावल के 19 भरे वैगनों में से कुछ वैगनों में वर्षा के कारण चावल खराब हो गया था। अतः यह अनिवार्य था कि सुपुर्दगी लेने से पहले रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में नुकसान की मात्रा का अनुमान लगाया जाए ताकि रेलवे के विरूद्ध उपयुक्त दावा दायर किया जा सके। नुकसान का अन्दाज़ा लगाने के बाद सुपुर्दगी ले ली गयी और 16800 रुपये के दावे रेलवे के विरुद्ध दायर कर दिये गये हैं।

चावल का कोटा

69. { श्री अ० क० गोपालन :
　　{ श्री मणियांगाडन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चावल के राशन के कोटे में वृद्धि करने के लिये जनता से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं।

(ख) क्या उन्होंने इस मामले तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर केरल खाद्य सलाहकार समिति के साथ चर्चा की थी;

(ग) यदि हां, तो उनकी क्या सिफारिशें थीं ; और

(घ) उनको लागू करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह सिफारिश थी कि जून-जुलाई और अगस्त के महीनों में अस्थायी तौर पर चावल का राशन बढ़ाया जाए ।

(घ) केरल में चावल के राशन की मात्रा 4-7-65 से बढ़ाकर 190 ग्राम प्रति प्रौढ़ प्रतिदिन और 8-8-65 से बढ़ाकर 200 ग्राम प्रति प्रौढ़ प्रतिदिन कर दी गयी थी ।

केरल मूल-कर अधिनियम

70. श्री अ० द० राघवन : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में मूल-कर अधिनियम लागू होने से पहिले मालबार क्षेत्र में सिक्त भूमि मिट्टी के उर्वरता के आधार पर सात श्रेणियों में विभाजित थी;

(ख) क्या केरल मूल-कर अधिनियम लागू होने से पहिले भूमि-कर इस वर्गीकरण के आधार पर वसूल किया जाता था;

(ग) क्या मालाबार भू-धारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बनी उचित-किराया न्यायालयों ने जमीनों से अनुमानित उत्पादन के आधार पर भूमि का उचित किराया निश्चित किया था ; और

(घ) क्या सांख्यिकी विभाग ने केरल भूमि-सुधार अधिनियम, 1963 के उपबन्धों के अनुसार सिक्त भूमि में होने वाले उत्पादन को निर्धारित करते समय इस वर्गीकरण को ध्यान में रखा था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) मालाबार क्षेत्र में 1961 के केरल भूमि-कर अधिनियम के लागू करने से पूर्व वहांकी सिक्त भूमि को भूमि की उर्वरता तथा उत्पादकता आदि की दृष्टि से 8 श्रेणियों में विभाजित किया गया था ।

(ख) मालाबार क्षेत्र में केरल भूमि-कर अधिनियम लागू करने से पूर्व जो भूमि-कर वसूल किया जाता था वह उपरोक्त वर्गीकरण के अनुसार था ।

(ग) मालाबार में केरल भू-धारण अधिनियम के अन्तर्गत बने उचित किराया न्यायालयों में भूमि का कर निपटान दित्ते (नियमों में व्यवस्थित वर्गीकरण तथा उपज) के आधार पर निर्धारित किया था । अदंगल एक्सटैक्ट में उपज नहीं बल्कि भूमि का वर्गीकरण और 'तारम' दिये गये हैं ।

(घ) अर्थ-अंक ब्यूरो सिक्त भूमि की उपज का निर्धारण करते समय सिक्त भूमि के वर्गीकरण को दृष्टि में नहीं रखता । तालुक वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके

आधार पर उपज-दर का हिसाब लगाया जाता है। विभिन्न तालुकों में फसल कटाई सर्वेक्षण के माध्यम से उपज दरों का अनुमान लगाया जाता है और ये सर्वेक्षण कार्य धान के विभिन्न ऋतुओं में विभाग द्वारा किया जाता है।

सहकारी समितियां

71. श्री कर्णी सिंह जी: क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसम्बर, 1964 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों में पंजीकृत सहकारी समितियों की संख्या के मुकाबले में परिसमापित होने वाली सहकारी समितियों की राज्यवार प्रतिशतता क्या है; और

(ख) प्रत्येक राज्य सरकार को इस से कितनी हानि हुई?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) 1959-60 से 1963-64 तक के सहकारी वर्षों के बारे में अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4492/65]

(ख) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बाल भवन

72. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा: क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाल भवन, बाल संग्रहालय तथा बाल बाड़ियां क्या कार्य करती हैं;

(ख) इन संस्थाओं की क्या व्यवस्था है;

(ग) केन्द्र से कोई सहायता प्राप्त करने के लिए बाल भवनों, बाल संग्रहालयों तथा बाल बाड़ियों को क्या-क्या शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं; और

(घ) उक्त संस्थाओं को किस प्रकार की सहायता दी जाती है तथा कैसे दी जाती है?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) तथा (ख). बाल भवनों, बाल संग्रहालयों तथा बाल बाड़ियों की संस्थागत स्थिति एक दूसरे से भिन्न है। उनके कार्य मुख्यतया निम्नलिखित हैं:—

बाल भवन वे केन्द्र हैं जहां 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के सर्वोमुखी विकास के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इनमें सांस्कृतिक मनोरंजनात्मक तथा शैक्षिक क्रियाएं भी सम्मिलित हैं।

बाल संग्रहालयों में बाल कला, पोशाकों, गुड़ियों, पुस्तकों, विभिन्न वर्गों के सांस्कृतिक नमूनों इत्यादि के प्रदर्शन पर मुख्यतया ध्यान दिया जाता है ताकि देश के भीतर तथा बाहर के अन्य बच्चों के जीवन के बारे में अन्तदृष्ट प्रदान की जा सके।

बाल बाड़ियां वे संस्थाएं हैं जिनमें 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शारीरिक बढ़ोतरी तथा उनके मानसिक और भावात्मक विकास के लिये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ये निर्णयात्मक मनोरंजन तथा वर्गों के रूप में रहने के अवसर भी प्रदान करती हैं।

(ग) तथा (घ). सहायता पाने की अर्हता के प्रयोजनोंकेलिए इन बातों को मुख्यता ध्यान में रखा जाता है कि सम्बंधित संस्था साधारणतया समुचित अधिनियम के अधीन पंजीकृत निकाय हो; उस की समुचित गठित प्रबंधक समिति हो, जिसकी शक्तियां तथा उत्तरदायित्व एक लिखित विधान में साफ-साफ परिभाषित तथा दिए गए हों, वह समाज कल्याण कार्य करती हो, सहकारिताओं कोछोड़ कर किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति-समूह के लाभ के लिए न भागे तथाधर्म, मूलवंश, जाति भाषा इत्यादि के भेद-भाव के बिना भारत के सभी नागरिकों के लिए खुली हो।

वित्तीय सहायता या तो केन्द्रीयसरकार अथवा प्रत्यक्ष रीति से केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा दी जातीहै। सहायता राज्य समाज कल्याण बोर्डों द्वारा भी दी जाती है। अनुदान की मात्रा इन संस्थाओं के कुल खर्च के, जिसमें भवन निर्माण भी शामिलहै, 50 से 100% तक होती है।

दावतों में निमन्त्रित व्यक्तियों की संख्या पर रोक

73. श्री यशपाल सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया है कि खाद्य पदार्थों की खपत का कम करने के उद्देश्य से रेस्तरां में दी जानेवाली दावतोंमें जिन लोगों को बुलाया जाये उनकी संख्या तथा परोसे जाने वाले पकवानों की संख्या सीमितकर दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो कम से कम सरकारी विभागोंद्वारा आयोजित समारोहों में इसे क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) जी,हां।

(ख) अधिकांश राज्यों, जिनमें दिल्ली भी शामिल है, में दावत में आमन्त्रितों की संख्या पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं। ये प्रतिबन्ध सरकारी विभागों द्वारा आयोजित दावतों पर भी लागू होते हैं।

पंचायतों में कुप्रशासन

74. श्री यशपाल सिंह :
श्री दो० चं० शर्मा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री गुलशन :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करें गे कि :

(क) क्या पंचायतों में कुप्रशासनतथा भ्रष्टाचारके कारण दिल्ली प्रशासन को 2.86 करोड़ रुपये के मूल यकी भूमिसे हाथ धोना पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :(क) जी हां, हानि की राशि, जिसका हिसाब अभी दिल्ली प्रशासन द्वारा लगाया जा रहा है, का अनुमान लगभग 3.79 करोड़ रुपए लगाया जाता है।

(ख) 15 गांव पंचायतों को अधिकारच्युत कर दिया गया है और 21 गांव पंचायतों का भूमि-प्रबन्ध उपायुक्त को सौंप दिया गया है। खोई हुई सम्पत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए कानूनी कार्यवाही भी की गई है। आगे और हानि रोकने और खोई हुई भूमि को पुनः प्राप्त करने की दृष्टि से 10 मई, 1965 को संसद् में दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन अधिनियम), 1965 पेश किया गया है।

Co-operative Farming

75. **Shri M. L. Diwivedy :**
Shrimati Savitri Nigam :
Shri S.C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri Inder J. Malhotra :

Will the Minister of **Community Development ond Cooperation** be pleased to state :

(a) the places where experiments are being conducted in the field of co-operative farming and the results obtained thereby :

(b) if the results are encouraging the steps being taken by Government for the extension and expansion of co-operative farming ;

(c) if these experiments have been unsuccessful, the reasons therefor ; and

(d) whether Government have made any arrangement for the study of methods and working of co-operative farming and the progress made so far in respect thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Cooperation (Shri B.S. Murthy) : (a) A statement showing the distribution of 2293 pilot cooperative farming societies located in various States is enclosed. **[Placed in the Library. See No. LT-4493/65]**

(b) to (d). A Committee under the Chairmanship of Prof. D. R. Gadgil is making an assessment of the cooperative farming programme. The report of the Committee is likely to be available by the end of August, 1965.

In the light of the recommendations of the Committee, the policy and programme of cooperative farming will be reviewed.

केरल में जमाखोरी विरोधी आन्दोलन

76. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले छः महीनों में केरल में जमाखोरी विरोधी आन्दोलन के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी है उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : पिछले छः महीनों में केरल में जमाखोरों और मुनाफाखोरों के विरुद्ध एक प्रभावकारी आन्दोलन चलाया गया था। जो कदम उठाये गये थे वे निम्न प्रकार हैं :

(1) उत्पादक क्षेत्रों में चावल और धान की गैर कानूनी जमाखोरी को रोकने के लिये केरल सरकार ने दो आदेश जारी किये (1) केरल धान और चावल (स्टाक की घोषणा और अधिग्रहण) आदेश, 1964 और (2) केरल चावल (संचालन का विनियमन) आदेश, 1965।

(2) अवैध रूप से माल ले जाने की कोशिशों पर प्रभावी रूप से निगरानी रखने के लिये पड़ताल चौकियां स्थापित की गयीं और उपर्युक्त आदेश (2) के उल्लंघन के 382 केस पंजीबद्ध किये गये। 16 केस उन व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किये गये जिन्होंने अपने कब्जे में धान और चावल के स्टाक की घोषणा नहीं की थी।

(3) राज्य क्राईम ब्रांच में सिविल रसद सैल ने जिला पुलिस के सहयोग से खाद्य अपराधों और विभिन्न खाद्य नियन्त्रण और लाइसेंसिंग आदेशों के लागू करने के बारे में सूचना एकत्रित करने में सहायता दी। जमाखोरी विरोधी आन्दोलन के एक अंग के रूप में अचानक छापे मारे गये।

(4) पिछले छः महीनों में पुलिस द्वारा पंजीकृत केसों से 6,018.67 क्विंटल चावल 778.82 क्विंटल धान, 9 क्विंटल मैदा, 68 क्विंटल गेहूं और 102 क्विंटल चीनी पकड़ी गयी थी।

चारे का मूल्य

77. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने बहुत तेजी से बढ़ते हुए चारे, दाने आदि के मूल्यों को कम कराने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां): चारे-दाने के उत्पादन तथा उसकी उपलब्धि को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:—

(1) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्यों ने दाने-चारे की एक योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि चारे की उन्नत किस्मों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाये। इस योजना को केन्द्रीय वित्तीय सहायता मिल सकेगी।

(2) क्षेत्रीय आधार पर चारे के बैंकों की स्थापना की एक अन्य परियोजना भी स्वीकार की गई है, जिसे तीसरी योजना की अवधि में कार्यरूप दिया जायेगा। इसकी योजना को भी केन्द्रीय वित्तीय सहायता मिल सकेगी।

(3) डेरी परियोजनाओं के मिल्क-शैडों में चारे-दाने के सघन विकास के कार्यक्रम को भी 22 सघन पशु विकास खण्डों में शुरू किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा प्रायोजित विशेष विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किया जा रहा है।

(4) चारे की फसलों के विषय में विभिन्न अनुसन्धान योजनायें शुरू की गई हैं जिससे कि अनुकूल परिस्थितियों में उनको अपनाया तथा प्रति एकड़ उपज के विषय में अध्ययन किया जा सके।

चरागाह विकास तथा घासों की विभिन्न उन्नत किस्मों आदि के विकास के विषय में अनुसन्धान करने के लिए भारतीय चरागाह भूमि तथा चारा अनुसन्धान संस्थान की स्थापना की गई है।

(5) जम्मू तथा काश्मीर और दिल्ली को छोड़ कर समस्त संघ क्षेत्रों में और समस्त राज्यों में गेहूं के चोकर के "एक्स-मिल" मूल्य 25.50 रुपए प्रति क्विन्टल निर्धारित किये गये हैं।

(6) राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे भक्ष्य घासों और चारे का औद्योगिक प्रयोग करने के कार्यों को हतोत्साहित करें।

(7) पशुओं और कुक्कुटों के लिए सन्तुलित आहार के विनिर्माण और प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हाल ही में विशेष विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पशु तथा कुक्कुट विकास की जो योजनायें शुरू की गई हैं उनके अन्तर्गत अनेक-आहार मिश्रण एककों की स्थापना करने की व्यवस्था मौजूद है।

(8) पशुओं, सूअरों और मुर्गियों के लिए संतुलित आहार बनाने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा 45,000 मीट्रिक टन मक्का और सोरगम मुहैया करने के लिए व्यवस्था की गई है।

Development of Fisheries

78. **Shri Naval Prabhakar :**
Shri Hem Raj :

Will the Minister of **Food and Agriculture be pleased to state** :

(a) the amount spent on fisheries in Delhi during the Third Five Year Plan period so far ; and

(b) the progress made in this field ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D.R. Chavan): (a) Rs. 1·58 lakhs.

(b) : 53 village tanks were improved and 20·91 lakh fingerlings were stocked during the first four years of the Third Five Year Plan.

एयर इंडिया की विमान सेवायें

79. श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया अपनी विमान सेवाओं को और बढ़ाने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना बनाने में कितना समय लगने की सम्भावना है?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) चौथी आयोजना में एयर इंडिया, विद्यमान मार्गों पर सेवा की आवृत्तियों को बढ़ाते हुए, प्राथमिक रूप से अपने वर्तमान विमान-सेवा-कार्यों को सुदृढ़ बनाने की योजना रखता है। विचाराधीन नये मार्ग केवल भारत/मारीशस और भारत/मलयेशिया हैं।

(ग) यह विमानों / विमान कर्मीदल (क्रू) की स्थिति पर और संबद्ध सरकारों के साथ सफल बातचीत पर निर्भर करेगा, इसलिए यह इस अवस्था में नहीं बतलाया जा सकता।

आदिम जातीय विकास खण्ड

80. श्री प्र० र० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चौथी योजना में देश में 500 आदिम जाति विकास खण्ड बनाने का निश्चय किया है ताकि सभी ऐसे क्षेत्र जिनकी कुल जनसंख्या में 50 प्रतिशत लोग आदिम जाति के हों, उनके अन्तर्गत आ जाये;

(ख) ऐसे स्थानों के लिये, जहां आदिम जाति के लोग 50 प्रतिशत से कम हैं, क्या व्यवस्था की गयी है;

(ग) ऐसे विकास खण्डों में योजनात्मक आय-व्ययक न होने पर योजनायें किस प्रकार बनाई जायेंगी; और

(घ) इन खण्डों पर कितना परिव्यय होगा ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) चौथी पंच-वर्षीय योजना में सभी ऐसे क्षेत्र जिनकी कुल जनसंख्या में 50 प्रतिशत लोग आदिम जाति के हों आदिम जाति विकास खण्डों के अन्तर्गत लाने का निर्णय किया गया है। पर, इस आधार पर खोले जाने वाले खण्डों की संख्या अभी तक अन्तिम रूप से निश्चित नहीं की गई है।

(ख) तथा (ग) चौथी योजना में आदिम जाति विकास खण्डों के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्रों के विकास के लिए तदर्थ सहायता देने का प्रस्ताव है। एक सामुदायिक विकास खण्ड में प्रति 1,000 अनुसूचित आदिम जातियों को 2,000 रुपये की दर से अस्थाई सहायता दी जा सकती है। इस संयोजना के लिए चौथी योजना के अन्तर्गत कुल जनसंख्या में 50 प्रतिशत लोग आदिम जाति के होने के आधार पर खोले जाने वाले नए आदिम जाति विकास खण्डों के लिए निधि की ठीक ठीक आवश्यकता तथा उपलब्धि अभी तक निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) जहां तक चौथी योजना में नए आदिम जाति विकास खण्ड खोले जाने का संबंध है, संयोजनाओं का प्रकार वही होगा, जो वर्तमान आदिम जाति विकास खण्डों का है। जहां तक आदिम जाति विकास खण्डों के अन्तर्गत न आने वाली आदिम जातियों को तदर्थ सहायता देने की संयोजनाओं का संबंध है, इन्हें राज्य सरकारें अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार बनाएगी तथा कार्यकारी दल की बैठकों में संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, योजना आयोग, संबंधित मंत्रालयों तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग के मध्य हुए विचार-विमर्श द्वारा इन्हें अन्तिम रूप दिया जाएगा।

ग्वालियर झांसी सड़क पर पुल

81. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर-झांसी सड़क का सिंध नदी पर पुल बन रहा है ;

(ख) यह पुल सड़क यातायात के लिये कब तक खोल दिया जायेगा ; और

(ग) केन्द्र तथा मध्य प्रदेश लागत का कितना-कितना भार उठायेंगे ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहीउद्दीन) : (क) जी हां ।

(ख) आशा है कि पुल नवम्बर, 1965 तक यातायात के लिये खोल दिया जायेगा ।

(ग) पुल की अनुमानित लागत 21.84 लाख रुपये है। लागत का आधा अर्थात् 10.92 लाख रुपया केन्द्रीय सरकार के द्वारा केन्द्र सड़क निधि (साधारण) आरक्षित से अनुदान के रूप में दिया जायेगा और लागत का शेष केन्द्रीय सड़क निधि से राज्य को किये गये आवंटन से पूरा किया जायेगा ।

Lawyers' Fees

82. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K.N. Tiwary :
Shri N.P. Yadab :

Will the Minister of Law be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are at present no rules governing the fees charged by lawyers in lower courts and High Courts in the country ;

(b) if so, whether any scheme is being formulated for regulating the payment of fees to lawyers for their professional services ; and

(c) if so, the nature thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao) : (a) Under the existing law, fees of a party's adversary's Advocate are regulated by rules made by the High Courts. Fees of a party's own lawyer are settled by private agreement with the lawyer by virtue of section 3 of the Legal Practioners (Fees) Act, 1926.

(b) No.

(c) Does not arise.

हिन्दुस्तान शिपयार्ड

83. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० त्रिवेदी :
डा० पू० ना० खां :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड में मरम्मत करने की क्षमता बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो क्षमता बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) 1964–65 में कितने जहाज मरम्मत के लिये विदेशी फर्मों में भेजे गये तथा उन पर कितना व्यय हुआ ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) एक सूखी गोदी निर्माण करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर पेश करदी जायेगी ।

बम्बई-पूना तथा बम्बई-नासिक सड़क

84. श्री उटिया :
श्री मरंडी :

क्या परिवहन मंत्री बम्बई-पूना तथा बम्बई-नासिक सड़कों को और चौड़ा करने के ब 30 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1733 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की करेंगे कि इस मामले में इस बीच कितनी प्रगति हुई है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : जहां तक बम्बई-पूना सड़क का सम्बन्ध है अभी एक विस्तृत जांच हो रही है जिसके 1966 के मध्य तक पूरी होने की संभावना है । अभी किसी प्रकार का निर्णय करना संभव नहीं है ।

बम्बई-नासिक सड़क राष्ट्रीय मुख्य मार्ग संख्या 3 के भाग का यानमार्ग अब 20 फुट चौड़ा है । उसे चौथी योजना काल में 23 फुट चौड़ा करने और मजबूत करने का विचार किया जाएगा ।

उर्वरकों का वितरण

87. श्री अ० ना० विद्यालंकार: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन, अमरीका तथा अन्य देशों में उर्वरकों के उत्पादन तथा वितरण के तरीकों का अध्ययन करने के लिये एक समिति नियुक्त की है;

(ख) क्या इस समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट दे दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सरकार ने कोई समिति नियुक्त नहीं की किन्तु ब्रिटेन, अमरीका और जापान में उर्वरकों के उत्पादन तथा वितरण के तरीकों का अध्ययन करने के लिए अधिकारियों का एक दल भेजा था ।

(ख) और (ग) दल ने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है ।

कृषि तथा खाद्य अनुसन्धान परिषद्

88. श्री रामेश्वर टांटिया :
महाराज कुमार विजय आनन्द :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 16 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1203 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र में कृषि तथा खाद्य अनुसन्धान की एक नई परिषद् स्थापित करने के बारे में अनुसन्धान पुनर्विलोकन दल की सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निश्चय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को निम्नलिखित ढंग से पुनर्गठित करने का निर्णय किया गया है : —

(1) वर्तमान नाम बदले बिना ही भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् का एक महत्वपूर्ण स्वायत्त संगठन के रूप में पुनर्गठन करना ;

(2) उन समस्त अनुसन्धान संस्थानों को पुनर्गठित परिषद् के अधीन लाना जो इस समय खाद्य और कृषि मंत्रालय के नियंत्रण में हैं। इनमें वे संस्थान भी शामिल होंगे जो कि केन्द्रीय पण्य समितियों के अधीन हैं ;

(3) परिषद् की अन्तरंग सभा का पुनर्गठन करना जिससे कि परिषद् मुख्यतः वैज्ञानिकों तथा कृषि का ज्ञान रखने वाली तथा कृषि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की संस्था बन जाए ।

(4) विश्वविद्यालयों आदि राज्य अनुसन्धान संस्थानों तथा अन्य अनुसन्धान संस्थानों के लिए परमाणु शक्ति आयोग के नमूने पर ब्लाक ग्रान्ट के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना ;

(5) 1—भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली, 2— भारतीय पशु चिकित्सा अनुसन्धान संस्थान, इज्जतनगर (उत्तर प्रदेश) 3—राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान, करनाल (पंजाब) आदि प्रमुख अनुसन्धान संस्थानों को राष्ट्रीय संस्थान घोषित करना और उन्हें तथा अन्य संस्थाओं को अधिक प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार देना ;

(6) ऐसी निर्वाचन समितियों तथा पैनलों के माध्यम से (जिनमें विख्यात वैज्ञानिक शामिल हो) वैज्ञानिक पदों पर नियुक्तियां करने के विषय में प्रबन्ध करना ; और

(7) पुनर्गठित परिषद् के मुख्य कार्यकारी के रूप में एक ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक की नियुक्ति । यह मुख्य कार्यकारी अधिकारी महानिदेशक होगा ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नकली सहकारी समितियां

89. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री दाजी :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्रीमती विमला देवी :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री 23 फरवरी, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 206 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकली सहकारी समितियां समाप्त करने एवं सहकारी आन्दोलन को स्वार्थी व्यक्तियों के हाथ में जाने से बचाने के सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गयी समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रू० मूर्ति) : (क) से (ग). समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त होने को है । तथापि, समिति ने अग्रिम में अपने मुख्य-मुख्य निष्कर्षों और सिफारिशों का संक्षेप पेश किया है, जिसकी प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4494/65 ।] सरकार समिति की पूरी रिपोर्ट प्राप्त होने पर इन सिफारिशों की जांच करेगी ।

तूफान अनुसन्धान केन्द्र

90. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या असैनिक उड्डयन मंत्री 2 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 511 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच मद्रास में एक तूफान अनुसन्धान केन्द्र बनाने की योजना पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र कब से काम करने लगेगा ; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :(क) से (ग). भारत मौसम विज्ञान विभाग के चौथे पंचवर्षीय आयोजन के मसौदे में एक तूफान चेतावनी एवं अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना करने की योजना शामिल कर ली गयी ह। योजना आयोग द्वारा चौथे आयोजन की योजनाओं का अनुमोदन किये जाने के बाद, तूफान चेतावनी एवं अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना सम्बन्धी योजना का विस्तृत विवरण तैयार किया जायेगा ।

कानपुर के कर्मचारी राज्य बीमा तथा भविष्य निधि योजना

91. **श्री स० मो० बनर्जी:** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर में बी० आई० सी० के मालिक कर्मचारी राज्य बीमा तथा भविष्य निधि योजना में अपना अंशदान नियमित रूप से नहीं दे रहे हैं ।

(ख) यदि हां, तो 1 मई, 1965 को प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत उन पर कुल कितनी रकम बकाया थी ;

(ग) बकाया राशि वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

(घ) क्या इन में से कुछ मालिकों के विरुद्ध मुकदमे दायर किये गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उन एककों के नाम क्या हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) नहीं ।

(ख) कुछ नहीं ।

(ग), (घ) और (ङ) बात उठती नहीं ।

पी० एल० 480 करार

92. **श्री ब० चं० बरुआ :**
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री किन्दर लाल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री जेधे :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री बसुम तारी :
श्री वारि यर :
श्री रा० बरूआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका से अनाजों का आयात करने के लिये पी० एल० 480 के अधीन हाल ही में एक नया करार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस करार के अन्तर्गत कौन कौन से अनाजों का कितनी कितनी मात्रा में आयात किया जायेगा ; और

(ग) इन का कब आयात किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). नया पी० एल० 480 करार अभी नहीं किया गया है। माननीय सदस्य का निर्देश 26 जुलाई, 1965 के पत्र व्यवहार की ओर है, जिसमें सितम्बर, 1964 के पी० एल० 480 के अन्तर्गत 10 लाख टन गेहूं खरीदने के लिये अनुपूरक धन दिया गया है। अनुमान है कि सितम्बर और अक्टूबर, 1965 में यह गेहूं जहाज पर लाद दिया जायेगा।

Financial Condition of Co-operative Societies

93. **Shri Bade:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Community Development and Co-operation** be pleased, to refer to the reply given to Starred Question No. 342 on the 9th March 1965 and state:

(a) whether the inquiry into the constitution, working and financial condition of rest of the Co-operative Societies in Delhi has since been completed; and

(b) if so, the result thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Co-operation (Shri B.S. Murthy): (a)Inquiries into the constitution, working and financial condition of five more societies have been completed.

(b) A statement is placed on the Table of the House. **[Placed in the Library See No. L. T.4495/65]**

Election to Panchayats

94. **Shri Bade:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Brij Raj Singh:

Will the Minister of **Community Development and Cooperation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 753 on the 6th April, 1965 and state:

(a) whether Government have since considered the recommendations of the Committee on Panchayati Raj Elections; and

(b) if so, the decisions taken thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Co-operation (Shri B.S. Murthy): (a) Yes, Sir.

(b) A statement containing the decisions taken on the various recommendations of the Committee is laid on the Table of the House. **[[Placed in the library. See No. LT-4496/65].**

मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियां

95. { विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से इस वर्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के छात्रों को मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्तियों को वितरण में विलम्ब को दूर करने के लिये विशेष उपाय करने के लिये कहा है ;

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से राशि वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये भी कहा है ;

(ग) क्या कुछ मामलों में ये छात्रवृत्ति देने की शर्तें ढीली की गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार सदैव राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से, जो पिछड़ी हुई जातियों के लिये मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियों की योजना को कार्यान्वित करती हैं, यह अनुरोध करती रही है कि इन गरीब छात्रों को छात्रवृत्तियां देने में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिये और धन देने, तदर्थ पेशगी आदि देने के लिए कोई सरल तरीका बनाया जाना चाहिये जिससे उन छात्रों को छात्रवृत्तियां नियमित रूप में मिलती रहें। तथापि, कोई विशेष कदम उठाने के लिये राज्य सरकारों से कोई प्रार्थना नहीं की गई है ।

(ग) छात्रवृत्ति देने की शर्तों में कोई छूट नहीं दी गई है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

होटलों को चावल की सप्लाई

96. { श्री मुहम्मद कोया :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के होटल मालिकों से अभ्यावेदन मिला है कि उन्हें चावल पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) तथा (ख). केरल के होटल मालिक यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें चावल की सप्लाई 160 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति भोजन के स्केल के आधार पर की जाए, क्योंकि यह मांग प्रति व्यक्ति के चावल के राशन के सामान्य स्केल से दुगुनी थी, इसीलिये, उनकी इस मांग को स्वीकार करना सम्भव नहीं था । जब चावल के सामान्य राशन में बृद्धि की गयी थी तब होटल मालिकों की भी बढ़े हुए स्केल पर सप्लाई की कयी थी ।

राशन की दुकानों पर मिलने वाले खाद्यान्न की किस्म

97. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल में राशन की दुकानों पर घटिया किस्म का चावल और गेहूं दिया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) केरल में राशन की दूकानों द्वारा कोई घटिया किस्म का चावल नहीं दिया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार में चावल की मिलें

98. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के चावल की अधिकांश मिलों ने धान कूटना बन्द कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां । बिहार की अधिकांश बड़ी और मध्यम आकार की चावल मिलों ने फरवरी, 1965 के आरम्भ में अपना धान कूटने का काम बन्द कर दिया ।

(ख) धान कूटने का काम लेवी के लगने और सांविधिक रूप से निर्धारित कीमतों पर धान न मिलने के कारण बन्द कर दिया गया था ।

Vacant Seats in J. & K. Legislative Assembly

99. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Bade:
Shri Brijraj Singh:

Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) the number of seats vacant in Jammu and Kashmir Legislative Assembly and since when they have been lying vacant; and

(b) if so, the reasons for not holding by-elections for the vacant seats so far

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Roa): (a) 4 seats a re at present vacant in the Jammu and Kashmir Legislative Assemly. They have been vacant since—

(1) 2-4-64 (Basohli),

(2) 3-4-64 (Samba),

(3) 23-6-64 (Mendhar) and

(4) 14-7-64 (Ramgarh).

(b) By- elections to fill above vacancies have not been held so far because the Election Commission considers that it would be desireable to have them conducted on the marking system of voting, as in the rest of India, and the State Government has also agreed to change the procedure. There was, however, no provision in the Jammu & Kashmir Representation of the People (Conduct of elections and Election Petitions) Rules, 1957, for adopting this system. It was decided to replace these rules by a new set of rules on the same lines as the Conduct of Elections Rules, 1961. The revised Rules have now been recently approved by the State Government and notified in the Gazette. Steps are being taken to train the polling officers in the new system of voting and also to give publicity to it among the public. The by-elections will be held as soon as possible after the rainy season is over.

धतूरे के बीज

100. **श्री स० मो० बनर्जी:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पी० एल० –480 के अन्तर्गत अमरीका से आयात किए गये गेहूं में धतूरे के बीज पाये गये ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस गेहूं के नमूने कलकत्ते में दिखाये गये थे ; और

(ग) इस मामले की जांच करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क), (ख) और (ग). विदेशों से मंगाए गए सभी खाद्यान्नों के पहुंचने पर उनकी तुरन्त किस्म सम्बन्धी व्यापक जांच पड़ताल की जाती है। संयुक्त राज्य अमरीका से प्राप्त गेहूं के कुछएक प्रेषणों की बन्दरगाहों पर पहुंचने के समय निरीक्षण करने पर थोड़ी सी मात्रा में धतूरे के बीज पाये गये । यह गेहूं उन रोलर आटा मिलों को दिया गया जिनके पास सफाई की आवश्यक मशीने थीं, जहां धतूरे के बीज निकलवाने के लिये कड़ी देख-भाल की गयी ताकि उपभोक्ताओं के लिये किसी प्रकार का खतरा न रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका से अनाज के सरकारी मानकों के अनुसार, धतूरे के बीजों को आपत्तिजनक नहीं समझा जाता है । सम्भवतया यह उनकी रोलर आटा मिलों में पीसने से पहले साफ कर दिये जाते हैं । तथापि, भारत को भेजे गये गेहूं में थोड़ी मात्रा में पाये गये धतूरे के बीजों को भी न होने के प्रश्न को अमरीकी सरकार से उठाया गया है । उन्होंने इसके उपचारी उपायों पर विचार करने का वायदा किया है ।

Milk Supply by D. M. S.

101. **Dr. L. M. Singhvi:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government propose to restore the cut in the supply of buffalo milk by the Delhi Milk Scheme made some time back;

(b) if, so, when the supply is likely to be made normal; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan): (a) to (c). supply of buffalo milk has been

discontinued by the D.M.S. In its place, standardised milk with a fat content of 5% is being supplied. Regarding restoration of the cut, it is not proposed to restore it in the near future. In view of the shortage of milk, the additional quantities of milk that may be procured by the Delhi Milk Scheme will be utilised for issue to new applicants.

दिल्ली की पंचायतें

102. श्री गोकुला नन्द महन्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री गुलशन :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के संघ प्रशासित राज्य क्षेत्र में अनेक पंचायतों को अधिकार-च्यूत कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार तत्संबंधी ब्यौरा देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखेगी।

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 15

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० डी—4497/ 65 ।]

राष्ट्रीय राजपथ

103. **श्री मोहम्मद कोया** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथों के उन मार्गों के निर्माण-कार्यों में जो केरल राज्य से होकर जाते हैं, क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) कार्य में बिलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) केरल से होकर दो राष्ट्रीय मुख्य मार्ग सं० 47 और सं० 47 ए गुजरते हैं जिनकी कुल लम्बाई 280 मील है । इन मुख्य मार्गों में कोई टूटी हुई सड़कें और पुल नहीं है । अतः किसी भी भाग का प्रारंभिक निर्माण आवश्यक नहीं है । फिर भी आयोजना की व्यवस्था के अनुसार कुछ विकास कार्य मंजूर किये गये हैं । इन कार्यों में से कुछ पूरे हो गये हैं और कुछ जारी हैं ।

(ख) कोई बिलम्ब नहीं हुआ है ।

कालीकट में हवाई अड्डा

104. **श्री मोहम्मद कोया :**
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार को अनेक संसद् सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन मिला है जिसमें उनसे यह प्रार्थना की गई है कि कालीकट में हवाई अड्डेका निर्माण शीघ्र किया जाये ; **और**

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) माननीय सदस्यों को सूचित कर दिया गया है कि कालीकट में हवाई अड्डा बनाने के लिये उपयुक्त स्थल खोजने के लिये निर्माण का तुलनात्मक परिव्यय और अन्य ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

स्वंय सेवी समाज कल्याण संस्थायें

105. **श्री दशरथ देव :**
श्री वारियर :
श्री प्रभात कार :
श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसी कितनी समाज स्वयं सेवी समाज कल्याण संस्थायें हैं तथा उनके नाम क्या हैं जिन्हें देश में समाज कल्याण के कार्यों के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता मिलती है; **और**

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने इन संस्थाओं को कुल कितनी रकम दी ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) ऐसी सब संस्थाओं के नाम बताना कठिन होगा क्योंकि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ही ऐसी 4000 संस्थाओं को अनुदान देता है । जिन संस्थाओं को अन्य विभागों से अनुदान मिलता है उनकी संख्या हमें ज्ञात नहीं ।

(ख) योजना आयोग ने उनकी अपनी निधि से एक दर्जन ऐसी संस्थाओं को लगभग 83 लाख रुपए के अनुदान में दिए हैं ।

दम दम हवाई अड्डा

106. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करें गे कि:

(क) क्या दम दम हवाई अड्डे के नये अन्तर्राष्ट्रीय कक्ष (विंग) का निर्माण-कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण हो जायेगा ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जैसी की पहले आशा थी जून, 1966 तक कार्य पूरा नहीं होगा।

(ख) (एक) कुछ भागों में कमजोर धरती के कारण (लट्ठेदार) नीव में विलम्ब।

(दो) जो फर्म ऊपरी ढांचा बना रही है उसका असन्तोषजनक कार्य, जिसके लिये समझौते की शर्तों के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन

107. **श्री दाजी** : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचनों में होने वाले कदाचारों को दूर करने के लिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या संशोधन करने का विचार है; और

(ग) संशोधन विधेयक के संसद् में कब पेश किये जाने की सम्भावना है?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पंजाब में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

108. **श्री दलजीत सिंह** : क्या सामाजिक सुरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1961 में की गई जनगणना से इस बात की पूरी जानकारी प्राप्त हुई है कि पंजाब में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की अलग अलग संख्या क्या है;; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक समुदाय की अलग अलग जनसंख्या क्या है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) हां।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4498/65।**]

ऐमोनिया सल्फेट का सम्भरण

109. **श्री हेम राज** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब सरकार से वहां के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, पचास किलो के बोरों में एमोनिया सल्फेट देने की कोई मांग प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पचास किलो के बोरों के रूप में अमोनिया सल्फेट सम्भरण करने के बारे में कोई विशेष प्रार्थना

प्राप्तनहीं हुई है। परन्तु राज्य सरकार का कहना है कि कान्डला का दौरा करने वाले उनके प्रतिनिधि की प्रार्थना पर कान्डला से 1776 मीटरी टन अमोनिया सल्फेट (कि 50-50 किलो के) जो बोरे प्राप्त हुए थे उनमें से 25 प्रतिशत बोरे पहाड़ी क्षेत्रों को सप्लाई किये जा रहे हैं। 50-50 किलो के बोरों के रूप में 1200 टन और अमोनियम सल्फेट को भेजने का प्रस्ताव है। पंजाब की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने कहा है कि उनके पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भविष्य में उनकी मांग 50 किलो के बोरों के रूप में होगी।

कर्मचारियों की लापरवाही के लिये राज्य का दायित्व

110. **श्री हेम राज** : क्या विधि मन्त्री 23 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1378 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि : अपने कर्मचारियों की लापरवाही के लिये राज्य के दायित्व के बारे में एक विधान बनाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विधि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : इस विषय पर विधेयक तैयार है और संसद् के वर्तमान सत्र में पुरःस्थापित किया जाएगा।

गुजरात राज्य में फसल उगाने का ढंग

111. **श्री हेडा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में फसल उगाने के ढंग को बदलने में कितने पहल की;

(ख) ऐसे करने के क्या कारण थे ; और

(ग) यह प्रस्ताव अब किस स्थिति में है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) : गुजरात में प्रमुख फसलों के क्षेत्र और 1955-56 तथा 1960-61 के सस्यगत क्षेत्र की तुलना में अनुपात दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4499/65।]** विवरण से पता लगेगा कि गुजरात में फसलों की पद्धति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। विशेषतया सूखे मोटे अनाज, ज्वार तथा बाजरा से तिलहन और कपास तक में परिवर्तन हुए। फिर भी सस्य पद्धति के परिवर्तन से इन्कार नहीं किया जा सकता, किन्तु ऐसा अनुमान करना ठीक नहीं है कि किसानों के अतिरिक्त किसी दूसरी एजैन्सी ने इस मामले में काम शुरू किया है।

पत्तनों का विकास

112. **श्री हेडा** :
श्री राम हरख यादव :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पत्तनों के विकास के लिए विशेषकर जहाजों के आने-जाने में होने वाला विलम्ब दूर करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इण्डियन स्टीमशिप कम्पनी लिमिटेड के सभापति श्री ए० रामस्वामी मुदालियार द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गय है कि जहाजों को समुद्रपार व्यापार के लिये लगभग 66 प्रतिशत तथा तटीय व्यापार के लिये 77 प्रतिशत कार्य दिवस पत्तनों में व्यतीत करने पड़ते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो यह वक्तव्य कहां तक सच है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) पत्तनों पर की सुविधाओं के विस्तार तथा माल-लादने-उतारने की गति को बढ़ाने के लिए पंचवर्षीय आयोजनाओं में कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और की जा चुकी हैं। कलकत्ता पर 1952 से किंग जार्ज डाक में दो बर्थें और बढ़ा दी गयी हैं और किंग जार्ज डाक की पश्चिमी बगल के विस्तार का काम जारी है । इस विस्तार से कई जहाजों के ठहरने की और पार्श्व में माल उतारने की व्यवस्था हो जाएगी । हल्दिया पर गहरे पानी के क्षेत्र में एक नये डाक तंत्र बनाने की योजना जारी है । हल्दिया पर एक तेल जेट्टी के निर्माण के लिए ठेका दे दिया गया है । बम्बई में डाक विस्तार योजना और बलाई पियर विस्तार योजना पर काम हो रहा है । डाक विस्तार योजना से एलेकजेंड्रा डाक में चार अतिरिक्त बर्थों की व्यवस्था होगी और इसके अलावा इससे वे तीन हारबर वाल बर्थें भी सामान्य माल यातायात के काम में लाई जाएंगी जो अब पार उतराई व्यवस्था में प्रयुक्त होती है । बलाई पेयर विस्तार योजना के अन्तर्गत बड़े यात्री लाइनरों के लिए एक अतिरिक्त बर्थ तैयार होगी । इन दोनों योजनाओं का काम जारी है और उसके अप्रैल 1968 तक पूरे होने की संभावना है । बम्बई बंदरगाह की पूर्वी और उचित स्थान पर अतिरिक्त बर्थों की व्यवस्था करने की संभावना पर जांच की जा रही है । मद्रास में 6 बर्थों वाली सजल गोदी जिसे जवाहर डाक कहते हैं को चालू कर दिया गया है । लोह धातुक को लादने उतारने के लिए इस डाक पर मशीनी संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है । 35 फुट डुबाव वाले जहाजों के आने के लिए सजल गोदी की पूर्वी बांह गहरी करने का भी प्रस्ताव है । कोचीन पर इर्नाकूलम चैनल में सामान्य माल की चार अतिरिक्त बर्थें बनायी गयी हैं। जो तेल पोत अशोधित तेल को शोध शाला के लिए लायेंगे उनकी आवश्यकता के लिए एक तेल घाट का निर्माण किया जा रहा है । कोयले के लिए इर्नाकुलम चैनल में एक खुली बर्थ भी बनायी जा रही है । कांडला में पांचवी बर्थ का निर्माण कार्य निकर्षकार्य को छोड़कर पूरा हो गया है । मारमूगाओ के विकास के लिए एक परियोजना रिपोर्ट और मास्टर योजना बनाई जा रही है ।

इसके आतारक्त बड़े पत्तनों पर अतिरिक्त घाट धारिता की व्यवस्था करने के लिए सरकार की नीति पत्तनों पर माल उतारने-लादन के लिए मशीनें लगाने की है परन्तु उसे इस नीति से मेल खाना चाहिए कि श्रमिकों पर उनका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और उन्हें रोजगार में हानि न उठानी पड़े । फार्क लिफ्ट, ट्रैक्टर, चलती फिरती क्रेनों, जिटने मोटर आदि के रूप में भारत के बड़े पत्तनों पर मशीन द्वारा माल लादने-उतारने की सुविधाओं की व्यवस्था है । ये चीजें विभिन्न पत्तनों ने हाल के पिछले वर्षों में बड़ी

संख्या में प्राप्त कर ली है । आवश्यकतानुसार इनका संवर्धन किया जायेगा और जहां भी आवश्यक होगा वहां और नये उपस्कर की व्यवस्था की जाएगी । खुले माल के उतारने-चढ़ाने के लिये नवीन उपस्कर की व्यवस्था करने की संभावनाओं पर भी समय समय पर विचार किया जाता है । कोयला और लौह धातुक के खुले माल को लादने-उतारने के लिए कलकत्ता पत्तन पर कुछ मशीनी सुविधाएं मौजूद हैं । खाद्यान्न को मशीनों द्वारा उतारने के लिए किदीरपुरडाक में एक "साइलो" लगाई जा रही है । कोयला तथा कच्ची धातु की बड़ी मात्राओं को उतारने-लादने के लिए नये हल्दिया डाक में प्रर्ण मशीनी सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । बम्बई में खुले सूखे माल की मुख्य मद खाद्यान्न है जो जहाजों से मशीनों द्वारा उतारा जाता है । मद्रास में लौह धातुक को उतारने-लादने के लिए अर्धमशीनी उपस्कर जैसे ट्रांस्पोर्टर ब्रेजिज, क्रेनें, बिजली की व्हार्फ क्रेनें, इंजिन, डिब्बे, आदि की व्यवस्था की गयी है । कोयले की बर्थ पर जहाजों के फलके से कोयला उतारने-लादने के लिए ग्रैव क्रेनें स्थापित की गयीं हैं । मद्रास पत्तन में लगभग 2000 टन धातुक प्रति घंटा लादने के लिए पूर्ण रूप से मशीनों द्वारा धातुक लादने का एक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है । विशाखापत्तनम में उत्तरी बाजू की पश्चिमी और दो गहरी डुबाव वाली बर्थों का निर्माण पूरा हो गया है और 2600 टन प्रति घंटे की क्षमता वाला कच्छी धातु लादने-उतारने वाला संयंत्र लगाया जा चुका है । मारमुगाओ पत्तन में अब एक धातु लादने वाला संयंत्र काम करता है जो किसी का निजी संयंत्र है । इसकी क्षमता सीमित है । इस पत्तन पर बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा माल लादने, उतारने की व्यवस्था का विकास करने की संभावना की जांच की जा रही है । कांडला पर अनाज को मशीनों द्वारा उतारने के लिए दो बर्थों को सुसज्जित किया गया है । परादीप, मंगलौर और तूतीकोरिन को नये बड़े पत्तनों में विकसित किया जा रहा है । मध्यवर्ती पत्तनों जैसे ओखा, पोरबन्दर और कुड्डालोर का सुधार किया जा रहा है । जिस किसी पत्तन पर आवश्यक समझा जाता है वहां रेल की सुविधा में सुधार किया जाता है । कार्यानुसार मजदूरी की दर वाली योजना का विस्तार किया जा रहा है ।

सत्य तो यह है कि भारत सरकार लगातार ऐसी संभावनाओं की खोज में है जिससे जहाजों को विलम्ब न हो ।

(ख) और (ग). प्रश्न में उल्लिखित श्री ए० रामास्वामी मुदालियर का भाषण सितम्बर 1964 में दिया गया था अर्थात् लगभग एक वर्ष पहले जब कई कारणों से हमारे कुछ पत्तनों पर बड़ी भीड़ थी । प्रश्न में पत्तन पर बिताये जाने वाले समय के संबंध में जिन संख्याओं का उल्लेख किया गया है वे 1963–64 से संबंधित हैं । श्री मुदालियर द्वारा दी गयी संख्याओं में विदेशी पत्तनों पर बिताया गया समय भी शामिल है और हर एक माल पोत के लिए माल उतारने लादने में पत्तन पर समय बिताना जरूरी है । एक जहाज द्वारा पत्तन तथा समुद्र में किसी एक खास वर्ष में बिताये गये समय की संख्याएं देने का यह तात्पर्य नहीं होता कि पत्तनों पर अनावश्यक विलम्ब होता है । सत्य तो यह है कि सूखी गोदियों में विशेष सर्वेक्षण, वर्षा और मौसम के कारण हड़ताल व अन्य श्रमिकों के विवादों, निर्यात होने वाले माल के धीरे धीरे-आने से, और विदेशी बंदरगाहों पर हुई देरी का उल्लेख भी श्री मुदालियर के भाषण में है । तटीय जहाजों जो अपेक्षाकृत छोटी यात्रा करते हैं और कई तटीय पत्तनों पर जाते हैं, का अपने काम करने के दिनों का बड़ा प्रतिशत जरूरी तौर पर पत्तनों में बिताना पड़ता है ।

केन्द्रीय मछली विपणन निगम

113. श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री राम हरख यादव :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणुका बरुआ चौधरी :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मछली विपणन निगम इस वर्ष अपना कार्य आरम्भ कर देगा;

(ख) यदि हां, तो इस निगम का गठन किस प्रकार का होगा; और

(ग) निगम किन-किन मुख्य कार्यक्रमों को हाथ में लेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) निगम को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निगमित एक सीमित कम्पनी के रूप में स्थापित करने का विचार है। यह भी विचार है कि इसके शेयर केन्द्रीय सरकार, पश्चिमी बंगाल सरकार और भाग लेने वाली अन्य राज्य सरकारों तक ही सीमित रखे जाएं।

निगम में निदेशकों का एक बोर्ड रहेगा जिसमें 11 सदस्य होंगे। इन सदस्यों में निगम का अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक, और केन्द्रीय मन्त्रालयों और राज्य सरकारों जिनमें पश्चिमी बंगाल भी है, के 9 प्रतिनिधि होंगे। आरम्भ में निगम के प्रशासनिक ढांचे में निम्न प्रभाग होंगे :—

(1) प्रशासनिक और लेखा प्रभाग।

(2) क्रय प्रभाग।

(3) विक्रय प्रभाग।

बाद में, एक विकास प्रभाग भी खोला जा सकता है। निगम उपयुक्त स्थानों पर जहां महत्वपूर्ण मात्स्यकी केन्द्र हैं, अधिप्राप्ति केन्द्र स्थापित करेगा।

प्रबन्ध निदेशक की सहायता के लिये सचिव और अन्य आवश्यक तकनीकी एवं प्रशासनिक स्टाफ रहेगा।

(ग) निगम के मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं :—मछली की अधिप्राप्ति, परिवहन, संचयन, वितरण और कलकत्ते की मंडी में अपने स्टालों पर और कमीशन एजेन्टों द्वारा मछली की परचून तथा थोक बिक्री करने के काम करेगा ताकि भारत में मछली का उत्पादन करने वालों को उचित मूल्य मिले और उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर मछली उपलब्ध हो। पश्चिमी बंगाल में उत्पादित मछली के अतिरिक्त, यदि आवश्यक समझा गया तो निगम भारत के अन्य राज्यों और पूर्वी पाकिस्तान से मछली खरीदने का भी प्रबन्ध करेगा। इसके अलावा, निगम मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिये मछियारों को प्रेरणाएं दे कर जलक्षेत्रों, जलाशयों, ज्वार मुहानों आदि को पट्टे या किराये पर ले कर विकास गतिविधियां भी शुरू करेगा।

बच्चों का गोद लिया जाना

114. **श्री श्याम लाल सर्राफ :**
श्री हेडा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की जनता में यह भावना बढ़ती जा रही है कि बाल दत्तक ग्रहण सम्बन्धी कानून को वर्तमान स्थिति के अनुकूल बनाया जाना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस विषय सम्बन्धी वर्तमान कानून में उपयुक्त संशोधन करने का है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) सरकार इस मामले की जांच कर रही है।

कृषि विकास कार्यक्रम

115. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-जर्मन सहयोग के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिले में आजकल किये जाने वाले कृषि विकास कार्यक्रम को अन्य राज्यों में भी लागू किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के उन जिलों के नाम क्या हैं जहां इस कार्यक्रम को लागू किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) कुछ राज्य सरकारों ने प्रस्ताव भेजे हैं कि भारत-जर्मन कृषि परियोजना को हिमाचल प्रदेश की मण्डी परियोजना के आधार पर उनके कुछ पहाड़ी जिलों में लागू किया जाए। इस विषय में भारत सरकार और फडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी के दूतावास के बीच पत्र-व्यवहार हो रहा है। अभी तक इस विषय में कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कृषि मूल्य आयोग

116. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
श्री मा० ल० जाधव :
श्री जेधे :
श्री पु० र० पटेल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग में किसानों को प्रतिनिधित्व दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस रूप में ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख) यह प्रस्ताव है कि कृषि मूल्य आयोग की सहायता के लिए किसानों का एक ऐसा पैनल बनाया जाए जिसमें देश में विभिन्न प्रकार की फसल उगाने वाले किसानों के प्रतिनिधि शामिल किये जायें। पैनल के सदस्यों के चुनाव के बारे में राज्य सरकारों को लिखा गया है। कुछ राज्यों के उत्तर आने अभी बाकी हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

117. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1963 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधीन एक वेतन निर्धारण उप-समिति बनाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इस उप-समिति के कार्य में क्या प्रगति हुई;

(ग) इसकी रिपोर्ट के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) अब तक कुल कितना व्यय हुआ;

(ङ) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट निगम को दे देने की कब तक सम्भावना है; और

(च) निगम को इस रिपोर्ट की जांच करने तथा कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां, 15 अक्टूबर, 1962 को एक वेतन निर्धारण उप-समिति बनाई गई थी।

(ख) और (ग). 9 अगस्त, 1965 को प्रतिवदन सरकार को पेश किया गया था।

(घ) लगभग 62,778 रुपये।

(ङ) निगम ने प्रतिवदन को स्वीकार कर लिया है और केन्द्रीय सरकार को उस पर विचार करने के लिये भेज दिया है।

(च) केन्द्रीय सरकार के निर्णय प्राप्त होने के पश्चात निगम इसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करेगा।

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के बेरोजगार व्यक्ति

118. **श्री गुलशन** :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के (राज्यवार) कितने व्यक्ति अब तक बेरोजगार हैं;

(ख) इन अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के राज्यवार कितने परिवारों को आवास स्थान नहीं दिये गये; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें रोजगार तथा आवास स्थान दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उप मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) 31-12-64 को रोज़गार कार्यालय के चालू रजिस्टर के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या (राज्यवार) दिखाने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया ।देखि त्रये संख्या एल० टी० 4500/65]** अन्य पिछड़ी हुई जातियों के बेरोजगार व्यक्तियों के आंकड़े रोजगार कार्यालय नहीं रखते ।

(ख) सभी अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ेपरिवारों को मकान देने का न तो कोई इरादा था और न ही देना सम्भव है। अत: इन अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े हुए परिवारों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जिनके पास मकान नहीं हैं अथवा जिनको मकान नहीं दिये गये हैं। यह सूचना इकट्ठा करने में जो समय और श्रम लगेगा वह उस लाभ के बराबर नहीं होगा जो इन आंकड़ों के इकट्ठा करने से होगा । इसके अलावा, प्रश्न में उल्लिखित 'पिछड़े वर्गों के परिवार' बहुत अस्पष्ट हैं क्योंकि आर्थिक कसौटी के अनुसार देश की जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को पिछड़ा हुआ कहा जा सकता है।

(ग) रोजगार के मामले में निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(एक) खुली प्रतियोगिता में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये क्रमश: $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत और 5 प्रतिशत पद सुरक्षित रख दिये गये हैं और यदि बिना प्रतियोगिता के भरती की गई हो तो $16^{2}/_{3}$ प्रतिशत और 5 प्रतिशत पद सुरक्षित रख दिये गये हैं । पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये क्रमश: $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत और 5 प्रतिशत सुरक्षित रखे जाते हैं और यही बात उन तीसरी और चौथी श्रेणी के पदों पर भी लागू होती है जिनके लिए पदोन्नति, चुनाव अथवा प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा भरती की जाती है ।

(दो) जहां तक मकानों की व्यवस्था का सम्बन्ध है, आवास तथा निर्माण मंत्रालय ने कईयोजनाएं बनायी हैं, जैसे उपदान प्राप्त औद्योगिक मकान योजना, गन्दी बस्तियों को साफ करने की योजना, कम आय वर्ग के लिये मकान बनाने की योजना और गांवों में मकान बनाने की योजना आदि, और इनका लाभ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़ी हुई जातियों सहित साधारण जनता को मिलता है । पंचवर्षीय योजनाओं में पिछड़ी हुई जातियों के कल्याण संबंधी कार्यक्रम के अन्तर्गत विशिष्ट योजनाओं द्वारा ये लाभ और बढ़ जाते हैं ।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

119. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री वाड़ीवा :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश से गुजरने वाली जबलपुर-रायपुर सड़क तथा कांडला-कलकत्ता सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग योजना में शामिल करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने उस पर क्या निश्चय किया है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) और (ख). जी हां, मध्य प्रदेश की संसद् सदस्यों की समिति से मध्य प्रदेश होकर गुजरने वाली जबलपुर-रायपुर सड़क और कांडला-कलकत्ता सड़क की मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग योजना में शामिल करने के लिये एक तजवीज मिली है। जहां तक कांडला-कलकत्ता सड़क का ताल्लुक है, उस एलाइन्मेंट पर एक सड़क है जो पूरी तौर से मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय राजमार्ग (रा० रा० मा० संख्या 6) है। जबलपुर-रायपुर सड़क के बारे में उस वक्त तक मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग योजना को इन्तजार करना पड़ेगा जब तक कि उसके लिये धन की उपलब्धि न हो जाये, और तभी, धन की उपलब्धता पर और उनकी पारस्परिक योग्यता के अनुसार नये राष्ट्रीय राजमार्ग की सब तजवीजों पर गौर किया जायेगा। फिलहाल मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग योजना में नयी सड़क शामिल करने के लिये धन उपलब्ध नहीं है।

केरल में वृद्धावस्था पेंशन योजना

120. **श्री मणियंगाडन :**
श्री मोहम्मद कोया :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1964-65 में केरल राज्य में कितने व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत सहायता दी गयी;

(ख) योजना के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों के लिये सिफारिश की गई थी, क्या उन सब को सहायता दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो कितने व्यक्तियों को सहायता नहीं दी गई और इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 1965-66 में केरल राज्य में कितने व्यक्तियों के लिये सिफारिश की गई;

(ङ) क्या उन सब को अथवा उनमें से कुछ को सहायता दी गई है और यदि दी गई है, तो कितने व्यक्तियों को सहायता दी गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) से (च). केरल सरकार से सूचना मांगी गई है और जैसे ही प्राप्त होगी वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

राशन व्यवस्था

121. **श्री मणियंगाडन :**
श्रीमती रेणुका राय :
श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्रीनरसिम्हा रेड्डी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिये भारत के किन-किन स्थानों पर राशन व्यवस्था लागू की गई है ;

(ख) प्रत्येक स्थान पर कब से राशन व्यवस्था लागू की गई है ;

(ग) प्रत्येक स्थान पर एक व्यक्ति को कितना राशन दिया जाता है ;

(घ) क्या किसी स्थान पर राशन की मात्रा में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो कहां-कहां पर ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) कलकत्ते के औद्योगिक क्षेत्र में खाद्यान्नों की कानूनी राशन व्यवस्था लागू कर दी गयी है ।

(ख) कलकत्ते में कानूनी राशन व्यवस्था 5 जनवरी, 1965 से लागू की गई थी ।

(ग) कलकत्ते में प्रति प्रौढ़ को प्रति सप्ताह राशन पर मिलने वाली प्रत्येक चावल तथा गेहूं और/या गेहूं के पदार्थों की मात्रा 1·20 किलोग्राम है और 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों को इससे आधी मात्रा मिलती है । भारी शारीरिक काम करने वाला का भार 600 ग्राम गेहूं और/या उसके पदार्थ का अतिरिक्त राशन पाने का हकदार है।

(घ) और (ङ). फिलहाल राशन में दी जाने वाली मात्रा में कोई वृद्धि करने का विचार नहीं है ।

केरल को चावल का दिया जाना

122. **श्री मणियंगाडन :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में अनौपचारिक रूप से राशन लागू करने के पश्चात् केरल सरकार को कितना चावल दिया जा चुका है ;

(ख) एक व्यक्ति को प्रति दिन कितना राशन दिया जाता है ;

(ग) गेहूं कितनी मात्रा में दिया गया है ; और

(घ) अनौपचारिक रूप से राशन लागू करने के पश्चात् प्रत्येक महीने में चावल और गेहूं की कितनी खपत हुई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). केरल में पहली नवम्बर, 1965 से अनौपचारिक राशन-व्यवस्था लागू होने से जुलाई, 1965 के अन्त तक केन्द्रीय सरकार ने केरल को कुल लगभग 6.44 लाख मीट्रिक टन चावल सप्लाई किया । उसी अवधि में केन्द्रीय सरकार ने केरल को गेहूं की लगभग 2.73 लाख मीट्रिक टन की मात्रा दी थी । इस समय केरल राशन में दी जाने वाली मात्रा प्रति प्रौढ़ प्रति दिन 360 ग्राम है जिसमें 200 ग्राम चावल और 160 ग्राम गेहूं है ।

(घ) केरल में अनौपचारिक राशन-व्यवस्था आरम्भ होने से प्रत्येक महीने में चावल और गेहूं की जितनी खपत हुई उसके आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :

महीना	खपत हजार मीट्रिक टन में	
	चावल	गेहूं और गेहूं के पदार्थ
नवम्बर, 1964	49.1	23.6
दिसम्बर, 1964	59.1	43.1
जनवरी, 1965	72.8	31.5
फरवरी, 1965	64.8	28.4
मार्च, 1965	65.2	25.5
अप्रैल, 1965	67.2	24.00
मई, 1965	85.2	33.3
जून, 1965	70.1	27.1
जुलाई, 1965	91.0	28.7

नैतिक दृष्टि से अरक्षित महिलाओं का पुनर्वास

123. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या सामाजिक सुरक्षामंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नैतिक दृष्टि से अरक्षित महिलाओं के बचाव तथा पुनर्वास के लिये राज्य-वार क्या उपाय किये गये हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): राज्य सरकारों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह यथासमय सभापटल पर रखी जायेगी ।

मंगलौर पत्तन

124. **श्री बासप्पा** : क्या परिवहन मंत्री यह बतावे की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर में नये पत्तन के निर्माण-कार्य में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस कार्य के पूरा होने की कब तक सम्भावना है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) निम्न सूचित प्रगति हुई है :—

247 कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। कर्मचारियों की बस्ती में अन्दरूनी सड़कों का निर्माण और वहां के लिये पानी और बिजली की व्यवस्था भी पूरी की जा चुकी है। चार लाख रुपये की लागत के स्थायी प्रशासनिक कार्यालय भवन निर्माण कार्य का पहला क्रम पूरा हो चुका है और उसे अधिकृत किया जा चुका है। 4.25 लाख रुपये की लागत के प्रशासनिक कार्यालय भवन निर्माण का दूसरा क्रम प्रगति पर है। कई गोदाम, भंडारघर, गाड़ियों के गेराज और एक अस्थायी कारखाना पूरे हो चुके हैं। पानंबूर में एक प्रथम श्रेणी की मौसम वेधशाला स्थापित की गई है और कार्य कर रही है। क्वालिटी कन्ट्रोल प्रयोगशाला भवन का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन में प्रगति हो ही है। खदानों के लिए पहुंच मार्गों का कार्य राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया था और उस अच्छी प्रगति हो रही है। बन्दरगाह सम्पत्ति के क्षेत्र में ऊंची भूमि को समतल करने का काम और बन्दरगाह सम्पत्ति के अन्तर्गत निम्न स्तरीय स्थानों को ऊंचा करने का काम हाथ में लिया गया है।

परियोजना के लिये आवश्यक भूमि प्राप्त की जा रही है। सरकारी भूमि का 135.15 एकड़ और गैर-सरकारी भूमि का 839.99 एकड़ का क्षेत्र प्राप्त कर लिया गया है और आगे भूमि प्राप्त करने की कार्य वाही में प्रगति है। प्राप्त करने के लिये स्वीकृत सम्पूर्ण क्षेत्र 2176 एकड़ है ।

मंगलौर रेलवे स्टेशन से बन्दरगाह के स्थान तक रेल लाइन निर्माण कार्य में प्रगति हो रही है। बन्दरगाह का लेआऊट पूरा हो गया है । मुख्य संरचनाओं के डिज़ाइन जैसे पनकट दीवार और सामान्य माल बर्थ पूरे किये जा चुके हैं। निविदा प्रलेख तैयार किये जा रहे हैं। एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और 26.96 करोड़ रुपये का एक प्राक्कलन तैयार किया जा चुका है।

(ख) 1969 तक बन्दरगाह के निर्माण को पूरा कर देने का कार्यक्रम तैयार किया गया है।

दिल्ली में भिखारी

125. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिक्षावृत्ति को दूर करने के लिये अधिनियम के बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या में भिखारी दिल्ली और नई दिल्ली में पाये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस अभिशाप को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्य कर रही है ; और

(ग) क्या सरकार ने कोई ऐसा अनुमान लगाया है कि भिखारी प्रति वर्ष कितना रुपया इकट्ठा कर लेते हैं ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) भिक्षावृत्ति विरोधी कानूनों का अधिक जोर से कार्यान्वन, भिक्षुकों सम्बन्धी संस्था-सेवाओं को अधिक बढ़ना, और यदि आवश्यक हो तो भिक्षा-वृत्ति विरोधी कानूनों का संशोधन जिससे कि वे कानून अधिक परिणामदायक हों, यह सब उपाय सरकार के विचाराधीन है ताकि भिक्षावृत्ति को पूर्णतया समाप्त किया जा सके ।

(ग) नहीं, जी ।

आस्ट्रेलिया से गेहूं का आयात

126. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आस्ट्रेलिया से इस वर्ष अब तक कितना गेहूं मंगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा में दी गयी वस्तु भाड़े की राशि कितनी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) 1965 में 31-7-1965 तक आस्ट्रेलिया से 324.2 हज़ार मीट्रिक टन गेहूं का आयात किया गया था।

(ख) रु० 131.49 लाख

किसान तालिका

127. श्री जसवन्त मेहता :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों में कृषि-कार्यक्रम की क्रियान्विति के बारे में सलाह देने के लिये प्रमुख किसानों की तालिका बना ली गई है ;

(ख) इस तालिका के निदेश पद क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि उर्वरकों, कीटनाशी औषधियों तथा ट्रेक्टरों के निर्माताओं के प्रतिनिधियों को इस तालिका में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया गया है ; और

(घ) क्या इस तालिका को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कोई समय-सीमा दी गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) इस पैनल के कोई विशेष विचारार्थ विषय नहीं है। आवश्यकता होने पर पैनल बैठेगा और उन मामलों पर विचार करके सलाह देगा जो खाद्य तथा कृषि मन्त्री जो इस पैनल के अध्यक्ष होंगे, द्वारा उसके पास भेजे जायेंगे । केन्द्रीय खाद्य निगम भी इसके पास अपने मामले भेज सकता है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी नहीं, पैनल को कोई रिपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं है ।

चीनी का उत्पादन

128. श्री जसवन्त मेहता :
श्री डी० महादेव प्रसाद :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री जेधे :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष चीनी के उत्पादन का लक्ष्य क्या है ;

(ख) 30 जून, 1965 तक चीनी का उत्पादन कितना हुआ ;

(ग) इस बात के देखते हुए कि चीनी का उत्पादन काफी हो गया है, क्या महाराष्ट्र और गुजरात की सरकारों ने चीनी से नियंत्रण हटाने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) इस वर्ष चीनी के उत्पादन का ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था ।

(ख) 31.30 लाख मीट्रिक टन ।

(ग) जी हां । ऐसे सुझाव दिये गये हैं ।

(घ) समीकरण भण्डार तैयार करने के लिये, सरकार का फिलहाल चीनी पर नियंत्रण जारी रखने का विचार है ।

राष्ट्रीय समुद्री टेक्नोलाजी संस्थान

129. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या परिवहनमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्वा राष्ट्रीय समुद्रीटेक्नोलार्जी संस्थान की स्थापना के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां,तो इस विषय में क्या निर्णय किये गये हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) यह मामला राष्ट्रीय जहाजरानी मंडल के विचाराधीन है । उनकी सिफारिशें प्राप्त होने के बाद इस मामले पर सरकार द्वारा और जांच की जायेगी ।

Development Blocks

130. **Dr. Mahadeva Prasad:**
Shri Sarjoo Pandey:

Will the Minister of **Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) the total number of development Blocks in the country at present;

(b) whether Development Blocks are being reorganised ; and

(c) the basis on which these Blocks will be re-organised?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Cooperarion (Shri B. S. Murthy): (a) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in the Library. See No. Lt.-4501/65*]

(b) & (c). There is no proposal for reorganisation as such; the question of redelimitation of block boundaries, for administrative purposes, has, however, been mooted from time to time in certain areas.

Training in Co-operation

131. **Dr. Mahadeva Prasad:** Will the Minister of **Community Development and Co-operation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a team of Government Officials will be sent to West Germ any for training in Co-operation; and

(b) if so, the composition of the said team ?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Co-operation (Shri B. S. Murthy): (a) The matter is as yet only at a very preliminary stage of consideration.

(b) The Question of the composition of the team would arise only at a much later stage.

नर्मदा पुल

132. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई अहमदाबाद राज मार्ग पर नर्मदा नदी पर पुल बनाने की मंजूरी दे दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितना व्यय होगा; और

(ग) अब तक इसमें क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ग). राष्ट्रीय मुख्यमार्ग सं० 8 में नर्मदा के ऊपर के नये पुल निर्माण की परियोजना चालू आयोजना में शामिल की गई है, और मौजूदा कमजोर पुल से कुछ मील ऊपर की ओर जादे श्वर पर इसे बनाने का निर्णय किया गया है। इस निर्माण कार्य की योजनाओं और अनुमानों, जो राज्य सरकार से प्राप्त हुए हैं, की जांच की जा रही है और उन्हें जल्दी ही मंजूर किया जायेगा ।

(ख) इस पुल पर अनुमानतः 3 करोड़ रुपया खर्च होगा ।

हवाई अड्डों पर रेडार व्यवस्था

133. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
डा० श्री निवासन :
श्री परमशिवन :
श्री इन्द्रजीत लालमलहोत्रा :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने हवाई अड्डों पर अब तक रेडार व्यवस्था कर दी गई है ;

(ख) कितने और कौन-कौन से हवाई अड्डों पर रेडार नहीं लगाये गये हैं और इनमें से कौन-कौन से सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं ; और

(ग) इनमें से किन हवाई अड्डों पर इस वर्ष यह व्यवस्था कर दी जायेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित तीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर राडार व्यवस्था कर दी गयी है ।

(ख) उपर्युक्त हवाई अड्डों के सिवाय किसी दूसरे हवाई अड्डे पर राडार नहीं लगाये गये हैं ।

(ग) कोई नहीं, लेकिन पालम में लगभग 18 से 24 महीनों के अन्दर राडार की व्यवस्था करने की योजना है ।

मानक (स्टैण्डर्ड) दूध में चिकनाई की मात्रा

134. श्री दी० चं० शर्मा :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मानक दूध में टोंड दूध जितनी ही चिकनाई की मात्रा होती है और जैसा कि दिल्ली दुग्ध योजना ने आश्वासन दिया था यह मात्रा पांच प्रतिशत नहीं होती ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(घ) इस बारे में क्या उपाय किये जायेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी नहीं । दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये जाने वाले मानकीकृत दूध में 5 प्रतिशत चर्बी होती है जब कि टोन्ड दूध में 3 प्रतिशत चर्बी होती है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम

135. **श्री प्र० चं० वरुआ** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम को लागू करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) देश के किन-किन भागों में अभी तक यह कार्यक्रम लागू नहीं किया गया है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) : (क) व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम 200 सामुदायिक विकास खण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा है । खण्डों की राज्यवार स्थिति बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4502/65 ।]**

(ख) असम, बिहार, गुजरात, जम्मू तथा काश्मीर, राजस्थान, नागालैण्ड के राज्यों और मनीपुर, त्रिपुरा, नेफा, पांडेचेरी, अंडेमान तथा निकोबार द्वीपसमूह तथा गोवा के संघ क्षेत्रों को यह कार्यक्रम अभी कार्यान्वित करना है । 'सब्सिडियरी प्लान्स आफ आपरेशन' के मसौदे असम, बिहार, गुजरात, जम्मू तथा काश्मीर, राजस्थान और गोवा से प्राप्त हो चुके हैं और उन्हें शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जाएगा । आशा है कि अन्य राज्य भी निकट भविष्य में 'सब्सिडियरी प्लान्स' बनाएंगे ।

पटसन की खेती के लिए उर्वरक का दिया जाना

136. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पटसन निर्माणित संस्था की कच्चे पटसन सम्बन्धी कार्य-समिति ने पटसन के विकास के बारे में सरकार के रुख तथा उदासीनता पर निराशा प्रकट की है क्योंकि भारत सरकार पश्चिमी बंगाल तथा बिहार के पटसन के खेतों के लिए किसी भी रूप में नाइटरोजन युक्त उर्वरक को देने में असफल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) सरकार को भारतीय पटसन निर्माणित संस्था से अधिकृत रूप से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है ।

(ख) काफी लम्बे समय तक सूखा पड़ने के कारण उत्पन्न हुई स्थिति को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने पटसन की फसल के स्प्रे फर्टिलाईजेशन के लिए पश्चिम बंगाल को 2500 मीटरी टन और उड़ीसा को 250 मीटरी टन यूरिया देने के लिए कदम उठाये हैं। इस उर्वरक का मूल्य 15·68 लाख रुपए होता है और इसे भारत सरकार ने पूर्ण रूप से वहन किया है । इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने भूमि में उपयोग हेतु पटसन तथा मेस्ता की फसलों के लिए बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आन्ध्र प्रदेश को 18172 मीटरी टन नाइट्रोजनपूरक उर्वरकों का विशेष कोटा भी अलाट किया है।

वर्षा की सम्भावना

137. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के दौरान सारे भारत में वर्षा तथा मानसून के बारे में क्या संभावनायें हैं ; और

(ख) क्या इस संबंध में पूर्वानुमान करना संतोषजनक सिद्ध हुआ है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इस वर्ष के दौरान मानसूनी वर्षा सामान्य से कुछ कम होने की संभावना है ।

(ख) इस संबंध में पूर्वानुमान आम तौर पर सन्तोषजनक सिद्ध हुआ है ।

काहिरा का हवाई अड्डा

138. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विमान चालकों की संस्था के अन्तर्राष्टीय संघ ने यह सिफारिश की है कि काहिरा के हवाई अड्डे का रात को प्रयोग नहीं होना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) इंडियन पायलट्स गिल्ड ने 23 जुलाई, 1965 को एयर-इंडिया के प्रबन्ध-वर्ग को यह बयान करते हुए लिखा कि एयरलाइन पायलट्स एसोसियेशन की इन्टरनेशनल फेडरेशन (आई एफ ए ए एल पी ए) की सिफारिशों पर, गिल्ड ने 16 जुलाई, 1965 को अपने सदस्यों को एक निदेश जारी किया कि उन्हें काहिरा हवाई अड्डे के रनवे 34 पर अंधकार के समय में विमान नहीं उतारना चाहिए । यह, उसके अनुसार, मुख्यतः विमान यातायात नियंत्रण, रेडियो एड्स और एयरोड्रोम ग्राउण्ड एड्स में कुछ कमियों के कारण था ।

सभी बातों का विचार करते हुए प्रबन्धक-वर्ग ने, तब तक, कैरो हवाई अड्डे पर रात को सुरक्षित परिचालनों का सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत क्रिया-विधि निर्धारित कर दी थी और कारपोरेशन के कमांडर उन्हीं का अनुसरण कर रहे थे । इसलिए, एयर इंडिया की उड़ानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा ।

कलकत्ता पत्तन

139. **श्री सोलंकी :**
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन आयुक्त 1965–66 के आय व्यय के घाटे को पूरा करने के लिये पत्तन शुल्क बढ़ाने के बारे में विचार कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कलकत्ता में पत्तन शुल्क देश भर में सबसे अधिक है तथा गत आठ वर्षों में यह 70 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गया है;

(ग) क्या आई० सी० सी० ने सुझाव दिया है कि पत्तन शुल्क में और वृद्धि करने से व्यापार तथा मूल्य ढांचों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा उसने यह अनुरोध किया है कि दरों को कम किया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो भारत सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) (क) से (घ) तक : कलकत्ता पत्तन कमिश्नरों ने अपने 1965–66 के राजस्व बजट में 56·6 लाख रुपये की कमी का अनुमान लगाया था । इसके अलावा पोर्ट और डाक कर्मचारियों के वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के कारण जिनमें अंतरिम राहत और मंहगाई भत्ते में वृद्धि दी गयी थी; देयता में 80 लाख रुपये की और वृद्धि हुई । इसलिये इस कमी को पूरा करने के लिये पोर्ट कमिश्नरों को विभिन्न सेवाओं के प्रभार बढ़ाना आवश्यक हो गया ।

हुगली नदी की सफाई के खर्च को पूरा करने के लिये, जो 4·5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होता है, कलकत्ता कमिश्नरों द्वारा नदी देय लगाने के कारण कलकत्ता पत्तन द्वारा लगाये गये प्रभार भारत के अन्य पत्तनों के प्रभारों से ऊंचे हैं । यदि नदी देय को छोड़ दिया जाये तो प्रभार दूसरे बड़े पत्तनों के प्रभारों के समान ही होंगे । कलकत्ता

पत्तन को तरह अन्य बड़े पत्तन नदी सफाई प्रभार नहीं लेते हैं। गत आठ वर्षों में विभिन्न पत्तन प्रभारों में प्रतिशत वृद्धि का औसत लगभग 52प्रति शत होगा ।

पत्तन प्रभारी की वृद्धि के विरुद्ध केवल ओरियंटल चैंबर आफ कामर्स ने सरकार को प्रतिवेदनभेजा है। पत्तन कमिश्नरों ने, जिनमें विभिन्न चैंबरों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, पत्तन प्रभारों को अनुमोदित किया ।

पत्तन प्रभारों की वृद्धि को सरकार ने मंजूर कर दिया है और वे 1 अगस्त, 1965 से लागू होते हैं सिवाय रेल के ऊपर के प्रभारों के जो 8 जुलाई, 1965 से लागू होते हैं ।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

140. **श्री सोलंकी :**
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री जेधे :
श्री मा० नां० स्वामी :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री बासप्पा :

क्या असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग संघ ने आई० ए० सी० विमानों की उड़ानों में, विशेषकर जहां कारावील्ज विमान चलते हैं, बार बार तथा अत्यधिक विलम्ब होने एवं विमानों में दी जाने वाली चाय तथा भोजन की किस्म के विरुद्ध शिकायत की है ;

(ख) क्या सरकार ने इन आरोपों की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग संघ (एफ आईसी सी आई) से एक शिकायत प्राप्त की है और शिकायत में किये गये आरोपों की जांच की है।

(ग) कारपोरेशन को अपनी सेवाओं में हो रही देरीयों की बड़ी संख्या का स्वयं ध्यान है और वे विमानों और विमान कर्मीदल (क्रू) की कमी के कारण लगा दी गयी हदों के अन्तर्गत अपनी सेवाओं की समय पाबन्दी में सुधार करने का दृढ़ प्रयत्न कर रहे हैं।

यात्रियों की प्रतिक्रिया के बारे में कारपोरेशन द्वारा किये गये एक हाल के सर्वेक्षण के अनुसार, आई ए सी की उड़ानों में दिया जाने वाला भोजन आमतौर पर बुरा नहीं बताया जाता है । फिर भी, कारपोरेशन अपने भोजन, खासकर एयरपोर्ट रेस्टोरेण्टों से लिए गये भोजन की किस्म में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

"आई० ए० सी०" के लिए करावेल विमान

141. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष इण्डियनएयरलाइन्सकारपोरेशन काऔरकैरावेल विमान मंगाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने विमान और उनका मूल्य कितना होगा; और

(ग) किन किन मार्गों पर चलाये जायेंगे ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी, हां ।

(ख) इस वर्ष इण्डियनएयर लाइन्स कारपोरेशन को दो और कारवेल विमान मिलने को हैं, एक नवम्बर में और दूसरा दिसम्बर, 1965 में । फ़ालतू इंजनों और दूसरे फालतू पुर्जों तथा स्टोर्स सहित दोनों विमानों का कुल मूल्य 4.81.00 लाख रुपया है ।

(ग) दो अतिरिक्त कारवेल विमानों के आ जाने से छः कारवेल विमानों के कुल बेड़े को निम्नलिखित सेवाओं पर चलाने के लिए इस्तेमाल करने की योजना है:—

1. दिल्ली-बम्बई	प्रत्येक और दैनिक चार आवृत्तियां
2. दिल्ली-कलकत्ता	प्रत्येक और दैनिक दो आवृत्तियां
3. दिल्ली-हैदराबाद	प्रत्येक और दैनिक एक आवृत्ति
4. हैदराबाद-मद्रास	
5. मद्रास-कलकत्ता	
6. मद्रास-बम्बई	
7. बम्बई-बंगलौर	
8. बम्बई-हैदराबाद	
9. बम्बई-कराचीया दिल्ली—कराची	सम्भवतः सप्ताह में तीन बार

चावल का अभाव

142. **श्री रामेश्वर आंदिया :**
श्री रा० बरुआ :
श्री द्वारकादास मंत्री :
श्री बसुमतारी :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 जुलाई, 1965 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जो दिल्ली की थोक मण्डी में नियन्त्रित दरों पर बिकने वाले चावल की ज्यादा प्रयोग में आने वाली किस्मों, जैसे मोटासेला, बेगमी तथा सुनहरी बासमती के गायब होने के बारे में है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली में पंजाब से चावल की नियमित आमद सुनिश्चित करने के लिये दिल्ली प्रशासन थोक व्यापारियों से मिल कर दिल्ली में चावल की उपलब्धि बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश और पंजाब से 1700 मीट्रिक टन चावल का तुरन्त आयात करने और इसे सहकारी समितियों द्वारा वितरित कराने के भी प्रबन्ध किये गये हैं।

वन वृक्षों सम्बन्धी अनुसन्धान

143. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1964–65 में अमरीका के कृषि विभाग ने वन वृक्षों विशेषकर कोनिफर वृक्षों के सेल तथा शिरा (टिश्यु) के विकास का अध्ययन करने के लिये विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों के लिये कितना अनुदान दिया था; और

(ख) ये अनुसन्धान कार्य किन-किन विश्वविद्यालयों में किये जायेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) अमरीका के कृषि विभाग ने कोनिफर वृक्षों के सैल तथा शिरा (टिश्यु) के अनुसन्धान के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को 5 वर्ष के लिए 3,36,865 रुपये का अनुदान दिया है। यह अनुदान 30 मार्च, 1965 से चालू किया गया।

(ख) यह अनुसन्धान कार्य फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय में किया जाएगा।

रूसी मैरीनो भेड़ें

144. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस से प्राप्त हुई 25 रूसी "मैरीनो" भेड़ों के लिए आबू की जलवायु अनुकूल सिद्ध हुई है;

(ख) इन्हें जयपुर भेजने को कब तक सम्भावना है; और

(ग) इन भेड़ों के प्रयोग से स्वदेशी नस्ल तैयार करने में भारतीय विशेषज्ञों को क्या सफलता प्राप्त हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) 16 अप्रैल, 1965 को भेड़ों को जयपुर भेजा गया।

(ग) राज्य सरकार संकर प्रजनन के विषय में परीक्षण करने के कार्यक्रम को शुरू कर रही है।

दुग्ध संयंत्र

145. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयवाड़ा और मिरज में दो सम्पूर्ण दुग्ध सन्यन्त्रों के निर्माण के मामले में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इन कारखानों का निर्माण कार्य कब तक समाप्त हो जायेगा और इन में उत्पादन कब तक आरम्भ होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख). विजयवाड़ा में डेरी फैक्टरी की बिल्डिंग और बिरंकिलोक तथा हनुमान जंकशन में दो चिलिंग केन्द्रों के निर्माण का काम कार्यक्रम के अनुसार चालू है । विजयवाड़ा में रेलवे साईडिंग भी लगभग पूरी बन गई है । पामारू में एक चिलिंग केन्द्र पूरा बन चुका है और आवश्यक मशीनरी लगा दी गई है ।लगभग 5000 लिटर दूध जो आस-पास के गांवों से इकट्ठा किया जाता है इस केन्द्र में उसकी प्रक्रिया होती है और पायलट के आधार पर उसे हैदराबाद भेजा जाता है ।यूनीसैफ द्वारा दान दी गई मशीनरी जो पहले ही ठिकाने पर पहुंच चुकी है, के लगने के बाद यह परियोजना निश्चित समय के अनुसार सम्भवत: 1966 के मध्य में शुरू हो जाएगी ।

जहां तक मिराज परियोजना का सम्बन्ध है आवश्यक भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है और भवन निर्माण कार्य तेजी से चालू है ।जहां तक डेरी उपकरण का सम्बन्ध है यह परियोजना डैनिस क्रैडिट के अन्तर्गत शामिल की गई है । उपकरण का कुछ भाग पहले ही पहुंच चुका है ।सम्भवत: यह परियोजना 1966 के अन्त तक शुरू हो जाएगी ।

संयुक्त सहकारी खेती समितियां

146. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त सहकारी खेती समितियों का कार्य सफल नहीं रहा है और मद्रास सरकार ने नई सहकारी समितियों को रजिस्टर न करने का फैसला किया है ;

(ख) क्या सरकार ने इन समितियों के कार्य का मूल्यांकन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). मद्रास सरकार ने संयुक्त खेती समितियों के कार्यकरण की जांच करने के लिए जो समिति नियुक्त की थी उसने जो समीक्षा की और कुछेक समितियों के बारे में संयुक्त रजिस्ट्रार (खेती) ने जो व्यक्तिगत मूल्यांकन किया था उससे पता चला कि ऐसी समितियों के विकास में कुछेक कमियां तथा अड़चनें बाधक हैं। अत: राज्य सरकार निम्नलिखित अस्थायी निष्कर्षों पर पहुंची है:--

(1) यह अच्छा है कि और कोई संयुक्त खेती तथा सामहिक खेती समितियां गठित न की जाएं लेकिन वैयक्तिक अथवा (काश्तकार) सहकारी खेती समितियां चालू करने के बारे में कोई आपत्ति नहीं है ;

(2) चालू की जा चुकी सभी खेती समितियों के कार्यकरण की सूक्ष्मता से जांच की जाए और जिन समितियों को पुन: चलने तथा सफलतापूर्वक कार्य करने योग्य बनाया जा सकता हो, उन्हें सुदृढ़ करने के लिए कार्रवाई की जाए ।

राज्य सहकारी खेती बोर्ड ने 30-6-1965 को हुई अपनी बैठक में इन निष्कर्षों की सामान्य रूप से पुष्टि करते हुए निम्नलिखित सिफारिशें कीं:--

(क) संयुक्त अथवा सामूहिक खेती समितियों के गठन के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित न किया जाए । तथापि यदि छोटे पट्टेदार स्वैच्छिक रूप से संयुक्त समितियां गठित करना

चाहें तो कोई आपत्ति न की जाए बशर्ते कि वे वास्तव में ऐसी समितियां बनाने में रुचि रखते हों और उनके सफलतापूर्वक कार्य करने की गुंजाइश हो ;

(ख) राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से दूसरे राज्यों की उन संयुक्त खेती और सामूहिक खेती समितियों का ब्यौरा प्राप्त कर सकती हैं, जिन्होंने सफलतापूर्वक कार्य किया है और उन समितियों के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए अपने अधिकारियों को भेज सकती हैं ;

(ग) मौजूदा समितियों के कार्यकरण की सूक्ष्मता से जांच की जाए और जहां कहीं भी गुंजाइश हो समितियों को सुदृढ़ करने के लिए कार्रवाई की जाए ताकि वे सदस्यों को भूमि विकास, सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था आदि के लिए आवश्यक आम सेवाएं सुलभ कर सकें। तथापि, इन समितियों का कृषि कार्य हर सदस्य पर व्यक्तिक रूप से करने के लिए छोड़ दिया जाए; और

(घ) राज्य निबन्धक उन समितियों को बन्द करने के लिए कदम उठाए जिन्हें सफलतापूर्वक चलने योग्य नहीं बनाया जा सकता है ।

अतः नई संयुक्त खेती समितियों के गठन पर कोई पूरा प्रतिबन्ध नहीं है । जहां ऐसी समितियों के सफलतापूर्वक चलने की सम्भावना है, वे अब भी गठित की जा सकती हैं ।

खाद्यान्नों का समाहार

147. श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के खाद्य निगम ने इस वर्ष अब तक विभिन्न राज्यों में कितनी मात्रा में विभिन्न खाद्यान्नों का समाहार किया अथवा उन्हें प्राप्त किया ;

(ख) निगम ने गोदामों की क्या व्यवस्था की है ;

(ग) उस व्यवस्था पर कितना व्यय हुआ ;

(घ) निगम के लिये खाद्यान्नों का समाहार करने अथवा उन्हें प्राप्त करने के लिये क्या व्यवस्था है ;

(ङ) इस वर्ष विभिन्न राज्यों को कितनी मात्रा में खाद्यान्न दिये गये ; और

(च) निगम ने वितरण के लिये क्या व्यवस्था की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश और मद्रास की सरकारों से केन्द्रीय सरकार के खाते में ली गयी, मैसूर में इसे हस्तान्तरित की गयी और पांडिचेरी में खरीदी गयीं सारी मात्राएं 2.23 लाख मीट्रिक टन बनती हैं ।

(ख) ये स्टाक निम्न गोदामों में रखे गये हैं:—

(1) वे गोदाम जो पहले भारत सरकार के थे और अब निगम को हस्तान्तरित किये जा चुके हैं।

(2) केन्द्रीय और राज्य भण्डागार निगम के पास उपलब्ध गोदामों में; और

(3) प्राइवेट पार्टियों से किराये पर लिये गये गोदामों में।

(ग) गोदामों की देखभाल और किराये पर 1965–66 में 48.59 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(घ) निगम पांडेचरी में मिल मालिक से सीधे चावल खरीद रहा है। अन्य दक्षिणी राज्यों में निगम चावल के स्टाक राज्य सरकार की एजेन्सियों जिनमें मिल मालिक भी शामिल हैं, से प्राप्त करता है।

(ङ) खाद्य निगम द्वारा अब तक विभिन्न राज्यों में वितरित की गयी मात्रा के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय में सभा के पटल पर रखी जाएगी।

(च) निगम द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों में खाद्यान्नों का वितरण केन्द्र द्वारा आवंटन के आधार पर किया जाता है। उपभोक्ताओं में वितरण की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।

लगुड़-निर्माण प्रशिक्षण केन्द्र

1148. श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री अ० सि० सहगल :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि और खाद्य तथा कृषि संगठन की सहायता से लट्ठे बनाने (लौगिंग) के चार सरकारी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने तथा इन्हें चलाने के करार पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी हां।

(ख) समझौते की मुख्य-मुख्य बातें ये हैं:—

(1) परियोजना की कुल अनुमानित लागत 52,46,542 रुपये है। इसमें से संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि का अंशदान 25,28,145 रुपये है और भारत सरकार का अंशदान 18,65,171 रुपये है तथा 8,53,226 रुपये पदाधिकारियों द्वारा जो प्रशिक्षार्थियों का परिचालन कर रहे हैं उनके वेतन के रूप में वहन किया जाएगा।

(2) निम्नलिखित क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जायेगा:—

(क) विभिन्न परिस्थितियों में लौगिंग बनाने की कुशलता की आयोजना तथा अध्ययन।

(ख) यांत्रिक लौगिंग उपकरण की कार्यप्रणाली तथा देखभाल उसमें केवलवेज, विन्चिज ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, लादने वाले साधन तथा परिवहनीय आरा मिल शामिल हैं।

(ग) मूल लौगिंग तकनीक जिसमें हाथ के औजार और बिजली से चलने वाले आरे, पातन तकनीक, मानव तथा भार वहन करने वाले पशुओं द्वारा खिचाव और अन्य अयांत्रिक परिवहन साधन शामिल हैं की देखभाल।

(ग) परियोजना के विदेशी सह-निदेशक नियुक्त कर दिये गये हैं। परियोजना हेतु विशेष कार्य अधिकारी सह-निदेशक की सहायता के जरिए नियुक्त कर दिये गये हैं। और शेष स्टाफ नियुक्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। आवश्यक उपकरण के लिए आदेश दे दिये गये हैं। मूल लौगिंग में प्रशिक्षण देहरादून में शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा।

दुग्ध-चूर्ण

149. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना अधिकारियों ने हाल ही में बहुत-सा दुग्ध-चूर्ण नष्ट किया; और

(ख) यदि हां, तो यह दुग्ध-चूर्ण कितना था तथा इसको नष्ट करने के क्या कारण थे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). दिल्ली दुग्ध योजना ने हाल ही में 11.86 मीटरी टन निम्न ग्रेड का दुग्ध-चूर्ण नष्ट किया है। यह वह दुग्ध-चूर्ण था जिसमें जले हुए कण थे तथा जो झाड़-पोंछ से एकत्रित किया गया था। यह मनुष्यों और पशुओं के काम आने के योग्य न था। अतः सरकार ने यह निश्चय किया कि इस दुग्ध-चूर्ण को नष्ट कर दिया जाये ताकि इसके दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थों में मिल जाने का भय न रहे।

खाद्यान्नों पर विलम्ब-शुल्क

150. **श्रीमती लक्ष्मी बाई :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राम हरख यादव :
श्री कपूर सिंह :
श्री सोलंकी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को हाल ही में कोचीन पर, संयुक्त राज्य अमरीका से लाया गया गेहूं जहाजों से देर में उतारने के कारण विलम्ब-शुल्क के रूप में बहुत सी राशि देनी पड़ी;

(ख) यदि हां, तो दिये गये विलम्ब-शुल्क की राशि कितनी है; और

(ग) जहाजों से माल देर से उतारने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) और (ख). अक्तूबर, 1964 से जुलाई, 1965 की अवधि में 4.16 लाख रुपये।

(ग) अधिकांश विलम्ब शुल्क अप्रैल और मई 1965 की अवधि में आये जहाजों पर दिया गया, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में जहाज पर माल चढ़ाने और उतारने वाले मजदूरों की हड़ताल समाप्त होने पर भारतीय बन्दरगाहों पर जहाजों का भारी जमाव हो गया जिसके फलस्वरूप जहाजों को काफी देर तक रुकना पड़ा। भारी जमाव के अलावा, कोचीन बन्दरगाह पर मजदूरों से जहाज के खाव ों में खुले गेहूं को बोरियोंमें भरने आदि का काम नहीं लिया जाता जिससे उतारने में देरी लग ी। उस समय अन्य कई कठिनाइयां भी थीं जिनमें मजदूरों और बगनों की अपर्याप्त सप्लाई भी है जिससे शड में भी जमाव हो गया और उतारने के काम में देर हुई।

Begging by Children

152. **Shri Sidheswar Prasad:** Will the Minister of **Social security** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 749 on the 6th April, 1965 and state the progress since made in the implementation of the schemes framed for preventing children from begging

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao): The progress in the implementation of the scheme of extending Non-Institutional Services for control and eradication of Juvenile Beggary and Vagarancy has been as follows:—

Hyderabad:

One Central office and the Unit for training-*cum*-production Centre have been opened in Hyderabad. Another Unit has also started functioning at Secunderabad with effect from 1st June, 1965.

Bombay:

The Scheme has been started in Bombay and the necessary staff appointed for the purpose. As no separate premises could be secured, the work has been started in one of the existing Beggar Homes.

Kanpur:

The Government of India has since given its approval for starting the the scheme. The state Government has provided for an amount of 0.50 lakh for the scheme in the current year.

Delhi:

The Scheme is proposed to be started shortly in the selected areas of Delhi where incidence of Juvenile begging is very high. An amount of Rs.0.75 lakh has been provided in the Budget Estimates for the year 1965-66 for the same.

Central Institution for training and Research in Panchayati Raj

153. **Shri Sidheswar Prasad :** Will the Minister of **Community Development and Co-operation** be pleased tor refer to the reply given to Starred Question No. 751 on the 6th April, 1965 and state:

(a) the number of persons who have been doing research work in the Central Institution for Training and Research in Panchayati Raj;

(b) the subjects of research and since when they are doing it;

(c) the number of persons, statewise, who have been imparted training in the said institution; and

(d) the number out of the trained persons who are unemployed at present.

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Co-operation (Shri B. S. Murthy): (a) and (b) No research work has been undertaken by the Central Institute for trainning and Reaseach in Panchayati Raj.

(c) A statement is placed on the Table of the House. [*Placed in the Library See No. LT-4503/65*]

(d) The information is being collected from the respective State Goven-ments.

उर्वरकों का आयात

154. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार विदेशों से एमोनियम सल्फेट यूरिया, कैल्सियम, एमोनियम नाईटेट आदि उर्वरक किस दर पर खरीदती है;

(ख) ये उर्वरक देश में किसानों को किस दर पर बेचे जाते हैं ;

(ग) सिन्दरी तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य कारखानों में एक टनएमोनियम सल्फेट परकितनी लागत आती है ; और

(घ) एमोनियम सल्फेट के रूप में एक किलो नाईट्रोजन और अजल एमोनिया के रूप में एक किलो नाईट्रोजन का मूल्य क्या है और यदि अजल एमोनिया के रूप में नाईट्रोजन सस्ती है, तो क्या सरकार का कोई ऐसा विचार है कि इसका उत्पादन करके इसे किसानों को दिया जाये जिससे कि अनाज पैदा करने पर कम लागत आये ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहन वाज खां): (क) लागत तथा भाड़े सहित वे औसत मूल्य जिन पर सरकार ने 1965–66 की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों से उर्वरक खरीदे हैं निम्न प्रकार हैं :—

उर्वरक का नाम	लागत तथा भाड़े सहित प्रति मीटर लागत
	रुपये पै०
अमोनियम सल्फेट .	307·73
यूरिया	504·64
सी० ए० एन० और ए० एन०	आयात नहीं किया गया।

(ख) भाग (क) में उल्लिखित उर्वरकों को (चाहे वे देश में तैयार हुए हों या आयात किये हुए हों) विभागीय खर्च, रेलवे भाड़ा तथा वितरण विषयक खर्च शामिल करने के पश्चात् कृषकों को निम्नलिखित दरों पर बेचा जाता है :—

उर्वरक का नाम	केरल, मद्रास, मैसूर, आसाम तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में चाय, काँफी व रबड़ केबागों के प्रयोग के लिए कब बेचा गया	कृषकों के प्रयोग के लिए कब बेचा गया (आंकड़े रुपयों में)			
		उत्तर प्रदेश में	मद्रास में	उड़ीसा में	किसी अन्य राज्य या संघ क्षेत्र में
1	2	3	4	5	6
1. अमोनियम सल्फेट	374·60	366·00	370·20	373·00	360·00
2. यूरिया .	615·00	615·00	632·55	615·00	615·00
3. कैल्सियम अमोनियम नाईट्रेट	342·00	346·00	351·60	353·00	342·00

उपरोक्त अधिकतम मूल्य (कालम 4को छोड़ कर) में बिक्री कर तथा अन्य स्थानीय कर शामिल नहीं हैं, परन्तु जो मूल्य कालम 4 में दिये गये हैं उनमें थोक स्तर पर बिक्री कर शामिल है :—

फैक्टरी का नाम	वर्ष	प्रति मीटरी टन मूल्य
1—फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि० सिन्दरी यूनिट	1965–66	रु० 316·00एफ० ओ० आर०, सिन्दरी
2—फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्ज ट्रेवनकोर लि०, अल्वई	1965–66	रु० 316·00ए० ओ० आर० अल्वई

(घ) सिन्दरी में अमोनियम सल्फेट (20·6प्रतिशत एन०) के रूप में एक किलो नाईट्रोजन का एक्स-फैक्टरी मूल्य 1.53 रुपए होता है। इस समय एनहाईड्रोस अमोनिया भारत में उर्वरक के रूप में प्रयुक्त नहीं हो रहा है।

आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय परिस्थितियों में एनहाईड्रोस अमोनिया के प्रयोग की सम्भावनाओं का अध्ययन करने के लिए कम भूमि वाले कृषकों के खेतों में मार्गदर्शी परीक्षण किये जायें। अमोनिया को विशेष स्टैनलेस स्टील के सिलेन्डरों में ले जाया जाता हैऔरभूमि में इसका प्रयोग करते समय ऐसे उपकरणों की आवश्यकता पड़ती हैजो इस समय भारत में उपलब्ध नहीं हैं और जिनके प्रयोग के लिए प्रशिक्षण और अनुभव की आवश्यकता है। भारतीय कृषि अनुसन्धान

परिषद इस बात पर विचार कर रही है कि अपेक्षित उपकरणों की प्राप्ति के पश्चात् ऐसे परीक्षण किये जायें।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

RE: MOTIONS FOR ADJOURNMENT

अध्यक्ष महोदय : मुझे कल और उस से पहले भी स्थगन प्रस्तावों की सूचना मिली थी। उन्हें तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक वे हैं कि जो काश्मीर में पाकिस्तानियों की सशस्त्र घुस-पैठ के बारे में हैं। दूसरे वे हैं जिनका सम्बन्ध खाद्य स्थिति तथा मूल्यों में वृद्धि से है। अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा होगी तो ये विषय भी लिये जा सकते हैं। इसलिये इस पर पृथक चर्चा आवश्यक नहीं है। तीसरी प्रकार के प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार सरकार को सैनिकों की सहायता दिये जाने के बारे में है ताकि राज्य सरकार वहां लोगों के आन्दोलन को दबा सके। यह दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत किया जाता है और राज्य सरकारें जब आवश्यक समझें सेना की सहायता ले सकती हैं। यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

एक माननीय सदस्य : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : इस पर पहले भी विनिर्णय दिये जा चुके हैं। यह काम राज्य सरकारों का है। हां जब पूरा अधिकार सेना को दे दिया जाता है तो केन्द्रीय सरकार आती है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : आप को याद होगा कि पहले भी ऐसे विषयों पर यहां हमने चर्चा की थी। उदाहरणार्थ मैं कलकत्ता की बात कहता हूं। वहां पर जब राज्य सरकार ने सेना की सहायता ली थी तो उस पर यहां चर्चा हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस बात को मेरी जानकारी में लायें तो मैं उस पर विचार करूंगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : आप ने कहा है कि जब सेना की सहायता दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत ली जाये तो यह बात केन्द्रीय सरकार के क्षत्राधिकार में नहीं आती। परन्तु सेना तो केन्द्र का विषय है। इस समय बिहार में बहुत गम्भीर बातें हो रही हैं। अतः इन पर चर्चा होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह पृथक् बात है। इस बारे में मैंने पहले भी और मेरे से पहले के अध्यक्षों ने विनिर्णय दिये हैं कि जब एक राज्य सरकार सेना की सहायता लेती है तो वह राज्य का विषय होता है परन्तु जब पूरा कार्यभार सेना को सौंप दिया जाये तब केन्द्र का दायित्व समझा जायेगा।

Shri J. B. Singh (Ghosi): Sir, I want that adjournment motion on food situation may be admitted and a separate discussion should be allowed on this question.

Shri Madhu Limye(Monghr): There have been voilent agitation in connection with food situation in several States. The Army was called for assistance and firing was resorted to. These have been serious repercussions of the policy of suppression adopted by Government. Thousands of people

[Shri Madhu Limaye]

have been arrested under the Defence of India Rules. Two hon. Members of this House have been arrested in Delhi Yesterday. I want that the Home Minister may make a statement in this connection. I want to know whether my calling attention notice is being taken up or not.

Mr. Speaker: I am taking adjournment motions first. As we are going to take up censure motion very shortly and a date for discussion on the same has already been fixed, this adjournment motion cannot be allowed. The Food Minister is going to make a statement on food situation.

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): मैं देश की खाद्य स्थिति पर एक विस्तत विवरण सभा पटल पर रख रहा हूं ।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki): Sir, you please realise the urgency and importance of this motion on food situation and enquire from the hon. Minister when he is going to make the statement.

Mr. Speaker: I have first to decide about the adjournment motion. If it is found at a later stage that the discussion on food situation during no-confidence motion has not been adequate, we can have separate discussion on this matter. I cannot give time for this motion now.

Shri S. M. Banerjee: Sir, you have allowed a discussion on Kutch agreement. This could be discussed during the discussion on no-confidence motion. There are famine conditions prevailing in the country. Rice is not available in Delhi itself.

Mr. Speaker: You please sit down now. I have followed your point.

Shri Madhu Limaye : The Food Minister's statement will be regarding the future policy in the matter, but my motion seeks to discuss Government's action in the past few months. It has no connection with that.

Shri Vishram Prasad (Lalganj) : Food-grains are not available in the market. If it is available somewhere, the prices are very high. I feel that a full fledged discussion should take place on this subject.

Shri K. D. Malaviya (Basti) : Sir, many hon. Members may not like to participate in discussion on no-confidence motion. It is very good that the hon. Food Minister going to make a statement. I hope that you will give enough time for this discussion.

Mr. Speaker: This was discussed in Business Advisory Committee and it was decided we could not have a separate discussion on this. In case the Food Minister places his statement early it would be better.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं अवश्य ही ऐसा करूंगा ।

Mr. Speaker: Mr. Banerjee had said that why a discussion on Kutch agreement has been allowed. When 'No-confidence' motion was to be discussed. In this connection I want to say that Government can decide what Business it wants to bring forward here. Moreover the 'no-confidence' motion is an extreme measure as compared to the adjournment motion. It is brought oust the Government for its failure to deliver the goods. Thus I cannot allow this adjournment motion. A statement will be laid on the table of the House.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:एक और गम्भीर विषय के बारे में भी ध्यान दिलाने वाली सूचना दी गई है। वह दो संसद सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में है जो कल शाम को यहां पर ही हुई है । यह बहुत शोचनीय है । विधान सभाओं के या संसद के सदस्य जब सदनों में कुछ कहते हैं तो उन्हें विभिन्न कानूनों के अधीन पकड़ लिया जाता है। यह ठीक नहीं .....

अध्यक्ष महोदय : यहां पर हम मुकदमों के बारे में निर्णय नहीं दे सकते। पुलिस अपना काम करती है और न्यायालय उस पर निर्णय देते हैं। इस पर ऐसे यहां चर्चा नहीं हो सकती।

श्री दाजी (इन्दौर): श्रीमान् जी आप को याद होगा कि पिछली बार इस विषय पर चर्चा हुई थी और यह सुझाव दिया गया था कि यदि सदस्यों को गिरफ्तार किया जाना हो तो उस के लिये कोई नियम निर्धारित किये जाने चाहियें। आपने आश्वासन दिया था कि आप इस बारे में प्रतिपक्षी दलों के नेताओं और सरकार के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलायेंगे और सदस्यों को गिरफ्तार किये जाने के बारे में एक संहिता बनवायेंगे। हमें प्रतिपक्ष वालों के लिये, ठीक प्रकार से कार्य करना बहुत कठिन हो जाता है। हमें शंका रहती है कि हमें किसी भी समय हिरासत में लिया जा सकता है इसलिय मेरा अनुरोध है कि इस बारे में कोई प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये।

Shri Maurya (Aligarh): I was also arrested under the D.I.R. for having made some speeches after nine months. I was kept in jail for six months for no fault of mine. I request that such things should be stopped.

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki): I want that when the Parliament is in session Members should not be arrested. In the case of Shri Kishen Pattnayak we wanted to give a letter to Shri Nandaji, but we were lathi charged. The letter was delivered to his Private Secretary and later on the Members were arrested.

Mr. Speaker: Hon. Members want that courts should be given powers and they also want I should also have right to interfere in such cases. Country will not allow this. We cannot have more privileges. I may inform the House that Delhi Administration wanted to arrest two Members in the precincts of the House, but I did not allow them. I cannot investigate the charges.

Shri S. M. Banerjee: If you would not protect our rights, then who will do so?

Mr. Speaker: I would request Shri Banerjee and others to come to me and we will have a meeting and they should suggest what course I should adopt in this Connection, I will see what I can do in this matter.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : श्री मोर्य की गिरफ्तारी के अवसर पर आपने कहा था कि आप सारे मामले पर विचार करेंगे। यह सामान्य मामला है आपने कहा था कि आप इस मामले की जांच करेंगे और आपको इसकी जाच करनी चाहिय।

श्री ही० ना० मुकर्जी : सरकार के इशारे पर कुछ एसी बातें हो रही हैं जिससे संसद की स्वतन्त्रता खतरे में पड़ सकती है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मुझे मिल सकते हैं और हम मिल कर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं।

श्री नाथ पाई (राजपुर) : मेरा निवदन यह है कि सरकार काफी मनमानी कर रही है। पिछली बार भी श्री मोर्य की गिरफ्तारी के समय यहस्थिति पैदा हुई। जब संसद चल रही होती है तो किसी भी संसद सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिये। यह ब्रिटेन की लोक सभा का भी नियम है। बहुत से देशों में यह भी नियम है कि जब तक किसी सदस्य का किसी अपराध से सीधा सम्बन्ध नहीं उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता। यदि ऐसा करना होता है तो उसके लिए अध्यक्ष की अनुमति ली जाती है। परन्तु यहां ऐसा नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य से कहा त ो है कि वह इस मामले में मेरी सहायता करें।

श्री रंगा (चित्तूर): आपको विरोधी दल के नेताओं तथा सभा के नेता को एक सम्मेलन में बुलाकर इस समस्या का हल करना चाहिए।

Shri Madhu Limaye: I want that I may be allowed to have my say for a while.

Mr. Speaker: No. In this way our work can not go on. I have asked you thrice but you are not agreeing. Honourable member should now leave the House.

[श्री मधु लिमये सभा भवन से बाहर चले गये]

[Shri Madhu Limaye left the House.]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPER LAID ON TABLE

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन

वित्त तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत वर्ष 1963–64 के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन तथा सांख्यिकीय विवरणों की एक प्रति।

वर्ष 1964 के लिये खादी तथा ग्रामोद्यो ग आयोग के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० 4469/65 और 4470/65]

केरल सर्वेक्षण और सीमायें अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के संबंध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित, केरल सर्वेक्षणतथासीमायें अधिनियम, 1961 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 255/64 की एक प्रति जो दिनांक 29 अगस्त, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें केरल सर्वेक्षण तथा सीमायें नियम, 1964 दिये गये हैं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 4471/65]

प्रशुल्क आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) परिरक्षित फलों और सब्जियों के मूल्यों के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (1963);

(दो) सरकारी संकल्प संख्या 21 (29)/64-टेक 1 दिनांक 17 जून, 1965;

(तीन) इसके कारण बताने वाला विवरण कि उक्त मद (एक) और (दो) में दर्ज दस्तावेजों की एक-एक प्रति उक्त उपधारा में निर्धारित कालावधि के अन्दर सभा-पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये सख्या एल० टी० 4472/65।]

केन्द्रीय मजूरी बोर्ड का लोहा तथा इस्पात सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा उस पर सरकार का संकल्प

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) लोहा तथा इस्पात उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन की एक प्रति।

(2) सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी-11 (5)/65 दिनांक 9 जुलाई, 1965 की, एक प्रति, जिसके द्वारा उक्त प्रतिवदन में की गई सिफारिशों की सरकार द्वारा स्वीकृति की घोषणा की गई।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 4473/65।]

कपड़ा समिति नियम आदि

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) कपड़ा समिति अधिनियम, 1963 की धारा 22 की उपधारा 3 के अन्तर्गत कपड़ा समिति नियम, 1965 की एक प्रति, जो दिनांक 27 फरवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 321 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 4474/65।]

(ख) भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 की धारा 11 (क) के अन्तर्गत यूनाइटेड किंगडम–भारत व्यापार करार (संशोधन) नियम, 1965 की एक प्रति, जो दिनांक 28 जुलाई, 1965 की अधिसूचना संख्या 5–टीजी (4)/60 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 4475/65]

(ग) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (1) के अन्तर्गत वर्ष 1964 के लिए एक्सपोर्ट क्रैडिट एण्ड गारंटी कारपोरेशन लिमिटेड बम्बई के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कारपोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 4476/65 ।]

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, भारतीय केन्द्रीय रूई समिति और भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति के क्रमशः 1963-64 के वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एकप्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) वर्ष 1963-64 के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(2) वर्ष 1963-64 के लिए भारतीय केन्द्रीय रूईसमिति के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(3) वर्ष 1963-64 के लिए भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति के वार्षिकप्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी संस्करण) ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये क्रमशःसंख्या एल० टी० 4435/65 तथा 4478/65 ।]

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत दिनांक 17 जुलाई, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2027 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 4479/65 ।]

चीनी (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1965, केन्द्रीय भाण्डागार निगम (संशोधन) 1965, केरल राज्य भांडागार निगम का वार्षिक लेखा

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप–धारा (6) के अन्तर्गत चीनी (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1965 की एक प्रति जो दिनांक 24 अप्रैल, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 626 में प्रकाशित हुआ था ।

(2) भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 की धारा 41 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय भाण्डागार निगम (संशोधन) नियम, 1965 की एक प्रति जो दिनांक 1 मई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 649 में प्रकाशित हुये थे ।

(3) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित, भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उप-धारा (11) के अन्तर्गत वर्ष 1963-64 के लिए केरल राज्य भाण्डागार निगम के वार्षिक लेख की एक प्रति तथा उनका परीक्षा प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-4480/65, 4681/65, 4482/65 ।]

परिसीमन आयोग अधिनियम के अन्तर्गत आदेश

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 की धारा 10 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति:—

(एक) परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 13 जिसके द्वारा पंजाब राज्य में संसद् तथा विधान-सभा के निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किये गये और जो दिनांक 5 जुलाई, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 215 में प्रकाशित हुआ था ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 4483/65 ।]

(दो) परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 3 जिसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य में संसद् तथा विधान-सभा के निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किये गये और जो दिनांक 5 जुलाई, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2152 में प्रकाशित हुआ था । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 4484/65 ।]**

जुलाई, 1963 और दिसम्बर, 1964 के बीच हुए उपचुनावों के परिणाम ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (छठा संशोधन) योजना, 1965 जो दिनांक 29 मई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 767 में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि (सातवां संशोधन) योजना, 1965 जो दिनांक 12 जून, 1965 को अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 823 में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) कर्मचारी भविष्य निधि (आठवां संशोधन) योजना, 1965 जो दिनांक 12 जून, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 824 में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) कर्मचारी भविष्य निधि (नवां संशोधन) योजना, 1965 जो दिनांक 17 जुलाई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 969 में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) कर्मचारी भविष्य निधि (दसवां संशोधन) योजना, 1965 जो दिनांक 24 जुलाई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 997 में प्रकाशित हुई थी ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—4486/65 ।]

[श्री जगन्नाथ राव]

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 का धारा 4 का उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाओं का एक-एक प्रति, जिन के द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची I में कुछ उद्योग जोड़े गये :—

(एक) दिनांक 29 मई, 1965 की जी० एस० आर० 763.

(दो) दिनांक 3 जुलाई, 1965 की जी० एस० आर० 910.

(तीन) दिनांक 10 जुलाई 1965 की जी० एस० आर० 952.

[पुस्तकालय में रखी गया। देखिये संख्या एल० टी० 4487/65।]

न्यूनतम मजूरी (केन्द्रीय) संशोधन नियम

श्री संजीवय्या: मैं न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 की की धारा 30-क के अन्तर्गत न्यूनतम मजूरी (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1965 की एक प्रति, जो दिनांक 15 मई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 721 में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4488/65]

सदस्यों की गिरफ्तारी तथा नजरबन्दी
ARREST AND DETENTION OF MEMBERS

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह बताना है कि मुझे 16 अगस्त, 1965 के निम्नलिखित दो पत्र सुपरिटेंडेंट पुलिस, साउथ डिस्ट्रिक्ट नई दिल्ली से प्राप्त हुए है :—

(1) "कि शांति भंग होने की आशंका से लोकसभा के सदस्य, श्री किशन पटनायक और श्री मनीराम बागड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें सेंट्रल जेल, तिहाड़ दिल्ली में रखा गया है।"

(2) "सब डिवीजनल दण्डाधिकारी, नयी दिल्ली, का दिनांक 17 अगस्त, 1965 का इस आशय का पत्र कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 117(3) के अन्तर्गत अपने जमानतनामे दे सकने पर श्री किशन पटनायक और श्री मनीराम बागड़ी को तिहाड़ सेंट्रल जेल में निरुद्ध करने के आदेश दिये गये हैं।"

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

सड़सठवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णामूर्त्ति राव: (शिमोगा): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सड़सठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक कार्य स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: STATUS OF PREPARATORY WORK ON THE FOURTH FIVE YEAR PLAN

योजना मंत्री (श्री भगत) : चौथी पंचवर्षीय योजना का ज्ञापन संसद के दोनों सदनों के पटल पर 2 दिसम्बर, 1964 को प्रस्तुत किया गया था। योजना आयोग इस बात के लिए रज़ामन्द हो गया था कि ज्ञापन पर बजट सत्र 1965 के दौरान बहस की जाय। परन्तु दोनों सदन बजट के काम में इतने व्यस्त थे कि किसी को भी ज्ञापन पर बहस करने का समय न मिला। इस प्रकार संसद में ज्ञापन पर बहस न होने पर भी संसद सदस्यों की अनौपचारिक सलाहकार समिति की पांच बैठकों में इसपर विचार किया गया। इन बैठकों में से तीन दिसम्बर, 1964 में, एक फरवरी, 1965 और एक मई 1965 में हुई।

चौथी पंचवर्षीय योजना की तैयारी के संबंध में जो कार्यक्रम निश्चित किया गया था उसके अनुसार मंशा यह थी कि राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा चौथी योजना के क्षेत्रीय कार्यक्रमों और साधनों के निर्धारण से सम्बन्धित नीति विषयों पर सलाह देने के लिए गठित पांच उप-समितियां जैसे ही अपना काम पूरा करदेंगी, मसौदे की रूपरेखा को 9 और 10 अगस्त को होने वाली राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में रखा जायेगा। परन्तु यह स्पष्ट दिखाई देने लगा कि मसौदे की रूपरेखा की तैयारी का काम तब तक हाथ में नहीं लिया जा सकता जब तक केन्द्र से राज्यों को साधनों के हस्तांतरण के बारे में चौथे वित्त आयोग की सिफारिशें प्राप्त न हो जायें। इस दौरान योजना आयोग वित्त मंत्रालय से सलाह-मशवरा कर योजना के आकार और उसके लिए उपलब्ध होने वाले वित्तीय साधनों के बारे में ठोस अनुमान लगाने में व्यस्त था। कई बैठकों के बाद प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हुई योजना आयोग की 10 और 11 अगस्त, 1965 की पूरी बैठक में यह निश्चय किया गया कि चौथी योजना का आकार 21,500 करोड़ रुपया होगा। सरकारी तथा निजी क्षेत्र में अस्थायी वितरण क्रमशः 14,500 करोड़ रुपये और 7,000 करोड़ रुपये होगा। इस निर्णय पर राष्ट्रीय विकास परिषद् की अनुमति लेनी होगी। राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक 5 और 6 सितम्बर को हो रही है। चौथी योजना की व्यय व्यवस्था 21,500 करोड़ रुपये की रखी गई है पर दृष्टि में आने वाले साधन-स्रोतों का अनुमान, अतिरिक्त कराधान से प्राप्त होने वाले 3,000 करोड़ रुपये की राशि शामिल कर लेने पर भी, केवल 20,850 करोड़ रुपये है, इसके बाद 650 करोड़ रुपये की कमी रह जाती है। क्योंकि यह निर्णय कर लिया गया है कि घाटे की वित्त व्यवस्था का आश्रय न लिया जाए, अतः आशा है कि प्रशासन में मितव्ययिता, अतिरिक्त बचत आन्दोलन और सरकारी क्षेत्र के उद्योगों से अधिक लाभ की सुनिश्चित व्यवस्था करके इस कमी की पूर्ति की जाएगी। प्रधान मंत्री ने योजना आयोग से कहा है कि कृषि के लिए एक ब्यौरेवार योजना तैयार की जाए।

आशा है कि अब राष्ट्रीय विकास परिषद् की 5 और 6 सितम्बर की बैठक के बाद चौथी योजना के मसौदे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। अतः यह संभव नहीं हो पायेगा कि संसद् के इस अधिवेशन में दोनों सदनों के पटल पर यह रूपरेखा रखी जा सके। यह आशा है कि संसद के शीतकालीन अधिवेशन में मसौदे की रूपरेखा संसद के सामने प्रस्तुत की जाएगी और उस पर विचार भी किया जाएगा।

चौथी योजना के ज्ञापन में 22,500 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था किन्तु अब प्रस्ताव यह है कि 21,500 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की जाए, अतः इस समय ज्ञापन पर विचार विमर्श करना लाभकर न होगा।

[श्री भगत]

योजना आयोग ने राज्य सरकारों से उनकी चौथी योजनाओं के परिमाण, प्राथमिकताओं और क्रमावस्थाओं के सम्बन्ध में तथा चौथी योजना के लिए अतिरिक्त साधन स्रोतों को जुटाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया। यह विचार विमर्श 10 जून, 1965 से प्रारम्भ हुआ और जुलाई, 1965 के अन्त तक चलता रहा। राज्य सरकारों को यह ध्यान दिलाया गया कि उन्हें अपने अपने राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं की ओर उचित ध्यान रखना चाहिये किन्तु साथ ही राज्यों की योजनाओं के परिमाण, क्षेत्रीय प्राथमिकतायें और क्रमावस्थाएं इस प्रकार की होनी चाहिएं कि वे उपलब्ध साधन स्रोतो के अनुरूप हों और सब मिलाकर राष्ट्रीय लक्ष्यों, प्राथमिकताओं और चौथी योजना के कांटे पर ठीक उतर सकें। इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि चौथी योजना अवधि में वित्त व्यवस्था ऐसी रखी जाए कि मुद्रा स्फीति न होने पाए।

इसके तत्काल बाद अधिकांश कार्यकारी दलों ने अपनी अन्तरिम रिपोर्टें दे दी हैं और योजना आयोग को उन पर प्रारम्भिक रूप से विचार करने का अवसर मिल गया है। चौथी योजना को तैयार करने की प्रक्रिया में संसद के सदस्यों का भी सहयोग रहा है। कार्यकारी दलों द्वारा तैयार की गई अन्तरिम रिपोर्टों और योजना आयोग में तैयार किए गए अन्य संबंधित पत्रों पर विचार करने के लिए दलों की बैठकें की गईं। अगस्त, 1964 में इस प्रकार के पांच दलों की बैठकें हुईं जिनमें (1) चौथी योजना में कृषि तथा अन्य संबंधित विषय, (2) सिंचाई और बिजली कार्यक्रम, (3) शिक्षा कार्यक्रम, (4) समाज कल्याण और पिछड़े वर्ग के लिए स्कीमें और (5) औद्योगिक (जिसमें ग्राम और लघु उद्योग भी शामिल हैं) कार्यक्रमों पर विचार किया गया। दलों की इन बैठकों के बाद सितम्बर, 1964 में संसद सदस्यों की अनौपचारिक सलाहकार समिति की दो बैठकें हुईं जिनमें चौथी योजना के अन्तर्गत कृषि विकास की समस्याओं पर विचार किया गया। इसके पश्चात् अनौपचारिक सलाहकार समिति ने 5 बैठकों में—जिनमें से तीन दिसम्बर, 1964 में हुईं, एक फरवरी, 1965 में हुई और एक मई, 1965 में हुई—में चौथी पंचवर्षीय योजना के ज्ञापन पर कुछ विस्तार के साथ विचार किया गया। अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया जाय कि वे पांच संसदीय समितियों का गठन कर दें और ये समितियां योजना के विभिन्न पक्षों पर विचार करें। प्रस्तावित समितियां ये हैं: (क) नीति, साधन स्रोत और वितरण, (ख) उद्योग, बिजली, परिवहन और वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुसंधान (ग), कृषि और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था, (घ) समाज सेवायें, (च) शिक्षा और जन शक्ति आयोजन। सब समितियों के अध्यक्षों की एक कर्णधार समिति (स्टीयरिंग कमेटी) गठित करने का प्रस्ताव है। यह कर्णधार समिति योजना आयोग से मिलकर समितियों की सिफारिशों पर विचार करेगी। प्रधान मंत्री का भी एक समिति गठित करने का विचार है। इसमें संसद के विभिन्न दलों के नेता होंगे और उनके साथ चौथी योजना पर विचार करेंगे। मसौदे की रूपरेखा के प्रकाशन के पहले तथा बाद में इस समिति की कई बैठकें बुलाने का विचार है।

श्री अल्वारेस (पंजिम) : क्या सरकार की ओर से तीसरी पंचवर्षीय योजना की नवीनतम स्थिति पर भी प्रकाश डाला जायेगा ?

श्री ब० रा० भगत : योजना आयोग तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वित किये जाने के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य सदन के समक्ष रखेगा।

समिति के लिए निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि लोक सभा के सदस्य कृषि मंत्रालय (वर्तमान खाद्य तथा कृषि) के संकल्प संख्या एफ० 16–72/47-पालिसी, दिनांक 8 नवम्बर, 1948, समय-समय पर संशोधित रूप में, ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष महोदय निदेशदें, स्वर्गीय डा० पंजाबराव एस० देशमुख के स्थान पर राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :—

"कि लोक सभा के सदस्य कृषि मंत्रालय (वर्तमान खाद्य तथा कृषि) के संकल्प संख्या एफ० 16–72/47-पालिसी, दिनांक 8 नवम्बर, 1948, समय-समय पर संशोधित रूप में, ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष महोदय निर्देश दें, स्वर्गीय डा० पंजाबराव एस० देशमुख के स्थान पर राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

सैंतीसवां प्रतिवेदन

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समितिके सैंतीसवें प्रतिवेदन से, जो 16 अगस्त, 1965 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : हम यह चाहते हैं कि प्रतिरक्षा मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा हो।

श्री रंगा (चित्तूर): मंत्री महोदय को भारतीय सिलहन समिति तथा अन्य समितियों के समाप्त करने के बारे में एक संकल्प के स्थान पर एक नियमित विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए।

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur): Food situation should also be taken into consideration.

श्री मुहम्मद इस्माइल (मंजरी): अलीगढ़ मस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के लिये समय दो घंटे और बढ़ा देना चाहिये। भारतीय सिलहन समिति के बारे में भी चर्चा के समय को बढ़ा देना चाहिये।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar): Time allotted for the Bonus Bill should be increased.

अध्यक्ष महोदय: कार्य मंत्रणा समिति में निर्णय हो चुके हैं, उन पर कायम रहा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदनसे, जो 16 अगस्त, 1965 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

गुजरात पश्चिमी पाकिस्तान सीमा के सम्बन्ध में भारत पाकिस्तान करार के बारे में प्रस्ताव

Motion Re: INDO-PAKISTAN AGREEMENT ON GUJRAT WEST PAKISTAN BORDER

अध्यक्ष महोदय: अब सभा में 16 अगस्त, 1965 को श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा होगी:--

"कि गुजरात-पश्चिमी पाकिस्तान सीमा के सम्बन्ध में जून, 1965 के भारत-पाकिस्तान करार के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा 16 अगस्त, 1965 को सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य पर विचार किया जाय।"

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur): This Kutch agreement has created a sense of discontentment throughout the country. Many people who think themselves to be very wise, see wisdom in it. But if we look at the reality we will be really ashamed of this agreement. We all passed a Resolution in this House that we would not allow even an inch of territory to be occupied by any country. Pakistan is bent on creating trouble. There is no dispute and no 'cause of action' in the Kutch area. The natural bourndry is there and boundry poles are there already. We had every right to push out Pakistan from there. One can do anything in order to have his self-defence. We should have asked pakistan to quit our territory before having talks with them.

Our Prime Minister came under the influence of the British Prime Minister. He agreed to his proposals. He did not care even the Parliament into confidence. Thus he has created a serious problem for the country, which is going to have very grave consequences. We will have to give a serious thought to this fact,whether we shall have to refer all our disputes with Pakistan to the tribunal. If tomorrow, Pakistan put forward the claim for Amritsar, Jesalmer or Calcutta, we will refer to the tribunal to decide this matter. We must know that every body has the right to turn out a intruder from his land.The World

is fully aware of the Pakistan tactics in this connection. Also we find in this country people who have sympathy with Pakistan, this is our great misfortune. We have to deal with them also.

[उपसभाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Deputy Speaker in the Chair.]

It has also come to my notice that some of our ambassadors abroad crack jokes with the country affairs, and don't spare even the Prime Min ster from ridicule. I would like to know what we have done so far in connect on with the so ma··· troubles which Pakistan has been creating for the last so many years. The s_rit of tolerance must have gone end. Today our motherland is being invaded. The heavy machine guns are being used against us.

We are a peace loving country, therefore the entire world is looking at us. We have signed the agreement with a hope that it will contribute to a reduction of the present tension along the entire Indo-Pakistan Border. I want to ask, on what basis we could draw this conclusion. Pakistan has always been deceiving us since its inception. She is always prepared to fight with India with a perpetual hateful conduct. My submission is that we should not remain under any delusion.

It is really a great pity that inspite of our 45 crores of people, we can not meet the challange of the Country of 7 crores. where is also an element here in our country which sympathises with Pakistan. My feeling is that itis really very unfortunate that we are not very active to counteract the false propoganda done by Pakistan. Pakistan is doing terrible propaganda against India and is seemingly successful in his compaign of vilification. Pakistan has never cared to keep up any of her promise. Still it is strange that we belive that she will do something which is in our interest.

My submission to our Government is that it is a proper moment that we say good bye to our weak policy which is being pursued for the last so many years. Let the World understand it that we want peace but not at the cost of our self-respect. The whole country is behined the Government in this matter. We can also count upon the help and support of England, America and Russia. We have undoubtedly a huge manpower. I am of the opinion that our Army has every right to enter Kanjarkot. No country can stop us in exercising this right of ours. Our Government, I feel have compromised their sovereignty by submitting to the outside interference. The agreement is not only m for the country but is also humilating. It should be done away with.

Let me also state this very clear that if our Government continue to pursue a weekned policy it will result into very serious repercussions. Our eniire border is being brought under the dispute. Does it strange that welook taking of Peat while Pakistan is categorically aiming at genocide. At present the whole country is looking up to the Prime Minister for a positive lead. It is hoped that he will uphold the promise he has given to the House and to the nation.

The Government should understand that they have to cross the creasefire line. Our intelligence department is also proved to be very inactive. It is really matter of great shame that Pakistanis have infiltrated into our land and Government could not be informed about it. This Government is the most

[Shri U.M. Trviedi]

inefficient Government. I shall appeal to the House and the opposition specially to reject the motion put forward by the Prime Minister.

श्री कृ० चं० पन्त (नैनीताल) : 30, जून 1965 को कच्छ करार हुआ, और बहुत लोगों का यह मत था कि इससे दोनों देशों का तनाव कुछ कम हो जायेगा। परन्तु पाकिस्तान ने काश्मीर में घुसपैठ करके यह आशा तो नष्ट कर दी है। इससे पाकिस्तान की मनोवृत्ति का पता चलता है। कच्छ करार के बारे में सदन के भीतर और बाहर काफी हंगामे हुए हैं। यह विचार दिया जा रहा है कि श्री विलसन के दबाव में आकर भारत ने पाकिस्तान के साथ बड़ा अहितकर करार कर लिया है। देखना यह कि क्या यह आरोप ठीक है? मेरा निवेदन यह है कि यदि यह करार पाकिस्तान के बहुत अधिक पक्ष में न होता तो वह काश्मीर में घुसपैठ करके इसका वातावरण खराब न करता। वह काश्मीर की गड़बड़ के लिए कुछ समय प्रतीक्षा कर लेते। मेरे विचार में यह विचार गलत है कि कच्छ करार पाकिस्तान की कूटनीतिक विजय है। पाकिस्तान को इस समझौते से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। हमें इस करार को यथार्थ की दृष्टि से देखना है।

पाकिस्तान के बड़े दिग्गजों ने भी कहा है कि कच्छ का प्रश्न तो छोटा सा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न तो काश्मीर है। श्री अमजद अली, श्री भुट्टो ने इसी तरह की बातें की हैं। भारत की नीति इस दिशा में बिलकुल स्पष्ट है कि प्रत्येक विवाद अपने में एक स्वतन्त्र विषय है, और उनको अलग अलग ही किया जायेगा। किसी प्रश्न को किसी अन्य प्रश्न के साथ जोड़ा नहीं जाता। पता नहीं हमारे विरोधी पक्ष में भाई क्यों यह कह रहे हैं कि इस करार को इसलिए छोड़ दो, क्योंकि पाकिस्तान ने काश्मीर पर आक्रमण किया है। श्री त्रिवेदी का यह कहना निराधार है कि रन आफ कच्छ में हमने बिल्कुल हथियार ही डाल दिये।

आज तो सारे तथा बड़े स्पष्ट रूप में हमारे सामने है। हमारे थोड़े से सैनिकों ने पाकिस्तान की भारी सेना का बड़ी वीरता से मुकाबला किया। इसके कारण पाकिस्तान ने अपने ब्रेगेडियर को पदच्युत किया। बेयरबेट पर भी हमारी सेनाओं के कारनामे बहुत शानदार हैं। हमें अपनी सेनाओं पर उचित रूप में बड़ा ही अभिमान है। इस क्षेत्र में उनका रिकार्ड बड़ी ही बहादुरी और साहस का रहा है।

कच्छ करार के विरुद्ध मूलत: एक ही बात अधिक कही गयी है। वह यह कि हमारी प्रभुसत्ता को पंच फसले पर छोड़ दिया है। यह बात गलत है, हमने जो कुछ भी इस दिशा में स्वीकार किया है वह अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रिया और गौरव के अनकूल ही है। यह भी सन्देह प्रकट किया गया है कि आगे के लिए यह करार कोई उदाहरण ही न बन जाये। ऐसी कोई बात हमने नहीं मानी और इस दिशा में हमारा कोई दायित्व नहीं है। काश्मीर को इसके साथ कभी नहीं जोड़ा जा सकता। काश्मीर को पंच फैसले पर कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता।

कच्छ के बारे में अखबारों ने जो अपने मत व्यक्त किये हैं वे भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। मुझे इस बात का बहुत ही आश्चर्य है। 'हिन्दू' मद्रास, ट्रिब्यून अम्बला, पेट्रिऔट इंडियन एक्सप्रेस, नेशनल हैरल्ड, टाइम्स आफ इंडिया, स्टेटसमेन, हिन्दुस्तान टाइम्स और इंडियन जैसे प्रमुख अखबारों ने कच्छ के करार का समर्थन किया है। विदेशों के समाचार पत्रों में भी इसका समर्थन हुआ है। ऐसे देशों ने भी इस करार का स्वागत किया है जो कि हमारी ओर मत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं रखते।

सदन के समक्ष तो प्रश्न बड़ा स्पष्ट है कि हमें इस करार को स्वीकार करना है अथवा रद्द करना है। मैंने तर्क देकर निवेदन किया है कि हमें कच्छ समझौते को स्वीकार कर लेना चाहिए। यह हमारी इच्छाओं के अनकूल ही है। मामला शांति से हल हो गया, नहीं तो बेकार दोनों ओर शक्ति का प्रयोग किया जाता। इससे हमारी हानि कुछ भीनहीं हुई परन्तु मिल बहुत कुछ गया है। हमें अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपने सिद्धान्त पर कायम रह कर थोड़ा लचीलापन अपनाना ही पड़ता है।

काश्मीर में स्थिति खतरनाक बनी हुई है। पाकिस्तान चाहता क्या है, यह बड़ा स्पष्ट ही है। उसने पाकिस्तान को उकसाने का काफी प्रयास किया है। हर बात की भी सीमा होती है। काश्मीर में पाकिस्तान की गड़बड़ अब असह्य सीमा तक पहुंच रही थी। वहां स्थिति बहुत गम्भीर है। इस के अन्तर्गत तीन मामले हैं। प्रथम बात गुप्तचर विभाग की है, दूसरी बात सुरक्षा की है। दोनों दिशाओं में हमें जम्मू और काश्मीर में बहुत ही जागरूक रहना चाहिए। असैनिक तथा असनिक जासूसी में हमें सुधार करना है। दोनों का समन्वय करना भी है। घुसपैठियों का मुकाबला करने के लिए हमें मजबूत भी होना है।

हमें थोड़े ही समयमें सैनिक उपक्रम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कारगिल की चौकी हमें लेनी ही पड़ी, क्योंकि इस स्थान से हमारे संचार में बाधा डाली जा रही थी। देश में सर्वत्र पाकिस्तान के विरुद्ध रोष है। हमें इस रोष का प्रयोग देश को संगठित करने में करना चाहिए। देश की राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी शक्तियों का मुकाबला करना है। आज देश को एक होने की आवश्यकता है। यह खेद है कि विरोधी पक्ष के मित्र इसगम्भीर स्थिति को महसूस नहीं कर रहे। वे अविश्वास के प्रस्ताव में ही लगे हुए हैं।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : This problem of Kutch is neither the problem of opposition nor any other party. It is the problem of the entire country. We should consider this problem keeping in view defence of the whole country. We are 48 crores of people in this country. We have been playing with rights and interests of the country for the last 17 years. We lost our land at the time China's aggression, and now we are being deprived of our land in Kutch. This can ultimately lead us to another division of the country.

We were not prepared at the time of China's attack, but now we have done sufficient preparations in order to meet the aggression. Now Pakistan has come in our territory of Kutch. We have not fared better even now. Once again we have been humiliated at the alter of the world opinion, people of the country have also begun to feel that we are a weak nation. We should therefore give a serious thought to this situation.

I am of the opinion that this Kutch agreement is neither an agreement of peace nor of self-respect, this will positively lead us to war and humiliations. Out of Runn of Kutch has come the problem of Kashmir, the problem will continue to be cropped up, if we do not understand the mentality of Pakistan. The disputes with Pakistan may have no end. Our Prime Minister will not get his aim for which he has entered into pact. We will not achieve peace but will march towards war. Today the situation in this connection is quite different as compared with the situation in 1959-60. I am of the opinion that we have everything but we have no resolve and no definate policy. If we read the statement of the British Prime Minister, with whose mediation this agreement has been done, we find that both the countries will have equal rights partolling.

I am of the opinion that the withdrawal of our forces from our territory in Kutch is really disgraceful .

This is a fact which cannot be repudiated that our forces will not be able to patrol our posts, but Paskistan will have the right to patrol our territory. The provision with regard to reference of the Pakistani claims over 3500 square miles of our land to a foreign arbitrator is very mischievous deed. There is every likelihood of paving the way for similar arbitration in respect of other parts of our long borders. Then the greatest hurdle is that there is no provision of any appeal against the decision of the Tribunal. This is a strange aspect of this agreement.

This is a recognised fact that we are not war mongers like Pakistan. But at the same this should be clear to us very distinctively that the responsibility of the defence of our motherland lies on our shoulders. And for this we shall have to prepare ourself fully. If we continue to surrender our territory, the war is inevitable. We should very clearly comprehend that we can have only two relations with Pakistan. We must have either a decisive war with her or a confederation. There is no third alternative.

I would also like to urge the Government that they should give up this luxurious ways and adopt the path of simplicity and hardwork. We should do away with this agreement of Kutch. I would also like to place on record my severe condemnation of the Government in arresting a patriot like Dr. Ram Manohar Lohia under the Defence of India rule.

We should not ignore this factor that friendship between China and Pakistan is based on our enmity. We shall have to face both of them. Our people were prepared to fight both of them. What we need in the present circumstances is a determined policy to sfaeguard four frontiers and to resist and repel any aggression against our beloved motherland. Mr. Ranga should also understand this basic fact.

श्री अ० चं० गुह (बारसाट): यह करार कच्छ समस्या का आदर्श हल नहीं कहा जा सकता। इससे देश की इच्छानुकूल भी कार्य नहीं हुआ है। हमें कोई भी समझौता करने से पूर्व राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का विचार कर लेना चाहिए।

कहा गया है कि देश की सार्वभौमिकता इस करार से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस सदन की प्रभुसत्ता पर भी कुछ छींटे इससे पड़े, हैं, जिस से हमारी सरकार भी छीनने का अधिकार नहीं रखती। इस सदन के पास यह अधिकार है कि वह चाहे तो सरकार को अपदस्थ कर सकता है। मेरे विचार में यह कहना गलत है कि इस सदन की सार्वभौमिकता की उपेक्षा की गई है।

देश की सार्वभौमिक्ता की वृद्धि हुई है। हमें एक तथ्य और समझ लेना चाहिए कि आज की सार्वभौमिकता वह नहीं हैजो कि 19वीं शताब्दी में थी। प्रत्येक देश की अपनी सीमायें हैं। राष्ट्रों को सम्मिलित हितोंको देख कर ही अपने सार्वभौमिक हितों का प्रयोग करना होता है। चीन यदि इस सम्मिलित संहित को स्वीकार नहीं करता तो उसे सभ्य देश नहीं कहा जायेगा। पाकिस्तान गलत रास्ते पर चलेगा तो उसकी संसार भर में निन्दा होगी।

हमें अपने अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को समझते हुए ही किसी कृत्य को करना है। कई बार इस दृष्टि से राष्ट्रों को अपने वाणिज्य अधिकार भी छोड़ने पड़ते हैं। यूरोप में "साझा बाजार" चलता है। हम ने सिन्धु नदी के पानी का विवाद भी इसी संहिता के कारण ही विश्व बैंक को सौंपा था। 19वीं शताब्दी में यह सम्भव नहीं हो सकता था। हमें सभ्य आचार संहिता को अपनाना ही पड़ेगा। अन्तर्राष्ट्रीय अदालत भी है जो यह सब तरह के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है। हमें इसका भी ध्यान रखना है। हमें यह भी पता होना चाहिये कि जहां तक पाकिस्तान के साथ हमारे झगड़े का सम्बन्ध है, हमारा कोई भी मित्र नहीं है जिससे हम सहायता की आशा कर सकते हैं। ब्रिटेन और अमरीका ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी है और वह भारत को सुदृढ़ नहीं देखना चाहते। इसलिये पाकिस्तान भारत के लिए संकट पैदा करता रहता है। और जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी है वे उसे क्षमा करते रहते हैं। मुझे विश्वास है कि रूस भी खुले तौर पर हमारी सहायता नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र यह नहीं कहेगा कि पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया है। हमें इस स्थिति को समझते हुए अपनी नीति बनानी चाहिये। इसलिए हम विश्वमत की उपेक्षा नहीं कर सकते। हमें यह अच्छी तरह मालूम होना चाहिये कि हमारी सैनिक शक्ति सीमित है। यह सच है कि अक्तूबर, 1962 के बाद इस क्षेत्र में प्रगति हुई है परन्तु सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली बनने में अभी कुछ वर्ष लग जायेंगे।

पहले भी कई अवसरों पर अन्तर्राष्ट्रीय विवाद न्यायाधिकरण को सौंपे गये हैं। पाकिस्तान के साथ 1959 में हुए समझौते में भी न्यायाधिकरण का उल्लेख किया गया है परन्तु पाकिस्तान के कट्टर रवैये के कारण किसी प्रकार से वह झगड़ा न्यायाधिकरण के पास नहीं गया।

केवल दो ही दिन पूर्व स्टेट्समैन में मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त का लेख प्रकाशित हुआ है जिस में उन्होंने यह कहा है कि गम्भीर से गम्भीर क्षेत्रीय विवादों को भी शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिये। भारत-चीन विवाद के लिये उन्होंने यह सुझाव दिया है कि इस तरीके से विवाद हल किये जायें जिससे कि एशिया में मित्रता स्थापित हो। उन्होंने कहा कि हम इस बारे में भारत को पहल करनी चाहिये। परन्तु पाकिस्तान के बारे में सरकार ने जब पहल की है तो मेरे माननीय मित्र ने इस समझौते का विरोध किया है।

विरोधी दल के कुछ मेरे माननीय मित्रों ने यह कहा है कि यह समझौता 18 अप्रैल, 1965 को पारित किये गये संकल्प की भावना के प्रतिकूल है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि किस प्रकार यह समझौता उस संकल्प की भावना के प्रतिकूल है। उस में शत्रुओं को "खदेड़ने" की बात कही गई थी परन्तु इस समझौते में "स्वेच्छापूर्वक खाली करना" इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। केवल यही अन्तर है।

मेरे विचार में सभा में कोई भी व्यक्ति अथवा कोई भी दल यह राय नहीं देगा कि पाकिस्तान पर आक्रमण किया जाये। पाकिस्तान के साथ युद्ध एक सीमित युद्ध नहीं होगा परन्तु यह युद्ध दो मोर्चों पर लड़ा जायेगा और इस से करोड़ों लोगों को कठिनाई होगी तथा करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का नाश होगा। अपने देश के सिद्धान्त तथा विचार धारा के अनुसार हम सदैव संयम से काम लेते रहे हैं। बार बार इस सभा ने इस बात पर जोर दिया है कि सीमा सम्बन्धी विवाद शांतिपूर्ण ढंग से हल किये जाय। यह समझौता भी एक ऐसा ही उदाहरण है। जब सीमा सम्बन्धी विवाद होता है, तो दोनों पक्षों में से एक को कुछ हानि होती ही है।

[श्री अ० चं० गुह]

सरकार का पाकिस्तान की ओर जो रवैया है, उस के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। अब समय आ गया है जब सरकार यह सोचे कि वह कब तक पाकिस्तान से ऐसा नर्म बर्ताव करेगी। उन्होंने आज तक किसी भी समझौते का पालन नहीं किया है। वह वर्ष-प्रति-वर्ष समस्यायें और सीमा सम्बन्धी विवाद पैदा करते रहते हैं। हमें अपनी नीति बदलनी चाहिये और जहां जहां वे सीमा सम्बन्धी विवाद पैदा करें वहां हमें उनके राज्य क्षेत्र में घुस कर उनकी चौकियों पर आक्रमण करना चाहिए।

इस के अतिरिक्त हम भी सीमा सम्बन्धी अपने दावे उन्हें भेज सकते हैं। रेडक्लिफ पंचाट के अन्तर्गत सिलहिट के लगभग बारह थानों का क्षेत्र भारत को मिलना चाहिये था। हम भी सीमा-सम्बन्धी यह विवाद क्यों न उठायें और ऐसे साधन क्यों न अपनायें जैसे कि पाकिस्तान काश्मीर, कच्छ क्षेत्रों में अपना रहा है। चिटागांव पहाड़ी क्षेत्र के लिये रेडक्लिफ आयोग ने कोई निर्णय नहीं किया था परन्तु फिर भी यह क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया गया। हम इस पर भी सीमा विवाद सम्बन्धी विवाद उठा सकते हैं। यदि हम इस क्षेत्र पर अपना दावा सिद्ध कर दें तो हमें काफी संचार सुविधा मिल सकती है।

अन्त में मैं वैदेशिक कार्य मंत्री से कहूंगा कि वह अपने मंत्रालय के कार्य-संचालन की जांच करें। 1 जनवरी, 1965 की तिथि गलत सूचना पर निर्धारित की गई थी। इस मंत्रालय के अधिकारियों ने मंत्री तथा प्रधान मंत्री को गुमराह किया। कच्छ के बारे में गुजरात सरकार से कुछ परामर्श नहीं किया गया। ये बातें नहीं होनी चाहियें।

इन शब्दों के साथ मैं इस समझौते का समर्थन करता हूं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर): काश्मीर में गम्भीर परिस्थिति के बावजूद भी हमारा दल इस समझौते का समर्थन करता है। परन्तु इस के साथ-साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि हमारी सरकार ने एक खेदजनक तथा खतरनाक पूर्वोदाहरण पैदा किया है कि उन्होंने अफ्रीकी-एशियाई देशों की मध्यस्थता से नहीं परन्तु राष्ट्रमण्डल के तत्वावधान के अन्तर्गत यह समझौता किया है। हमारे नेताओं ने काश्मीर की घटनाओं से सबक नहीं सीखा है। काश्मीर में आज-कल की घटनाओं से भी यही पता लगता है कि इन साम्राज्यवादी ताकतों का इस में कितना हाथ है।

इस समझौते के बारे में सब से अधिक आपत्ति जिस बात पर भी जा सकती है, वह न्यायाधिकरण स्थापित किये जाने सम्बन्धी उपबन्ध है। यहां साम्राज्यवादियों पर विश्वास किया गया है। सभापति के चयन में सहमति न होने की स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ के महा सचिव अपना नामनिर्दिष्ट व्यक्ति नियुक्त करेंगे। हमें पता ही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षक काश्मीर में किस प्रकार काम कर रहे हैं। यदि न्यायाधिकरण बनाना आवश्यक ही हो तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उस के सदस्य गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के प्रतिनिधि हों।

कुछ लोगों को यह गलतफहमी हुई है कि इस समझौते के परिणामस्वरूप हमें कुछ हानि उठानी पड़ी है। यह इसलिये हुआ है कि सरकार ने लोगों को इस विवाद की ठीक-ठीक जानकारी नहीं दी है। समझौते में जो दोष हैं, उन के बावजूद भी हम सरकार से यह अनुरोध करेंगे कि वह इस विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल करे। यदि इन प्रयत्नों के बावजूद भी हमें किसी

ओर से किसी प्रकार की कोई धमकी दी गई तो इस देश की प्रभुसत्ता, स्वतंत्रता तथा क्षेत्रीय अखण्डता के लिये हम अपना पूरा समर्थन देते हैं ।

हमारा दल यह चाहता है कि चीन के साथ हमारे विवाद को भी शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जाये । इस बात की आवश्यकता पर राष्ट्रपति ने भी जोर दिया था । यदि हमारे पड़ौसी देशों से हमारा शांतिपूर्ण समझौता हो जाता है, तो हम अपनी अर्थ-व्यवस्था के संकट का ठीक प्रकार सामना कर सकते हैं ।

श्रीमान्, इन शब्दों के साथ मैं प्रधान मंत्री द्वारा यहां प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री ओझा (सुरेन्द्र नगर) : श्री त्रिवेदी के अनुसार सभी विवादों का समाधान शक्ति के प्रयोग द्वारा किया जाना चाहिये । यदि इस देश में श्री त्रिवेदी जैसे मित्र अपनी इच्छा से काम करें तो शांतिवार्ता से कोई विवाद हल नहीं हो सकता । यह अच्छा है कि देश के किसी भी भाग में इनकी अधिक शक्ति नहीं है। मेरे मित्र, श्री यादव ने इस समझौते की निन्दा की और इसके साथ साथ ही यह भी कहा कि भारत तथा पाकिस्तान का एक राज्यमंडल होना चाहिये । एक ओर तो छोटी-सी बात को ले कर वह पाकिस्तान से युद्ध चाहते हैं और दूसरी ओर वह एक राज्यमंडल बनाना चाहते हैं । यह दोनों बात कहां तक संगत हैं, हम स्वयं इसका अनुमान लगा सकते हैं ।

विरोधी दल के कई सदस्यों ने यह कहा है कि यह समझौता हमारे आत्म-सम्मान के प्रतिकूल है । मुझे उनके इस कथन पर आश्चर्य हुआ है । उन्हें यह ज्ञात होना चाहिये कि जब हमने यह माना है कि यह मामला न्यायाधिकरण को सौंपा जायेगा तो इससे कई बात उत्पन्न होती हैं उदाहरणार्थ यथापूर्व स्थिति का प्रश्न है । न्यायाधिकरण में जाने से पूर्व यथापूर्व स्थिति लाना आवश्यक है अन्यथा न्यायाधिकरण में जाने का कोई लाभ नहीं है। पाकिस्तान को कंजरकोट खाली करना पड़ा है । उन्हें केवल डिंग-सुरई क्षेत्र में गश्त लगाने का सीमित अधिकार दिया गया है । इसके बारे में भी मैं कहूंगा कि हमारे पास ऐसे प्रमाण हैं कि पाकिस्तान 1 जनवरी 1965 को इस क्षेत्र में तनिक भी गश्त नहीं लगाता था । यदि गुजरात सरकार से परामर्श किया गया होता तो उस सरकार के पास उपलब्ध सभी प्रमाण प्राधिकारियों के समक्ष रखे जाते और पाकिस्तान को यह अधिकार भी नहीं मिलता । परन्तु यह छोटी-सी बात है क्योंकि चार महीने के भीतर ही यह मामला न्यायाधिकरण के पास जाना है और हमारे पास मजबूत साक्ष्य होने के परिणामस्वरूप हमें इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अन्ततोगत्वा यह न्यायाधिकरण क्या निर्णय देगा । पाकिस्तान इस क्षेत्र पर अपना दावा कर रहा है परन्तु हम सब इतिहास से भली प्रकार परिचित हैं । कच्छ भाग 'ख' का एक राज्य था और भारत में उसका विलयन हुआ । यह तथ्य निर्विवाद है और मुझे आशा है कि यह न्यायाधिकरण, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता होंगे, ठीक निर्णय देगा ।

इस समझौते की प्रस्तावना में यह कहा गया है कि गुजरात पश्चिमी पाकिस्तान सीमा पर युद्ध-विराम होने से यह आशा की जाती है कि इससे समूचे भारत-पाकिस्तान सीमा पर आजकल जो तनाव है वह कम होगा । परन्तु यह विचित्र बात है कि जब इस मझौते पर हस्ताक्षर किये जा रहे थे, पाकिस्तान काश्मीर में हाल ही के अपने आक्रमण की तैयारी कर रहा था । इसे घुसपैठ कहना गलत है । काश्मीर में हमारे मित्र यह कहते हैं कि यह पाकिस्तान द्वारा खुला आक्रमण है । सीमा

[श्री ओझा]

की उस ओर से ऐसे व्यक्ति काश्मीर आ रहे हैं जिन्हें चीन तथा पाकिस्तानी अधिकारियों ने प्रशिक्षण दिया है। वे हवाई अड्डे तथा आकाशवाणी पर कब्जा करना चाहते थे। इस मामले पर गम्भीरता-पूर्वक विचार किया जाना चाहिये।

जब हम यह कहते हैं कि हम इस समझौते का सम्मान करेंगे तो इसका मतलब यहनहीं है कि हम पाकिस्तान द्वारा अपना अपमान सहन कर लेंगे और किसी भी परिस्थिति में इसका पालन करेंगे। मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान की समझ में भी यह बात आ जायेगी कि वह हमारे आत्म-सम्मान से खिलवाड़ नहीं कर सकता।

काश्मीर की जनता ने एक होकर हमलावरों का मुकाबला किया। यह कहना गलत है कि उन्होंने आक्रमणकारियों को भारी सहयोग दिया। स्थानीय लोग हमारी सेनाओं की सहायता कर रहे हैं और हमलावरों को सामान्यतया कोई सहायता इन लोगों से नहीं मिली है। हमें काश्मीर की जनता की पूरी पूरी सहायता करनी चाहिये।

Shri Prakashvir Shastri (Bijnor) : Mr. Deputy Speaker, the Prime Minister and the Government of India have entered into a disgraceful agreement with Pakistan. The acceptance of 3500 square miles of our territory as disputed area and withdrawal of our forces from our own posts and permitting Pakistani forces to patrol our area is disgraceful. The Government of India and the Prime Minister entered the agreement first and are now seeking approval of the House. This is not the first time they have done this. Previously also they have done the same thing in the case of Ceylon. There should be a code of conduct to be followed by the Government in deciding such important issues.

This agreement has been inspired by the British Prime Minister. A foreign scholear has said about Britain that the world minus Britain was equal to peace. We should try to understand the mischievous intention of Britain, which encourged the Muslim League and divided the Country, inspired and planned Pakistani aggression in Kashmir, forced us to accept cease-fire and opposed us after our case had been referred to Security Council and supported Pakistan in the international policies.

In so far as the tribunal is concerned, this tribunal will be constiuted in a different way than contemplated in the agreement of 1959 and 1960. Both the representatives of India and Pakistan will elect a chairman unanimously but if they do not agree, then the Chairman will be nominated by the U.N. Secretary General. We can safely conclude from this whether he would be inclined towards India or Pakistan.

The Government of India has pleaded that they have a strong case based on documentary evidence . But I may point out that it is not enough to have a strong case, the tribunal should be such as would appreciate the case. There could be nothing worse than this provision that the award could not be challenged. Generally the work of a tribunal finished as soon as it gives its findings, but in this case even after giving its decision, it would get its decision implemented also. It is not known as to how the Government has accepted this provision.

If my information is not wrong, the Gujarat Government had submitted a proposal to the Central Government in 1960 for construction of 6 border roads in Kutch, after two years *i.e.* in 1962 approval for only one road was given subject to the condition that the plan would be prepared by the Central Government. But till 1965, the tenders were not approved by the Government. It is obvious that the Government of India has all along been negligent as far as the borders in Kutch are concerned. The Gujarat Government had cautioned the Government that after the signing of Sino-Pak Agreement, the danger in Kutch had increased and the Government should, therefore, be vigilant in this matter and should take some steps in this direction, but the Government of India did not do anything in this regard.

According to the entries made in the Register which is maintained by S.R.P., our people have been patrolling the track between Ding and Surai. It was only on 25th January 1965, when foot prints of camel- carts were noticed by our men and even after this they had been to that place thrice which is to the south of Kanjarkot. Our Assistant Conmandant, S.R.P. Chad Bet Garrison had been to Kanjarkot 7 times before Ist January, 1965 and last time he went there on 7th Janvary, 1965 but at that time there was no such road to the south of Kanjarkot. Now the question arises as to how the Prime Minister and the Government of India have accepted that there was a road to the south of Kanjarkot on which Pakistani forces have been patrolling when records tell us a different story. Either the Prime Minister has been kept in dark or the Prime Minister has kept the House and the country in dark. If the officials attached with Prime Minister have kept the Prime Minister in dark, the country demands that the concerned officials should be punished. If the Prime Minister was aware of there facts I charge the Prime Minister that he has kept this House and the country in dark.

It has been said by the Prime Minister here and there that it is an International Agreement and no big country like ours could afford to dishonour it. But I want to point out that Pakistan is imbued with the spirit of war and not with the spirit of peace. International agreements are entered into with those countries who have learnt to honour them. With the recent invasion of Kashmir the agreement on Kutch has become null and void. The Government should tell Pakistan not to send Shri Bhutto here for talks. There should be no talks between Bhutto and Shri Swaran Singh. The matter should now be settled through war. It is the demand of Indian selfrespect.

In the last I want to request my friends belonging to Congress party that in order to make the history of the country brighter and to secure national intergrity and unity they should reject this motion with courage when it is put for the approval of the House.

श्री जसवन्त मेहता (भावनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान द्वारा कच्छ में पैदा की गई स्थिति से लोगों में काफी रोष पैदा हो गया था और लोग उसका मुकाबला करने के लिये तथा पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिये बिल्कुल तैयार थे । परन्तु उस समय हमने पाकिस्तान से समझौता इस आशा से कर लिया था कि पाकिस्तान से हमारी सूझबूझ हो जायेगी तथा सौहार्दपूर्ण के ऐसे वातावरण में हम अन्य झगड़ों को भी शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लेंगे । परन्तु इस समझौते पर

[श्री जसवन्त महता]

हस्ताक्षर होने के पश्चात पाकिस्तान तथा चीन ने मिल कर भारत के विरुद्ध षडयंत्र रचा । चीन की नीति हमारी अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त करना तथा भारत द्वारा पैदा की गई सद्भावना को समाप्त करना है । कच्छ के सम्बन्ध में करार होने के पश्चात् पाकिस्तान ने काश्मीर सीमा पर एक नयी स्थिति उत्पन्न कर दी है और अब हमें अपनी नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है ।

यदि चीन तथा पाकिस्तान युद्ध ही करना चाहते हैं तो हमें इस का मुकाबला करने के लिये अपने राष्ट्र को तैयार करना चाहिये । इसके अतिरिक्त हमारे लोग और कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं । हमें इस समय यह पता लगाना चाहिये कि घुसपैठ करने वाले श्रीनगर में घुसने में कैसे सफल हो गये । आश्चर्य होता है कि क्या उस समय हमारा गुप्त सूचना विभाग सक्रिय था जब उन्होंने घुसपैठ की । स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि हमें तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये। समाचार-पत्रों में आज यह समाचार पढ़ कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे सैनिकों ने अपनी चौकियों पर पुनः कब्जा कर लिया है । इस से लोगों में विश्वास उत्पन्न हो गया है अन्यथा स्थिति और भी अधिक बिगड़ जाती । हमें पाकिस्तान को बता देना चाहिये कि यदि वह अपने इस रवैये को बदलने के लिये तैयार नहीं है तो हमें कच्छ सम्बन्धी करार पर पुनर्विचार करना पड़ेगा । कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा करने में क्या तुक है । हमारे पास अन्य कोई विकल्प ही नहीं हैं क्योंकि पाकिस्तान हमारे विरुद्ध षडयंत्र रच रहा है और उसने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया है । अब लोग और कुछ सुनना नहीं चाहते, वे केवल यह चाहते हैं कि पाकिस्तान के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये ।

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, इस समय जब शत्रु काश्मीर में, उस क्षेत्र के कुछ राष्ट्र-विरोधी तत्वों की सांठगांठ से घुस आये हैं, तो मैं सभा को नवम्बर, 1962 के उस दिन की याद दिलाना चाहता हूं जब चीनी सेना के हाथों हमें अपमानित होना पड़ा था । तब हमारे राष्ट्रपति ने 23 नवम्बर, 1962 को यह कहा था कि नेफा में हमें जो हारें हुई हैं, इन्हें एक दुख, शर्म तथा अपमान की बात समझना चाहिये और हमें अपने खोये हुए सम्मान को वापिस लेना है । उस सम्मान को पुनः प्राप्त करने का सुनहरी मौका अब हम कच्छ में मिला था परन्तु मुझे खेद से कहना पड़ता है कि जैसा हमारा अपमान 1962 में हुआ था वही हमें अब 1965 में भी सहना पड़ा है और वह भी एक विजेता शत्रु के हाथों नहीं परन्तु अपनी सरकार की भीरुता के कारण ।

मैंने श्री महीड़ा और श्री हिम्मतसिंह जी ने जून में कच्छ की अग्रिम चौकियों का दौरा किया । यदि प्रतिरक्षा मंत्री और गृह-कार्य मंत्री वहां जाते, तो देखते कि हमारे सैनिकों का हौसला कितना बढ़ा हुआ था । वहां पर राष्ट्रीय एकीकरण का एक बहुत अच्छा उदाहरण था । सरकार को अब भी वही साहस और दृढ़ता दिखानी चाहिये थी जो उसने 1956 में दिखाई थी, जब पाकिस्तानियों ने छाड़ बेट पर कब्जा किया था तो भारतीय सेना ने उसे 48 घण्टे में खाली करवा लिया था । अब राज्यों के पुनर्गठन के कारण कच्छ का कुछ भाग गुजरात राज्य में आ गया था । यदि प्रधान मंत्री के इस कथन पर विश्वास कर लिया जाये कि पाकिस्तान इस क्षेत्र में पहली जनवरी, 1965 से गश्त कर रहा था, तो या तो गुजरात राज्य सरकार, राज्य पुलिस ने इस बारे में केन्द्र से रिपोर्ट नहीं की अथवा केन्द्रीय सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया ।

राष्ट्रपति ने चीन के मामले में बताया कि विश्वास और लापरवाही के कारण हमारी हार हुई। कच्छ में भूतकाल में लापरवाही और अब कायरता के कारण, हमारी हार हुई है। 1947 में जब पाकिस्तानी कबाईलियों ने आक्रमण किया था तो महात्मा गांधी ने स्वर्गीय प्रधान मंत्री पंडित नेहरू से कहा था कि वह अपनी वायु सेना और सेना को वहां भेजे। दुर्भाग्यवश, अब सलाह देने के लिये कोई महात्मा नहीं है। प्रधान मंत्री ने कच्छ के बारे में वादविवाद में 28 अप्रैल को कहा कि वह पाकिस्तान के दावे को बिल्कुल नहीं मानते।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद् को एक पत्र लिखा जिसमें उसने बताया कि पाकिस्तान का दावा ऐतिहासिक प्रमाण पर आधारित नहीं है और पाकिस्तान सैनिक बल द्वारा अपने क्षेत्र का प्रसार करना चाहता है।

भारत सरकार ने भी एक पत्रिका में बताया है भारत क्षेत्र पर आक्रमण करके पाकिस्तान ने 1960 के भारत-पाक सीमा करार का उल्लंघन किया है; और कच्छ पर आक्रमण भारत पर खुलेआम आक्रमण है। क्या सरकार की पुरुषत्व की भावना समाप्त हो गई है? क्या सरकार का कर्त्तव्य नहीं कि उस करार को रद्द कर दे? यह उनका कर्त्तव्य था कि जैसे ही उनको आक्रमण के बारे में पता चला उनको आक्रमकारियों को बाहर निकाल देना चाहिये था।

यदि हम शत्रु का एक बार भी सामना नहीं कर सकते तो सेना पर करोड़ों रुपये व्यय करने का क्या लाभ? यदि मार्च, अप्रैल अथवा मई में हमने कच्छ में अपनी सेना भेजी होती तो देश को यह अपमान नहीं सहना पड़ता। 28 अप्रैल को प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने इस संकल्प का प्रस्ताव दिया था: "भारत की पवित्र भूमि से आक्रमणकर्त्ता को बाहर निकालने के भारतीय लोगों के दृढ़ संकल्प की यह सभा पुष्टि करती है"। इसे प्रधान मंत्री और सभा ने एक मत से स्वीकार किया। परन्तु लण्डन में अय्यूब से मिलने के पश्चात् वह अपने इस विश्वास से डगमगा गये। अन्यथा हम इस प्रकार के समझौते के बारे में सोच भी नहीं सकते! यह समझौता सम्मानजनक नहीं है। इसमें आक्रमणकर्त्ता और जिस पर आक्रमण किया गया है, एक ही समझे गये हैं। इस प्रकार तुष्ट करने की नीति का अन्त सदैव युद्ध ही हुआ है।

समझौते के आमुख (प्रिएम्बल) में कहा गया है: "उस क्षेत्र की सीमा के सीमांकन करने तथा निर्धारित करने के बारे में व्यवस्था की जानी चाहिये।"

सीमांकन एक सरल सा प्रशासकीय कार्य है। परन्तु 'निश्चयन' से अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को दोबारा खींचने की शक्ति मिल जाती है। इससे न्यायाधिकरण एक नई अन्तर्राष्ट्रीय सीमा खींच सकता है। हमारा दावा तो यह है कि कच्छ की रन कच्छ का भाग है, न कि सिंध का। सीमा के पहले निश्चयन और फिर सीमांकन से देश के लिये कई खतरे पैदा हो सकते हैं।

समझौते में यह भी कहा गया है कि यदि दोनों सरकारों में कोई मतभेद हुआ तो मामला न्यायाधिकरण को सौंप दिया जायेगा। समझौते में यह भी कहा गया कि न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा और किसी भी कारण उसके विरुद्ध अपील नहीं होगी। अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अभिसमय (कन्वेंशन) के अनुसार न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध तीन कारणों पर अपील की जा सकती है। हमने अपने आप को उस अधिकार में से भी वंचित रखा है। अब प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री यह किस प्रकार कह सकते हैं कि जो वचन उन्होंने संसद को दिया था वह उन्होंने निभाया

[श्री हरिविष्णु कामत]

है ।यथापूर्व स्थिति जिसके बारे में वह इतना कहते थे वह भी भारत के विरुद्ध गई है। क्या प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान के बारे में वही कह सकते हैंजो स्वर्गीय प्रधान मंत्री नेहरू ने चीन के बारे में स्वीकार किया था। उन्होंने यह स्वीकार किया था कि वह भ्रम की दुनिया में, यथार्थ तथ्य से बहुत दूर, रह रहे थे। परन्तु प्रधान मंत्री शास्त्री यह नहीं कह सकते । पाकिस्तान की नीयत 1947 से स्पष्ट थी, जब उसने काश्मीर पर आक्रमण किया था । आज फिर उसने काश्मीर पर कबाईलियों द्वारा आक्रमण किया है । मैं प्रसन्न हूं कि हमनेकारगिल पर कब्जा करलिया है । जब पाकिस्तान ने कच्छ पर आक्रमण किया था तो हमको यही साहस दिखाना चाहिये था ।

प्रारूप समझौता न तो गुजरात राज्य सरकार को दिखाया गया था, न ही विधि मंत्री ने इसे देखा था । हमारे मंत्रिमंडल ने इस समझौते पर इसलिये हस्ताक्षर कर दिये क्योंकि उनको ब्रिटेन के प्रधान मंत्री तथा अमरीका पर अत्यधिक विश्वास था । यदि सरदार स्वर्ण सिंह और अन्य लोगों ने तनिक भी ध्यान दिया होता तो क्या वे शब्द "निर्धारण" (डिटरमिनेशन) के लिये सहमत हो सकते थे ? हम शांति के लिये बहुत अधिक कीमत चुका रहे हैं! पाकिस्तान ने कच्छ पर आक्रमण किया और फिर भी हमने उसको उस क्षेत्र में गश्त लगाने की स्वीकृति देदी है ।और अपनी सेना अपने ही क्षेत्र में कई मील पीछे हटा ली है, जबकि पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के अपनी ओर अपनी सेना रख सकेगा ।

प्रकाशन विभाग की इस पत्रिका में कहा गया है कि पाकिस्तान ने इस पर इसलिये दावा किया है कि यह अन्तर्देशीय सागर है; तो इसका अर्थ यह हुआ कि कल वह बंगाल में सुन्दरवन का भी आधा मांग मांग सकता है । तो क्या हम उनके दावे को फिर किसी न्यायाधिकरण को सौंपेंगे ? यदि हमारे देश को ईमानदार, कार्यकुशल और साहसी नेतृत्व मिल जाये, तो आज भी हमारी सेना उसी प्रकार विजय प्राप्त कर सकती है जैसा कि उसने पहले भी कई बार किया था । आज हमारे नेताओं में शिवाजी, महात्माजी और सुभाष चन्द्र बोस की भावना होनी चाहिये । जब भी कोई संकट उठता है तो सरकार हमें कई प्रकार के बलिदान देने के लिए कहती है और जब संकट टल जाता है तो सरकार फिर भ्रष्टाचार में फंस जाती है और शिथिल हो जाती है । सरकार अब भी सम्भल जाये तो लोग हर प्रकार का बलिदान देने के लिये तैयार हैं । कई वर्ष हुए अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने कहा था :

> "मैं यह नहीं कहता कि डाकुओं और भारत पर आक्रमण करने वालों से भी अहिंसा से पेश आओ ।"

हमारे नेताओं को इन शब्दों को नहीं भूलना चाहिए ।

मराठी समाचार पत्रों में हमारे प्रतिरक्षा मंत्री को शिवाजी-2 कहा जाता है । यदि वह अपने इस नाम को चरितार्थ करना चाहते हैं तो उन्हें शिवाजी-1 की वीरता साहस को भी अपनाना चाहिए । शिवाजी-1 ने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया था कि वे युद्ध में शत्रु के सामने कभी भी समर्पण न करें । हमें भी अपनी सेना में इसी साहस, भावना का संचार करना चाहिए । क्या प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री सब मिल कर देश में इस भावना का संचार कर सकते हैं ? यदि वे नहीं कर सकते तो राष्ट्र समाप्त-प्राय: ही समझिये । मैं और मेरी पार्टी वचन देती है कि इस कार्य में हम सरकार का साथ देंगे, यदि वे काश्मीर में फिर कच्छ को न दोहराये ।

श्री फ्रेन्क एन्थनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : कच्छ में जो पाकिस्तान ने आक्रमण किया था उससे हमारे देश में क्रोध की एक लहर दौड़ गई थी। हमारी सेनाओं ने वहां जो वीरता दिखाई थी उसका पूरा विवरण हमें नहीं मिला। लेकिन मुझे कुछ अपने सूत्रों से पता चला है कि बावजूद इसके कि पाकिस्तानी सेना बहुत अधिक संख्या में थी उसके पास अमरीकी टैंक, तोपखाना और अच्छे हथियार और उसने आक्रमण की पहले ही तैयारी की हुई थी, हमारी सेना ने पाकिस्तानी सेना का इस वीरता से सामना किया कि उसको 24 समानान्तर रेखा को पार करने की योजना को त्यागना पड़ा। पाकिस्तान द्वारा निरन्तर और धोखेबाजी से आक्रमण को देखते हुए कच्छ विवाद पर उससे बातचीत करना निरर्थक है। हमारी सरकार को पाकिस्तान सरकार को यह चेतावनी दे देनी चाहिये कि हम ने कच्छ समझौता इसलिये किया था कि पाकिस्तान अपनी आक्रमण करने की कार्यवाहियां बन्द कर देगा, परन्तु यदि वह इन कार्यवाहियों से बाज न आया तो हमारी सहन शक्ति भी समाप्त हो गई है। परन्तु सरकारें इस प्रकार भावना में नहीं बह सकतीं। उनको अन्तर्राष्ट्रीय आचरण के अनुसार अपनी नीतियों का निर्धारण करना पड़ता है।

प्रधान मंत्री ने कच्छ के बारे में जो आश्वासन दिया था उसके अनुसार कोई भी समझौता तभी किया जायेगा जब 1 जनवरी, 1965 से पहले की यथापूर्व स्थिति स्थापित की जायेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि कंजरकोट, बियार बेट और प्वाईंट 84 खाली किये जाने चाहिये थे और छाड बेट पर हमारे पुलिस दल का कब्जा हो जाना चाहिये था। हमारी पुलिस वहां पर गश्त लगा सकती थी, क्योंकि हमारी सेना वहां नहीं थी। पाकिस्तान को सिंग-सराय क्षेत्र में इसलिये गश्त लगाने दी जा रही हैं क्योंकि ऐसे सबूत मौजूद हैं कि पाकिस्तान इस क्षेत्र में गश्त लगा रहा था। परन्तु ब्रिटेन के समाचार पत्रों से मझे पता चला कि कच्छ के मामले में हम पहले ही वचनबद्ध हैं। 1959 के समझौते के अनुसार हम ने यह मान लिया था कि कच्छ की सीमा विवादग्रस्त और इसका निर्णय एक न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए। हम ने 1959 में यह स्वीकार कर लिया था कि 1959 में 3500 वर्ग मील पर पाकिस्तान का दावा था। मैंने समझौते को पढ़ा है और इस को पढ़ कर मेरे विस्मय का ठिकाना नहीं रहा था। देश में इस समझौते के विरुद्ध घृणा की भावना को देख कर सबसे अच्छा रास्ता यही था कि हम इस समझौते को न मानते। मैं जानना चाहता हूं जिस समय इस समझौते पर हस्ताक्षर हो रहे थे तो उस समय के मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य क्या कर रहे थे ? क्या वह प्रधान मंत्री को इस समझौते को मानने से नहीं रोक सकते थे ?

इस समझौते के लिये अमरीका और रूस के राष्ट्रपतियों ने हमारे प्रधान मंत्री को बधाई दी है। यदि केवल ब्रिटेन और अमरीका हमें बधाई देते तो इस समझौते को बधाई का पात्र नहीं मानता, क्योंकि उनका हमेशा पाकिस्तान की ओर झुकाव रहा है। परन्तु क्योंकि रूस ने भी हमें बधाई दी है, जिसने हमेशा हमारा काश्मीर के मामले में साथ दिया है, अतः मैं कच्छ समझौते को बहुत अच्छा समझता हूं और इससे विश्व में हमारा सम्मान बढ़ा है। यदि हम इस समझौते का खण्डन कर देते हैं तो पाकिस्तान को हमारे विरुद्ध प्रचार करने का अवसर मिल जायेगा और यह हमारे हित में नहीं रहेगा।

कच्छ-समझौते के सम्बन्ध में हम ने यह बात भलीभांति स्पष्ट कर दी है इसका अन्य सीमा-विवादों यथा कश्मीर आदि से कोई भी सम्बन्ध नहीं है।

पाकिस्तान ने आज, स्पष्टत: चीनी संरक्षण में, स्थानीय लोगों के छद्मवेष में, साम्यवादी चीन की नवीनतम गुरिल्ला आक्रमण प्रणाली अपनायी है। पाकिस्तान का यह आक्रमण 1947 के उस आक्रमण की याद दिलाता है जिसमें उसने अपनी नियमित सेना की आड़ में कबायलियों द्वारा आक्रमण करवाया था।

वास्तव में यह बहुत खेद की बात है कि यह घटना हमें संयुक्त राष्ट्र अभिकरण यथा तत्कालीन सुरक्षा परिषद् और आज के संयुक्त राष्ट्र पर्यवक्षकों की इस सम्बन्ध में शिथिलता की भी याद दिलाती है। यह कैसे हो सकता है कि समस्त पृष्ठभूमि में जो कुछ हुआ है उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी ही न हो। प्रेजिडट अयूब ने इस तथ्य का जोरदार शब्दों में खुले आम प्रचार किया है कि वह गुरिल्लों को इसी उद्देश्य के लिए विशिष्ट रूप से प्रशिक्षण दे रहे हैं।

यह एक विकट प्रश्न है कि जब पाकिस्तान ने हम पर गुरिल्लों द्वारा आक्रमण करवाया है,—युद्ध-विराम रेखा का उसने खुलेआम अतिक्रमण किया है और संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक वहां युद्ध-विराम रेखा की वास्तविक स्थिति कायम रखने में या तो इच्छुक नहीं हैं अथवा असमर्थ हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए ? इसका केवल एक ही उत्तर है कि हम उनके अड्डों पर आक्रमण कर दें, और उन पर बम गिरा कर उन्हें नष्ट कर दें।

हम शान्ति के उपासक रहे हैं और इसी कारण हम सदैव हानि उठाते रहे हैं जिसका ज्वलन्त उदाहरण कच्छ-समझौता है।

आज प्रधान मंत्री तथा उनकी सरकार इस विकट स्थिति का सामना कर रही है। इस प्रश्न का एकमात्र उत्तर यही है कि यदि पाकिस्तान अपने रवैये पर अड़ा रहता है तो हमारे पास सिवाय युद्ध के अन्य कोई भी चारा नहीं है चाहे उसके कितने ही भयंकर परिणाम निकलें और चाहे हमें उसके लिए कितनी ही कुर्बानी क्यों न करनी पड़े।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : कच्छ समझौते पर बोलने से पूर्व मैं कश्मीर में तैनात अपनी सेनाओं को कारगिल पर अपना कब्जा करने के उपलक्ष में उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं।

हमारी सेनाओं ने सरकार द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार ही युद्ध-विराम रेखा पार करके ऊंचे शिखरों पर अधिकार किया है। यहहमारी वर्तमान सरकार की विचारधारा एवं दृढ़संकल्पता का द्योतक है।

जब कच्छ के प्रश्न पर इस सभा में विभिन्न पहलुओं को दृष्टि में रख कर विचार विमर्श हो रहा था, मैं समझमेा हूं, कि प्रधान मंत्री महोदय ने स्थिति पूर्णत: स्पष्ट कर दी थी।

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी पीठासीन हुए।
SHRI SURENDRANATH DIVEDY in the chair]

कच्छ-समझौता कोई दल विशेष से सम्बन्धित नहीं अपितु एक राष्ट्रीय समझौता है जिस पर उसी दृष्टिकोण से विचार करना होगा। जहां तक भारत का पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों का प्रश्न है, मैंने सभा में इस बात को हमेशा जोर देकर कहा है कि हम पाकिस्तानके साथ सभी मामलों पर आवश्यकता से अधिक उदार रहे हैं और पाकिस्तान हमारी इस उदारता तथा

सहानुभूति को समझता नहीं है। मैंने पार्टी की बैठक के अवसर पर प्रधान मंत्री से कहा था कि "आप वहां दो तीन ब्रिगेड सेना भेजकर उन लोगों को जिन्होंने कच्छ में हमारे राज्यक्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है, बाहर क्यों नहीं खदेड़ देते ?"

प्रधान मंत्री महोदय ने स्पष्टतः यह बात कही है कि हम शान्तिप्रिय हैं; हम अपनी प्रगति, ऐश्वर्य तथा विकास के लिए शान्ति आवश्यक समझते हैं, किन्तु यदि हमें शान्तिपूर्ण ढंग से सफलता नहीं मिलती है, तो फिर हम युद्ध करने में भी नहीं हिचकेंगे।

ऐसी कोई बात नहीं है कि लन्दन में श्री विल्सन तथा प्रधान मंत्री शास्त्री के बीच हुई बातचीत में इस मामले पर कोई निर्णय लिया गया है। सदस्यों को यह नहीं भूलना चाहिये कि दैनन्दिन की छोटी-छोटी घटनाओं पर तक मंत्रिमंडल की बैठकों में विचार किया जा रहा है।

इस सभा के किसी भी सदस्य ने अब तक यह नहीं कहा कि इस मामले को शान्ति से न सुलझा कर, पाकिस्तान ने जिस क्षेत्र को आक्रमण के बल पर अपने कब्जे में कर रखा है उसे वापस लेने के लिए, सीधा युद्ध आरम्भ कर देना चाहिये। यदि अब कोई ऐसी बात करता है, तो स्पष्ट है कि वह राजनैतिक लाभ उठाना चाहता है।

साम्यवादी दल इस समझौते का पूर्णतः समर्थन करता है किन्तु फिर भी उसे अपनी आदत से मजबूर हो कर सरकार की निन्दा करने के उद्देश्य से कुछ न कुछ कहना ही पड़ेगा।

मुझे हर्ष है कि श्री रंगा ने इस समझौते का पूर्णतः समर्थन किया है। साम्यवादियों ने भी सर्वप्रथम इस समझौते का पूर्ण स्वागत किया किन्तु बाद में जब उन्होंने इस पर अपनी अभ्यंतर नीति के आधार पर विचार किया, तो उन्होंने सोचा कि इसे कुछ त्रुटियुक्त बता कर कुछ राजनैतिक लाभ उठाया जाए।

साम्यवादियों के दोनों दलों यथा वामपक्षी तथा दक्षिणपक्षी ने इसका समर्थन किया है। श्री रंगा के दल ने इसका समर्थन किया है। जनसंघ का अलबत्ता, अपना अलग ही दृष्टिकोण है जिस पर मैं कोई प्रकाश नहीं डालना चाहता। मैं प्रजा समाजवादी दल को, जिसे समझना किसी व्यक्ति के वश की बात नहीं है, समझता हूं। मेरी धारणा यह है कि उनका सारा कार्यक्रम, जैसा कि उसके नेताओं ने स्वयं उद्घोषणा की है, इस देश में अव्यवस्था तथा गड़बड़ फैलाने का है।

उनकी एक ही नीति है कि गड़बड़ी पैदा की जाय, और उससे शायद कुछ लाभ हो जाये। उनकी देश के लिये एक यही सेवा है। डा० लोहिया ने कई बार कहा है कि वह देश में गड़बड़ी और अशान्ति चाहते हैं; और उनको आशा है कि उनको इससे कुछ लाभ होगा। उनका तो एक ही नारा है कि अमुक समय तक या तो यह सरकार नहीं रहेगी, या वे नहीं रहेंगे। परन्तु मेरे विचार में तो इस सरकार के हटने का कोई कारण नहीं है।

न केवल अमरीका और रूस बल्कि सारे संसार ने कच्छ समझौते की प्रशंसा की है। मैं नहीं मानता कि संसार के सभी राजनीतिज्ञ पागल हो गये हैं। इस समझौते में कुछ ऐसे खण्ड हैं जिन पर आपत्ति की जा सकती है। परन्तु यह समझौता हमारी मांगों की सूची नहीं

थी; यह दो दलों के सौदेबाजी का नतीजा था। और ऐसे समझौते में कुछ ऐसे खण्ड हो सकते हैं जो आपत्तिजनक हों। हमने अपने देश को सदैव शांतिपूर्ण कहा है और यह दिखाने के लिये कि हम वास्तव में शांति के पुजारी हैं हमने यह समझौता किया है। सैनिक तथा सामरिक दृष्टि से यह समझौता बिल्कुल ठीक है। हम जानते थे कि पाकिस्तान लड़ने के लिए उतारू है, परन्तु हमारे लिये वहां लड़ना हमारे हक में नहीं था। परन्तु बावजूद इसके कि हम दृष्टिकोण संकुचित नहीं करना चाहते, फिरभी हम अपनी भावनाओं की उपेक्षा नहीं कर सकते। हमें न केवल घुसपैठियों को भगाना है बल्कि पाकिस्तान को हमेशा के लिए बता देना है कि इस प्रकार की कार्यवाही दोबारा नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान ने हमें छेड़ा है और हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना है।

श्री हिम्मतसिंहजी (कच्छ) : कच्छ समझौते की अच्छाई या बुराई में जाने से पहले मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी नीतियों को निर्धारित करे। पिछली बार जब मैं गृह मंत्रालय की मांगों पर बोल रहा था तो गृह मंत्री ने एक बात कही थी, वैदेशिक-कार्य मंत्री ने दूसरी बात कही थी और प्रधानमंत्री ने एक बिल्कुल ही विभिन्न बात कही थी। यदि अपनी प्रादेशिक अखण्डता के बारे में हम इसी प्रकार नीतियां बनाते रहें तो कोई भी देश, चाहे वह पाकिस्तान हो अथवा चीन, इस प्रकार की कार्यवाहियां करने के लिए बाध्य हो जायेगा।

कुछ सदस्यों ने कच्छ में हमारी सेना की हार का भी उल्लेख किया है, परन्तु जिस स्थिति में हमारे जवानों को वहां लड़ना पड़ा, यदि वह देख लेते, तो सेना की प्रशंसा किये बगैर नहीं रहते। यदि जिस कठिन परिस्थिति में उनको शत्रु का सामना किया और जिस वीरता का उन्होंने परिचय दिया उसके लिये आपको उनका आदर करना चाहिये। उनको यह नहीं कहना चाहिये कि हमारी सेना खदेड़ दी गई थी।

हमें राजनैतिक विचारों और सैनिक कार्यवाही में सन्तुलन रखना चाहिये। हमारी सारी कठिनाइयों का एक ही कारण है और वह है शांति शांति चिल्लाना। इसी शांति के कारण हमारी आर्थिक व्यवस्था पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

1956 में जब पाकिस्तानी सेना छाड बेट में घुसी थी, तो हमने अपनी सेना वहां तुरन्त भेज दी, और पाकिस्तानी सेना वहां से हट गई थी। छाडवेट धरवनी का एक छोटा सा भाग है। सिंध राज्य से मालधारी अपने पशु चराने के लिए कच्छ राज्य में आते थे और उसके लिये कच्छ राज्य को कर देते थे। जब कच्छ 'पार्टर' राज्य बना तो यही अधिकार संघ सरकार को उत्तराधिकार में मिला। यह सब तर्क सरकार को पेश करने चाहिये। परन्तु मैं एक बात अन्त में कह देना चाहता हूं, कि यदि सरकार ने 3500 वर्ग मील पाकिस्तान को दे दिये तो कच्छ के लोग उसके इसको लिये कभी क्षमा नहीं करेंगे।

श्री जी० भ० कृपलानी (अमरोहा) : मेरा जन्म सिंध प्रान्त में हुआ था अतः मैं इस क्षेत्र से अच्छी तरह परिचित हूं। इसको हमेशा कच्छ की रन कहा गया है न कि सिंध की रन। यह क्षेत्र कच्छ सरकार के पास था और ब्रिटिश सरकार कभी भी अपने क्षेत्र को दूसरे को न देती।

इस विवाद में जो प्रश्न उठ सकता था, वह था कच्छ का सीमांकन। परन्तु इस सीमा के सम्बन्ध में शब्द "निर्धारण" कहांसे आ गया। जिसने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, उने एक घोर राजनैतिक भूल की है।

1959 के समझौते के अनुसार सभी सीमा विवादों का—न कि प्रदेशों का—समझौता शांतिपूर्ण ढंग से होगा; और शांतिपूर्ण ढंग से कोई समझौता न हो सकातो मामला एक न्यायाधीकरण कोसौंपा जायेगा। जहां तक न्यायाधिकरण द्वारा सीमा विवादों का निर्णय करना है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु जब आप न्यायाधिकरण को अपने और अपने शत्रु के क्षेत्र के निश्चयन का कार्य दे देते हैं, तो इसमें आप भूल करते हैं न कि 1959 का समझौता।

हमारे प्रधान मंत्री ने कहा है कि आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में वह उन्हीं नीतियों का अनुसरण करेंगे जिनका निर्धारण उनके पूर्वज कर गये हैं परन्तु उनका यह कहना गलत है कि क्योंकि पिछली सरकार ने कुछ समझौते किये हैं तो वह उनको मानने के लिये बाध्य हैं। यदि वह समझते थे कि 1959 के समझौते में कुछ कमियां थीं तो वह कह सकते थे कि उसका मानने के लिए बाध्य नहीं हैं।

1960 के समझौते में यह कहा गया है कि आधार सामग्री इकट्ठी की जायेगी और इसके पश्चात् दोनों दल बैठ कर उस पर विचार करेंगे। परन्तु उस समझौते में यह कहीं नहीं कहा गया कि आक्रमण के पश्चात् भी न्यायाधिकरण की नियुक्ति की जायेगी। पाकिस्तान ने आक्रमण करके 1959–60 के समझौते को रद्द कर दिया है। परन्तु हम फिर भी कहते कि हम इस समझौतेद्वारा बाध्य हैं।

यह भी कहा गया है कि इस समझौते की सभी ओर से सराहना की गई है। इस का कारण यह है कि संसार में इसमें कोई भी नहीं चाहता कि युद्ध का विस्तार हो। यदि ब्रिटिश साम्राज्य के किसी भाग को कोई प्रश्न होता तो शायद वहां के प्रधान मंत्री इस प्रकार की बातें न करते। जहां उनके अपने अधिकारों का प्रश्न उठता है तो वह युद्ध छेड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और आणविक अस्त्रों का प्रयोग करने से भी नहीं चूकते। हमने अपने राष्ट्र सन्यासी बना दिया है; सन्यासी भिक्षावृति पर रहता है और हम विश्व के सबसे बड़े भिखारी हैं। किसी सन्यासीको अपने परिवारका इतना ध्यान नहीं रहता जितना कि संसार के कल्याण का। कई सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि हमें विश्व जनमत का भी ध्यान रखना चाहिये। इस बारे में गांधी जी ने कहा था "जिस बारे में मुझे पता है कि मैं ठीक हूं मैं विश्व राय पर ध्यान नहीं दूंगा। अन्तर्राष्ट्रीय राय अपने हितों के अनुसार चलती है।"

क्या हमारी सरकार को पता था कि पाकिस्तान हमारे प्रदेश के एक भाग पर गश्त लगा रहा था। यदि उनको नहीं पता था, तो इसके लिये न केवल उसको दण्ड दिया जा सकता है बल्कि नैतिक रूप से भी गलत है। कोई भी साधारण ज्ञान वाला व्यक्ति तब कोई बातचीत आरम्भ नहीं करेगा जब तक इसके सामने सारे तथ्य नहीं होंगे। ब्रिटेन के प्रधान मंत्री सन्तुष्ट हो गये थे कि पाकिस्मेान इस क्षेत्र में गश्त लगा रहा था और हमने इसे इसलिये मान लिया क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं था। जब लोग ऐसी गल्तियां करते

[श्री जी० भ० कृपालानी]

हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये। यह कहना गलत है कि यह क्षेत्र उनके कब्जे में नहीं है। जिस क्षेत्र पर वह जा सकते हैं और हम नहीं जा सकते। वह क्षेत्र उनके कब्जे में है। यह कहना गलत है कि जनवरी 1965 की यथा-पूर्व स्थिति की शर्त पूरी हो गई है। यह हमारे त्रुटिपूर्ण ज्ञान के कारण है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair)

और जहां तक मैं समझता हूं जब जवाहरलालजी ने न्यायाधिकरण के बारे में सोचा होगा, तो उनके विचार में ऐसा न्यायाधिकरण था जिसमें एक भारत का प्रतिनिधि, एक पाकिस्तान का प्रतिनिधि और दोनों की सहमति से एक तटस्थ व्यक्ति होगा। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के बारे में कभी नहीं सोचा होगा। यह विवाद हमारे और पाकिस्तान के बीच है, परन्तु हमने इसे अन्तर्राष्ट्रीय विवाद बना दिया है। अब भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान को रियायतें दे कर वे उसके हृदय में परिवर्तन कर सकेंगे। ऐसे व्यक्तियों में स्वतन्त्र पार्टी के नेता और जय प्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति हैं। और हमें जितने धोखे दिये गये हैं उनमें सबसे धोखा काश्मीर पर आक्रमण है। क्या हम यह कहेंगे कि पाकिस्तान जो भी करे हम तो इस समझौते को मानेंगे क्योंकि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता है ? आप किस प्रकार एक व्यक्ति के साथ बैठ कर बातचीत कर सकते हैं जब आप जानते हैं कि उसने आपको बार बार धोखा दिया है।

इस समझौते को रद्द कर दिया जाना चाहिये। जब हम पाकिस्तान से काश्मीर में लड़ रहे हैं तो इस समझौते का पालन करना एक पाप है। यदि सरकार अपने आप को शक्तिशाली सरकार और लोगों का सच्चा प्रतिनिधि बनाना चाहती है तो इसे इस समझौते को रद्द कर देना चाहिये। यदि इस समझौते के बारे में आप जनता की राय जानना चाहते हैं तो आप बाजार और कचहरियों में जाइये और आप पायेंगे कि सभी इस समझौते के विरुद्ध हैं। इस समय पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं हो सकती क्योंकि इसने म्यान से तलवार निकाल ली है।

Shri Maurya (Aligarh) : Mr. Speaker, the Kutch agreement with Pakistan is against the democratic traditions. This agreement is against the historical motion unanimously adopted by Lok Sabha on 28th April, 1965 which read : ".....with hopes and faith this House affirms the firm resolve of the Indian people to drive out the agressors from the sacred soil of India."

This agreement is different than the previous agreement of 1958, 1959 and 1960. I would like to ask the hon. Prime Minister whether he remembered the observation made by him in the House at the time of signing the agreement. On 11th May, 1965 he said in the House. ".....by a reference to an impartial tribunal as contemplated in the earlier agreements on the the subject." All the three members of this tribunal are going to be foreigners and as such this issue, in a way, will go to U.N.O. and will become a stalemate. All the issues referred to U.N.O. have become stalmate. I would

like to submit that we should solve our disputes with the neighbouring countries with our own strength. If we weaken our strength we cannot protect our borders.

It is not correct to say that the agreement has been acclaimed by the Press. A number of newspapers have criticised it. Amrit Bazar Patrika writes : "what will be objected to is that Pakistan's claim that a territorial dispute involving 3,500 miles of territory exists has been virtually recognised. I do not want to go into details. I want to submit that any agreement with Pakistan has not born fruits. We want peace but Pakistan thinks otherwise. Pakistan attacked Kashmir because they thought that India would not revoke any agreement as America and England have hand in it.

In the context of Pakistan's attack on Kashmir, there is no logic in having any kind of talks with Pakistan on the basis of the agreement. Many such agreements have been reached in the world and then scrapped. These agreements should be placed before the Prime Minister for reference.

We are strong enough to get any aggression vacated. I had said this also during the discussion re: Chinese attack. But the difficulty is that the Congress government cannot take decisions regarding protecting the country.

The Prime Minister recently met the leaders of the opposition parties. The stand of Republican Party regarding Kashmir is well-known. It is an acknowledged fact inside the country and outside that Kashmir is part of India. But today the members of the Congress party talk of the public opinion and the world opinion. We need not consult the foreign countries regarding this. The Government cannot mislead the country on these pleas today.

The country has not benefited from the decisions taken by the Congress Party till this day. I would like to say that it is only because of the Kutch agreement that Pakistan has launched an attack on Kashmir. We may believe in peace, the whole world may follow the path of peace but Pakistan would not mend its ways.

Pakistan was formed out of hatred and communal begotry and as such they do not believe in peace and they do not care for humanity. The only language they understand is language of force and unless the Government adopted a strong attitude towards that country, it cannot stop Pakistan from further aggression on India. I am happy that Kargil post has been re-captured.

I want that the power to take decision should be given to the army. I am sure that our Jawans can face any situation provided they are given full opportunity to fight today, the army should be given full power to protect our borders.

The Kutch agreement is not in consonance with the honour and dignity of our nation; it is unconstitutional. I am afraid we will have to loses 3500 sqaure miles of land to Pakistan as a result of this agreement consequent to this Pakistan would indulge in more mischievous activities.

In the end I would again emphasise that if the Government want to save the country, if the Government want to save the civilization then this agreement should be scrapped. In the interest of dignity and honour of the country

[Shri Maurya]

I would request the Congress members to rise above the party level and to defeat the motion regarding Kutch agreement.

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद (गया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कच्छ समझौते का समर्थन करता हूं। आज हम अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति सन्तुलन की प्रणाली में नहीं अपितु दो गुटों में बटी दुनिया में रह रहे हैं। शक्ति संतुलन का सम्बन्ध केवल रूस तथा अमरीका के बारे में है। चीन ने ख्रुश्चेव की अनुमति से भारत पर आक्रमण किया, यदि भारतीय सेना कंजर कोट स्थित पाकिस्तानी फौज पर आक्रमण कर देती तो उस स्थिति में रूस, अमेरिका, चीन में से कोई भी भारत अथवा पाकिस्तान का साथ न दिया होता। यदि भारत ने पाकिस्तान के किसी भी भू-भाग पर आक्रमण कर दिया होता तो भारत में भी कांगो जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई होती। रूसी सेनाएं पाकिस्तान की सीमाओं पर रूसी मध्य एशिया में तैनात हैं। अमरीकी सातवां जहाजी बेड़ा हिन्द महासागर में गश्त लगा रहा है। भारत तथा पाकिस्तान दोनों ही रूस और अमरीका के बीच में फंसे हुए हैं। चीन-पाकिस्तानी समझौते के परिणाम-स्वरूप रूस की अपेक्षा संयुक्त राष्ट्र अमरीकी की सौदेबाजी करने की शक्ति सुदृढ़ हो गई है क्योंकि चीन के रूस तथा अमरीका दोनों के साथ शत्रुता के सम्बन्ध हैं। आज अमरीका की अपेक्षा रूस को चीन से अधिक खतरा पैदा हो गया है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ने की स्थिति में, यदि रूस और अमरीका ने तटस्थता की नीति अपनायी, तो सभी मुस्लिम देश पाकिस्तान का साथ देंगे। यदि संयुक्त राष्ट्र अमरीका पाकिस्तान का साथ दें, तो रूस भारत का साथ देगा। भारत तक ही सीमित युद्ध है की स्थिति में चीन तटस्थ रह सकता है। यद्ध छिड़ जाने पर संसार के सामने ऐसी भयंकर स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसका अनुमान लगाना भी कठिन है।

भारत उप-महादीप और दक्षिण-पूर्व एशिया को युद्ध क्षेत्र बना कर यदि रूस और अमरीका में परिमाणु युद्ध आरम्भ हुआ तो यह विश्व-युद्ध का रूप धारण कर लेगा जिसकी ज्वालाओं में सम्पूर्ण विश्व भस्म हो जायेगा।

भारत, रूस तथा अमरीका एक दूसरे के राजनैतिक मित्र हैं। चीन, मध्य भूमि के सीमाओं पर स्थित एशियाई राज्य तथा पश्चिमी यूरोपीय राज्य एक दूसरे के मित्र हैं और भारत, रूस तथा अमरीका के भू-राजनैतिक शत्रु हैं।

भारत, रूस और अमरीका का द्विध्रुवीय विश्व को एक विश्व में, अर्थात् विश्व व्यापी निशस्त्रीकरण के लक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से, रूपान्तरित करने का सिद्धान्त है। चीनी मध्यभूमि की सीमाओं पर स्थिति एशियाई राज्य तथा पश्चिमी यूरोपीय राज्यों का सिद्धान्त दो गुटवाली दुनिया को अनेक गुटों वाली दुनिया में परिवर्त्तित करने का है।

भारत को चीन और पाकिस्तान के सम्बन्ध में वही नीति अपनानी चाहिये जो चीन ने जापान के सम्बन्ध में उसकी मंचूरिया विजय के पश्चात् हिरोशीमा तथा नागासाकी पर अणुबम गिराये जाने के समय तक अपनायी थी।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 18 अगस्त, 1965/27 श्रावण, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday the 18th August, 1965/Sravana 27, 1887 (Saka).

GMGIPND—LS—III—1286 (ai) LS.—15-10-65—600.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में किये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]